

# स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

## प्रति

भारत के राष्ट्रपति /

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

मुंबई

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

## अभिमत

1. हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के साथ दिये जा रहे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें शामिल हैं, 31 मार्च, 2024 का तुलन पत्र एवं समाप्त वर्ष का लाभ एवं हानि खाता और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना जिसमें वर्ष के परिणाम शामिल हैं के सार सहित नकदी प्रवाह विवरण एवं स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के नोट्स

- हमने प्रधान कार्यालय, 20 शाखाओं और एक ट्रेजरी शाखा की लेखा परीक्षा की है;
- 2632 शाखाओं की लेखा परीक्षा सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों ने की है और
- 2 विदेशी शाखाओं की लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षकों ने की है।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षित शाखाएँ एवं अन्य लेखापरीक्षक के लिए शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबैं) के दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। लाभ हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरण उन 6355 शाखाओं (अन्य लेखा इकाइयों सहित) के रिटर्न हैं जो लेखा-परीक्षा के अधीन नहीं थीं, को भी तुलन पत्र में शामिल किया गया है। लेखा परीक्षा न की गई इन शाखाओं में अग्रिमों का 27.78 प्रतिशत, जमा का 42.53 प्रतिशत, ब्याज आय का 19.94 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 36.17 प्रतिशत हिस्सा है।

हमारे मत में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949, आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देशों द्वारा बैंक के लिये अपेक्षित एवं भारत में मान्य सामान्य तौर पर लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं एवं प्रस्तुत है और:

ए. तुलन पत्र, जिसे उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, एक पूर्ण और

निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं, 31 मार्च, 2024 को बैंक के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रदर्शित करने के लिए उचित रूप से तैयार किया गया है;

- लाभ और हानि खाता, उस पर टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाए, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सही अधिशेष दर्शाता है; तथा
- नकद प्रवाह विवरण उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

## अभिमत का आधार

2. हमने अपना लेखा परीक्षण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित है। हम आईसीएआई की आचार संहिता एवं आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक शामिल हैं एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और भारतीय रिजर्व बैंक ("भारिबैं") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य, हमारी लेखापरीक्षा अभिमत का आधार बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

## मुख्य लेखा परीक्षा मामले

3. मुख्य लेखा परीक्षा मामले वो मामले हैं जो, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में, हमारे पेशेवर निर्णयों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। ये मामले पूरे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में देखे गए, और इस पर अपना अभिमत बनाने में, हम इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं देते हैं। हम इस बात पर दृढ़ हैं कि निम्नलिखित निर्धारित मामले हमारी रिपोर्ट में बताने के लिये मुख्य लेखा परीक्षा मामले हैं।

**स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

**क्र. मुख्य लेखा परीक्षा मामले**

**हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया**

**1 विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार ऋण एवं अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण (आईआरएससी) तथा प्रावधानीकरण**

31 मार्च, 2024 को ऋण एवं अग्रिम तथा निवेश कुल आस्तियों का 86.83% था, जो आस्तियों का एक बड़ा वर्ग है। उक्त पर वर्गीकरण, आय निर्धारण तथा हानि प्रावधान नियामकों (भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड एवं अन्य दिशानिर्देश) द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ मापदंडों पर आधारित हैं। बैंक का प्रबंधन आस्ति वर्गीकरण निर्धारण, आय निर्धारण तथा हानि के लिए प्रावधानों हेतु आईटी प्रणालियों (कोर बैंकिंग सोल्यूशन सहित), महत्वपूर्ण अनुमानित एवं निर्णय कार्यप्रणाली, मैनुअल हस्तक्षेप तथा विशेषज्ञों (जैसे स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता, वकील, कानूनी विशेषज्ञ एवं अन्य पेशेवर) की सेवाओं के उपयोग पर अधिक निर्भर करता है।

बैंक में आईआरएससी मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों की सिस्टम आधारित पहचान होती है। चूंकि गैर-निष्पादित अग्रिमों की पहचान और गैर-निष्पादित अग्रिमों के लिए प्रावधान हेतु प्रबंधन आकलन के विचारणीय स्तर, विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं के आवेदन और समग्र लेखापरीक्षा के लिए महत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।

हमारा लेखा परीक्षण आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा शेष राशि से संबंधित दोषपूर्ण प्रावधानों के कारण अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर केंद्रित था। हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं में आईआरएससी के अनुपालन तथा प्रावधानों के मानदंडों एवं इसकी संचालित प्रभावकारिता के लिए सीबीएस तथा अन्य संबंधित आईटी प्रणालियों में प्रयुक्त तर्क एवं मान्यताओं की समीक्षा एवं अनुमोदन पर नियंत्रण का आकलन, ऋणों का संवितरण एवं निगरानी शामिल हैं।

इनमें निम्नलिखित का मूल्यांकन और समझ शामिल हैं:

- आय निर्धारण, आस्ति का वर्गीकरण और अग्रिम/निवेश से संबंधित प्रावधानीकरण के संबंध में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली;
- गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए/एनपीआई) के समयानुसार निर्धारण पर प्रणाली नियंत्रण एवं मैनुअल नियंत्रण;
- आईटी प्रणालियों से प्रावधान गणना मॉडलों पर नियंत्रण का परिचालन अस्तित्व एवं प्रभावशीलता;
- अग्रिमों के मामले में ऋण अनुमोदन, संवितरण तथा निगरानी प्रक्रिया पर समग्र नियंत्रण और निवेश के मामले में खरीददारी, बिक्री तथा निर्णय प्रणाली पर नियंत्रण रखा है।
- हमने ऋण और निवेशों (हमारे द्वारा शाखा निरीक्षण के मामलों में) के नमूनों का परीक्षण किया कि उन्होंने गैर-आस्तियों में आईआरएससी के मानदंडों के अनुसार समयानुसार पहचान, आय निर्धारण तथा प्रावधान किया है।
- हमने परीक्षण अंतराल के आधार पर, जहाँ कहीं भी हमारे संज्ञान में आया है, हमने विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और मध्यक्षेप की सटीकता की समीक्षा की है।
- हमारे द्वारा शाखाओं का निरीक्षण नहीं किए जाने के मामलों में अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) द्वारा की गई रिपोर्ट/रिटर्न, जो एसए 600 के अनुसार समग्र अनुपालन के संबंध में समग्र सुविधा के लिए दूसरे लेखा परीक्षकों द्वारा दी गयी हैं, पर विश्वास किया है।
- हमने अन्य विशेषज्ञों जैसे स्वतंत्र मूल्यांककों, वकीलों, कानूनी विशेषज्ञों और ऐसे अन्य पेशेवरों जो बैंक के लिए सेवा प्रदान करते हैं, उनके कार्यों की भी समीक्षा की है।
- इसके अतिरिक्त, हमने संभावित कमजोर और संवेदनशील खातों, जो दबावग्रस्त का संकेत देते हैं, वाले बैंक के निगरानी तंत्र की समीक्षा की है।

## क्र. मुख्य लेखा परीक्षा मामले

## हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया

- परीक्षा जांच के आधार पर, बड़े ऋणों पर आरबीआई के सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ('सीआरआईएलसी') में बैंक द्वारा विशेष उल्लेख खातों ('एसएमए') के रूप में वर्गीकृत खातों का सत्यापन किया।
- हमने बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षण/ निरीक्षण रिपोर्ट और समवर्ती लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों तथा बाह्य विशेषज्ञ द्वारा आईआरएसी के स्वचालन की लेखापरीक्षा पर रिपोर्टों एवं अवलोकनों की भी समीक्षा की है।
- अंक संबंधी सटीकता, डाटा सटीकता और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नियंत्रण सहित हमारे मुख्य परीक्षण को लेकर मूल्यांकन, वर्गीकरण, प्रावधान एवं निवेश की आय की पहचान का सत्यापन।

हमने एनपीए की प्रणाली आधारित पहचान की प्रभावकारिता का आकलन और परीक्षण किया है।

## 2 वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं नियंत्रण

वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियाँ बैंक की परिचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) और स्वचालित प्रक्रियाओं वाले अन्य एकीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से परिचालित आईटी प्रणालियों पर निर्भर हैं और वृहद मात्रा में लेनदेन को नियंत्रित करती हैं। प्रक्रिया और नियंत्रण उचित उपयोगकर्ता पहुँच एवं उपयोग में प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए हैं। बैंक के पास सूचना और प्रौद्योगिकी (डीआईटी) का एक आंतरिक विभाग है जो आईटी सेवाओं को बनाए रखने के लिए शीर्ष प्रबंधन की देखरेख और विशेषज्ञ परामर्श एजेंसियों के समर्थन के साथ संचालित किया जाता है। तदनुसार, हमारा लेखा परीक्षा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर व्यापक प्रभाव के कारण प्रमुख आईटी प्रणालियों एवं नियंत्रणों पर केंद्रित था और इसे हमारे लेखा परीक्षा में मुख्य लेखा परीक्षा मामले के रूप में माना गया है।

हमने मूल्यांकन किया और उन प्रमुख आईटी अनुप्रयोगों, डेटाबेस और परिचालन प्रणाली की पहचान की जो हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं और हमने सीबीएस एवं ट्रेजरी सिस्टम को मुख्य रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए प्रासंगिक के रूप में पहचान की है। सीबीएस एवं ट्रेजरी परिचालन से संबंधित प्रमुख आईटी प्रणाली जिनका उपयोग लेखांकन और वित्तीय जानकारी तैयार करने के लिए किया जाता है, हमारे लेखा परीक्षा हेतु केंद्रित क्षेत्रों में एक्सेस सिक्वोरिटी (विशेषाधिकार प्राप्त एक्सेस पर नियंत्रण सहित), एप्लिकेशन परिवर्तन नियंत्रण, डेटाबेस प्रबंधन और नेटवर्क परिचालन शामिल थे। विशेषतः

- हमने बैंक के आईटी नियंत्रण परिवेश और लेखा परीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख परिवर्तनों की समझ हासिल की है, जो लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।
- हमने उन प्रमुख आईटी प्रणाली पर बैंक के सामान्य आईटी नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण हैं, साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञों से रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसमें कर्तव्यों के पृथक्करण का मूल्यांकन करने के लिए बैंक के नियंत्रणों का मूल्यांकन एवं विधिवत अनुमोदित अनुरोधों के आधार पर प्रावधान किए गए / संशोधित किए जा रहे एक्सेस अधिकार, समयबद्ध तरीके से निकास मामलों के लिए एक्सेस को रद्द करना शामिल था।
- हमने लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट के लिए प्रमुख स्वचालित एवं मैन्युअल कारोबार चक्र नियंत्रण और तर्क का भी परीक्षण किया; इसमें क्षतिपूरक नियंत्रणों का परीक्षण या वैकल्पिक प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या कोई अनसुलझा आईटी जोखिम है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्रभावित करेगा।

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### क्र. मुख्य लेखा परीक्षा मामले

### हमारी रिपोर्ट में इसे किस तरह सुलझाया गया

#### 3 आस्तिगत करों की पहचान करना एवं मापना

बैंक ने 31 मार्च, 2024 को ₹ 3,71,39,447 (₹ 000 में) शुद्ध आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान की है। मापन संबंधी उद्देश्यों के अलावा, आस्तिगत कर आस्तियों की पहचान एवं माप करना, भविष्य में होने वाले लाभों की दृश्यता एवं उपलब्धता से संबंधित अनेक अनुमानों एवं निर्णयों पर आधारित है। हाल ही में आस्थगित कर आस्तियों की मात्रा में वृद्धि, पहचान किए गए अनुमानों की उपलब्धता एवं एक विस्तारित समयावधि में लाभ का पूर्वानुमान, इस प्रकार से अनिश्चितता में वृद्धि एवं उक्त आस्ति में अंतर्निहित जोखिम व इसकी अनुचित पहचान।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लागू कर कानूनों एवं बैंक पर लागू प्रासंगिक विनियमनों के मध्य तालमेल प्राप्त करने के लिए जोखिम मूल्यांकन शामिल है। हमारे समझौते के आधार पर, हमने कर विशेषज्ञों की सहायता से संबंधित आंतरिक महत्वपूर्ण नियंत्रण एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दोनों टेस्टों का कार्य निष्पादन किया है। हमारे कंट्रोल टेस्टिंग के साथ हमने निम्न लेखापरीक्षा प्रक्रिया के रूप में कार्यनिष्पादन किया है, लेकिन यह सीमित नहीं है:

- आय पर करों के लिए लेखांकन एएस 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की मान्यता और मापन के लिए उपयोग की जाने वाली नीतियों का मूल्यांकन;
- एकरूपता, स्थिरता एवं निरंतरता, बजट और मिडटर्म जैसे अनुमान, प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए तरीके, धारणा और अन्य मापदंडों का आकलन किया, जिसमें प्रबंधन द्वारा विकास और कर की दरों को लागू किया और अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया
- लाभ की दृश्यता एवं उपलब्धता की संभाव्यता का आकलन किया गया, जिससे भविष्य में ऐसा आस्थगित कर आस्तियों का उपयोग करने में बैंक सक्षम होगा।

#### 4 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और दावे

अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न दावों पर कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देयता का आकलन, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 17 के नोट सं. 18 और अनुसूची 18 के नोट सं. 14 ईं)। प्रावधान के स्तर का अनुमान लगाने में उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके स्वयं के निर्णय, विगत अनुभव और जहाँ भी आवश्यक माना जाता है, कानूनी और स्वतंत्र विशेषज्ञों की सलाह द्वारा समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ एवं तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसका परिणाम एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है। प्रबंधन के निर्णय में, बैंक के खिलाफ कर मांगों सहित ऐसे दावे एवं मुकदमेबाजी अंततः देयता का कारण नहीं बनेंगे। तथापि, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए वित्तीय परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं जो इस स्तर पर अनिश्चित है। इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय की प्रयुक्ति आवश्यक है, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।

हमने लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की है ताकि हम अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन कर सकें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। हमने मोटे तौर पर प्रावधान के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली अंतर्निहित धारणाओं और अनुमानों की समीक्षा की, लेकिन चूंकि प्रभाव का परिणाम भविष्य के विवरण पर निर्भर है जो अत्यधिक अनिश्चित हैं, इसलिए हमने मुख्य रूप से उन धारणाओं और अनुमानों पर भरोसा किया, जो बैंक द्वारा आवधिक समीक्षा के विषय हैं। हमने दावों एवं कर मुकदमों के संबंध में बैंक द्वारा प्राप्त प्रबंधन नोट तथा कानूनी राय पर भरोसा किया है और ऐसे मुकदमों एवं दावों की प्रकृति, उनकी वर्तमान स्थिति, संवहनीयता, विभिन्न कर अधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और/या संचार की जांच करने और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने एवं दावों/मुकदमों के अंतिम समाधान पर अंततः देयता में तब्दील होने की संभावना, उपलब्ध रिकॉर्ड और आज तक के घटनाक्रमों के आधार पर समीक्षा हेतु हमारी आंतरिक टीम को शामिल किया है।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की अतिरिक्त सूचनाएं

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट के अंदर परिशिष्टों सहित निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं, परंतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण एवं उसके उपर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं हैं, जो हमें इन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध करवाया जाना अपेक्षित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारा मत अन्य सूचना एवं बासेल III प्रकटीकरण के अंतर्गत पीलर 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करता एवं हम उस पर किसी तरह का स्पष्ट आश्वासन नहीं देते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी केवल चिन्हित अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है एवं ऐसा करने में यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ तात्विक रूप से विरोधाभासी है या लेखापरीक्षा में जानकारी ली गई है, या तात्विक रूप से मेल नहीं होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ते हैं और यदि हम निष्कर्ष निकालें कि इसमें कुछ तथ्य गलत हैं तो हमें गवर्नेस के लिए उत्तरदायी को सूचित करना आवश्यक है और प्रासंगिक कानूनों और विनियमनों के तहत लागू उचित कार्रवाई करेंगे।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और इसके प्रभारियों की जिम्मेदारियाँ

5. बैंक का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारियों में बैंक के सही एवं निष्पक्ष वित्तीय स्थिति एवं नकद प्रवाह देने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार किये जाने वाले लेखा नियमों, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानदंड एवं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधान एवं समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र एवं दिशानिर्देश के अनुरूप हों। इस जिम्मेदारी में बैंकों की आस्तियों के सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को पहचानने एवं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग ऐसे निर्णय एवं आकलन करना जो तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं एवं संरचना, उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का प्रबंधन एवं कार्यान्वयन जो लेखांकन रिकॉर्डों की पूर्णता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुति के संबंध में जो सत्य एवं सही विचार देते हैं तथा तात्विक गलत बयानी चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन बैंक की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है, प्रकटीकरण, जैसा कि लागू है, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले एवं कार्यशील संस्था के लेखांकन आधार का प्रयोग करना जब तक प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन नहीं करता या परिचालन बंद नहीं करता, या उसके पास इसके अलावा कोई

यथार्थवादी विकल्प न हो।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी होगा।

## स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समूचे तौर पर चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से तात्विक गलतबयानी से मुक्त है, एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट में हमारा मत शामिल करना है। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, पर कोई गारंटी नहीं है कि मानकीकृत मानदंड के अनुसार संचालित की गयी लेखापरीक्षा हमेशा तात्विक गलत बयानी को पकड़ लेगी। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से उत्पन्न हो सकती है एवं उसे तात्विक माना जाता है यदि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, वो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए प्रयोगकर्ताओं के विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सके।

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। हम साथ ही:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तात्विक गलतबयानी के जोखिमों को पहचानते एवं मूल्यांकन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो, संरचना एवं उन जोखिमों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन एवं पर्याप्त लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना एवं जो हमारे मत का आधार देने के लिए उपयुक्त है। धोखाधड़ी से उत्पन्न तात्विक गलतबयानी को न पहचानने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न धोखाधड़ी को न पहचान पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली-भगत, जालसाज, साभिप्राय चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का निरस्तीकरण शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी प्राप्त करें जो सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता एवं प्रबंधन द्वारा बनाए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन।
- लेखांकन की कार्यशील संस्था आधारित प्रयोग के विनियोजन पर हुए और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित ठोस अनिश्चितता नजर आती है जो बैंक को कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करते रहने के लिए बैंक की सामर्थ्य पर संदेह बना सकती है। अगर हम यह निष्कर्ष निकालें कि ठोस अनिश्चितता नजर आती है तो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित करना अपेक्षित है या, हमारे मत का आशोधन करने के लिए इस तरह

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

के प्रकटीकरण अनुपयुक्त हैं। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित हैं जो लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने को रोक सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित, संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संरचना एवं विषय-वस्तु का मूल्यांकन एवं क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्हित लेनदेनों एवं घटनाओं को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसे उचित प्रदर्शन माना जाए।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित किए जा सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, ऐसे मामलों में भी उनसे सम्प्रेषण करते हैं जो गवर्नेस से प्रभारित हैं, नियोजित कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा का समय एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में अन्य महत्वपूर्ण कमियों, जिन्हें हम लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम गवर्नेस के प्रभारी को भी वचन देते हैं कि हमने वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में स्वतंत्र रूप से प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना और अन्य ऐसे मामलों में सुरक्षा से संबन्धित उचित विवरण भी प्रदान करते हैं, जो हमें उचित प्रतीत होते हैं।

चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, गवर्नेस के प्रभारी को संप्रेषित मामलों में से हम केवल उन्हीं मामलों को रिपोर्ट करते हैं, जो अधिक महत्वपूर्ण हों, इसलिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ये विशेष हैं। हम इन मामलों को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में वर्णन करते हैं, जब तक कानून या विनियमन द्वारा मामले के बारे में लोकप्रकटीकरण पर रोक न लगा दी जाए या अत्यधिक दुर्लभ मामलों में हम यह तय करते हैं कि ऐसा मामला हमारे रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं होना चाहिए जिससे कि ऐसे प्रतिकूल संप्रेषण से खातों से अपेक्षित जनहित लाभ महत्वपूर्ण साबित होने के प्रतिकूल हों।

### अन्य मामले

7. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल 2634 घरेलू शाखाओं और प्रोसेसिंग केंद्रों सहित 2 विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है जिनका वित्तीय विवरण यह बताता है कि कुल आस्तियाँ 31 मार्च, 2024 को ₹ 2,56,81,48,175.35 (हजार में) है एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 28,48,17,374.55 (हजार में) है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लिया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2024 को ये शाखाएं और कार्यालय 32.83% अग्रिम, 55.99% जमाओं, 49.76% गैर

निष्पादक आस्तियों को कवर करती हैं और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के राजस्व में इन शाखाओं का योगदान 24.58% है। इन शाखाएं वित्तीय विवरण शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित हैं और जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गयी है, एवं हमारे विचार में जहाँ तक इसका संबंध राशियों एवं प्रकटीकरण से है जिन्हें शाखाओं के संबंध में जोड़े गए हैं, पूर्ण रूप से ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

### हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है।

8. इस विवरण में शामिल 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का बैंक के छह संयुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी, जिनमें से पांच पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा फर्म थे, और उन्होंने 06 मई, 2023 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों पर एक अपरिवर्तित मत व्यक्त किए थे।

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है।

### अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं;

उपर्युक्त अनुच्छेद 5, 6 एवं 7 में निर्दिष्ट लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनीज़ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980, तथा उनमें अपेक्षित प्रकटनों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं:

ए) हमारे द्वारा अपेक्षित जानकारीयों और स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है;

बी) हमारे विचार से, हमारी जानकारी में आये बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकार में किये गए हैं; तथा

सी) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरण हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए हैं।

10. "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्तीय वर्ष 2019-20 से संवैधानिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों के लिए रिपोर्टिंग प्रतिबद्धता" के संबंध में पत्र क्र. डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 में अपेक्षित तथा जिसे उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 19 मई, 2020 को जारी सम्प्रेषण के साथ पढ़ा जाए, के

अनुसार उक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिष्ट विशेष मामलों के संबंध में हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं:

- (ए) हमारे मत में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण बनाने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है, बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों में कोई भिन्नता हो.
- (बी) हमारे मत में, ऐसे वित्तीय संव्यवहारों या मामले, जिनका विपरीत प्रभाव बैंक की कार्यप्रणाली पर पड़ता हो, के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है.
- (सी) चूंकि बैंक कंपनीज अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत नहीं है, कंपनीज अधिनियम 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) में बैंक का निदेशक होने का प्रतिबंध बैंक पर लागू नहीं है.
- (डी) खातों के रख-रखाव तथा इनसे संबन्धित मामलों में, हमारी कोई विशेष या विपरीत टिप्पणी नहीं है.
- (ई) वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ए में दिए गए हैं. दि. 31 मार्च, 2024 को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी परिचालन के संबंध में हमारे रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं है.

11. इनके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- ए) हमारे मत में, बैंक के द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुरूप विधिवत लेखे रखे गए हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक बहियाँ और विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है;
- बी) इस रिपोर्ट में प्रदर्शित तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकद प्रवाह विवरण बैंक के खातों से मेल खाते हैं और संबन्धित विवरण उन शाखाओं से प्राप्त किए गए हैं, जहां का दौरा हमने नहीं किया है;
- सी) बैंककारी नियामक अधिनियम 1949 की धारा 29 के अधीन बैंक की शाखाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा खातों से संबन्धित रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं तथा यह रिपोर्ट उन्हीं के आधार पर तैयार की गई है; और
- डी) हमारे मत में, तुलन पत्र, लाभ हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण, लागू लेखा मानकों के अनुरूप है, और वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों की सीमा से असंगत नहीं हैं.

**कृते एन बी एस & कं.**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 110100W

**कृते छाजेड & डोसी**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 101794W

**कृते जी एस माथुर & कं.**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 008744N

**सीए शरत शेटी**  
भागीदार  
सदस्य सं. 132775  
यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

**सीए नितेश जैन**  
भागीदार  
सदस्य सं. 136169  
यूडीआईएन: 24136169BKEKKY2518

**सीए राजीव कुमार वाधवन**  
भागीदार  
सदस्य सं. 091007  
यूडीआईएन: 24091007BKCFCS9770

**कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 000580S/S200066

**कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 002301C

**सीए पी. चंद्रशेखर**  
भागीदार  
सदस्य सं. 026037  
यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331  
स्थान: मुंबई  
दिनांक: 10-05-2024

**सीए वी के लाधा**  
भागीदार  
सदस्य सं. 071501  
यूडीआईएन: 24071501BKFHQE9257

## स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### अनुलग्नक "ए"—स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

(नियत तारीख को हमारे रिपोर्ट के 'अन्य विधि विषयक और नियामक अपेक्षाओं' पर रिपोर्ट के अनुभाग के तहत अनुच्छेद 10(ई) के संदर्भ में) भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के पत्र क्र.डीओएस.एआरजी.क्र.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 को जारी सम्प्रेषण (यथा संशोधित) ("आरबीआई संसूचना") की अपेक्षाओं के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट.

हमने दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बैंक) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें बैंक की इस तारीख के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी हमारी लेखापरीक्षा शामिल है.

### आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर जारी ("मार्गदर्शी नोट") में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तथ्यों पर विचार करते हुए, बैंक प्रबंधन का यह उत्तरदायित्व है कि वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित करें और उन्हें बनाए रखें. इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण मानदंड बनाना, लागू करना और उन्हें संचालित करना शामिल है, जिससे इसके कारोबार विधिवत और प्रभावी संचालित हो सके और बैंक की नीतियों का अनुपालन हो सके, इसकी आस्तियों को सुरक्षित रखा जा सके, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान और इनकी रोकथाम की जा सके, लेखांकन रिकार्ड में सटीकता और पूर्णता हो और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएँ तैयार की जा सके, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और दिशानिर्देशों में अपेक्षित हैं.

### लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत प्रकट करना हमारा उत्तरदायित्व है. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर ("मार्गदर्शी नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों (एसए) को ध्यान में रखकर हमने अपनी लेखापरीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक है. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट के अनुसार हमें नैतिक अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गये और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे हैं या नहीं.

हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रभावी परिचालन के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जांच और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है. चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर हैं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में भौतिक विसंगतियों के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से हुए हो सकते हैं.

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बैंक में एक प्रक्रिया है, जिसमें सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के तहत बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करना शामिल है. बैंक के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्न नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है (1) बैंक की आस्तियों से संबंधित संव्यवहारों का विस्तृत रूप से सटीक और उचित रिकार्ड्स के रख-रखाव करना; (2) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उचित आश्वासन कि वित्तीय विवरणों को बनाने के लिए आवश्यक संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है तथा प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुरूप बैंक प्राप्ति और व्यय किए गए हैं; तथा (3) अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग अथवा प्रवृत्ति को समय रहते रोकना और वित्तीय विवरणों को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाली बैंक की आस्तियों का पता लगाना.

### वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाओं, मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन नियंत्रण की अवहेलना, त्रुटियों के कारण तथ्य दोष या धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता

है. इसके साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पूर्वानुमान परिस्थितियों में परिवर्तन की वजह से भविष्य के जोखिमों के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में गिरावट हो सकती है.

## अभिमत

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अन्य मामलों के तहत निम्न अनुच्छेदों में शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, बैंक के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित थे.

## अन्य मामले

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का, जहां तक 2632 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी परिचालन प्रभावशीलता से संबंध है वह उन शाखाओं से संबंधित शाखा लेखापरीक्षकों की संगत रिपोर्टों पर आधारित है.

हमारी राय में इन मामलों में कोई आशोधन नहीं है.

### कृते एन बी एस & कं.

सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 110100W

### कृते छाजेड & डोसी

सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 101794W

### कृते जी एस माथुर & कं.

सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 008744N

### सीए शरत शेटी

भागीदार  
सदस्य सं. 132775  
यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

### सीए नितेश जैन

भागीदार  
सदस्य सं. 136169  
यूडीआईएन: 24136169BKEKKY2518

### सीए राजीव कुमार वाधवन

भागीदार  
सदस्य सं. 091007  
यूडीआईएन: 24091007BKCFCS9770

### कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी

सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 000580ए/ए200066

### कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार  
एफ़आरएन 002301C

### सीए पी. चंद्रशेखर

भागीदार  
सदस्य सं. 026037  
यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331  
स्थान: मुंबई  
दिनांक: 10-05-2024

### सीए वी के लाधा

भागीदार  
सदस्य सं. 071501  
यूडीआईएन: 24071501BKFQHE9257

## स्टैंडअलोन तुलन पत्र यथा

31 मार्च, 2024

विवरण	अनुसूची क्रमांक	यथा 31 मार्च, 2024	यथा 31 मार्च, 2023
(₹ 000' में)			
पूँजी एवं देयताएं			
पूँजी	1	7,63,36,056	6,83,47,475
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष	2	89,33,53,596	71,49,94,658
जमा राशियाँ	3	12,21,52,83,740	11,17,71,63,220
उधार	4	26,94,83,682	43,13,74,686
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	46,51,19,095	41,56,44,474
कुल		13,91,95,76,169	12,80,75,24,513
आस्तियां			
नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष	6	52,89,75,024	50,25,42,741
बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	7	66,40,53,736	61,89,61,793
निवेश	8	3,37,90,35,284	3,39,29,90,482
अग्रिम	9	8,70,77,60,894	7,61,84,54,577
अचल आस्तियां	10	9,22,27,802	8,82,56,071
अन्य आस्तियां	11	54,75,23,429	58,63,18,849
कुल		13,91,95,76,169	12,80,75,24,513
आकस्मिक देयताएं	12	5,82,68,10,284	6,07,80,94,194
संग्रहण के लिए बिल		50,25,28,601	43,56,67,177
प्रमुख लेखा नीतियाँ	17		
लेखा से संबंधित नोट	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

(अजय बंसल)

उप महाप्रबंधक

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अविनाश प्रभु)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(पंकज द्विवेदी)

कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)

निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)

निदेशक

(ए. मणिमेखलै)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(संजय रुद्र)

कार्यपालक निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)

निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)

कार्यपालक निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)

निदेशक

(जयदेव मद्गुला)

निदेशक

(श्रीनिवासन वरदराजन)

अध्यक्ष

(नितेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एन वी एस &amp; कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 110100W

सीए शरत शेठी

भागीदार

सदस्य सं. 132775

यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 000580S/S200066

कृते पी. चंद्रशेखर

भागीदार

सदस्य सं. 026037

यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331

स्थान: मुंबई

दिनांक 10 मई, 2024

कृते छाजेड &amp; जोसी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 101794W

सीए नितेश जैन

भागीदार

सदस्य सं. 136169

यूडीआईएन: 24136169BKEKKY2518

कृते वी के लाधा &amp; एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002301C

कृते विरेंद्र कुमार लाधा

भागीदार

सदस्य सं. 071501

यूडीआईएन: 24071501BKFQHE9257

कृते जी एस माथुर &amp; कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 008744N

सीए राजीव कुमार वाधवन

भागीदार

सदस्य सं. 091007

यूडीआईएन: 24091007BKCFCS9770

# स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	अनुसूची क्रमांक	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(₹ 000' में)			
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	99,77,79,577	80,74,33,386
अन्य आय	14	16,08,01,941	14,63,31,530
<b>कुल</b>		<b>1,15,85,81,518</b>	<b>95,37,64,916</b>
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	63,20,75,611	47,97,79,957
परिचालन व्यय	16	24,43,99,598	21,93,13,319
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय		14,56,23,243	17,03,38,863
<b>कुल</b>		<b>1,02,20,98,452</b>	<b>86,94,32,139</b>
III. वर्ष का लाभ/(हानि)			
निवेश आरक्षित खाता से अंतरण		13,64,83,066	8,43,32,777
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ/(हानि)		-	58,32,008
<b>कुल</b>		<b>14,23,15,074</b>	<b>9,01,64,785</b>
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित में अंतरण		3,41,20,766	2,10,83,194
पंजी आरक्षित में अंतरण		16,32,611	9,45,461
निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित में अंतरण		2,84,440	-
राजस्व और अन्य आरक्षित निधियों में अंतरण		6,47,57,402	3,40,30,807
धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित में अंतरण		66,79,000	60,00,000
निवेश आरक्षित खाता		15,27,866	17,69,006
प्रस्तावित लाभांश		2,74,80,980	2,05,04,309
लाभ एवं हानि लेखे में शेष		58,32,008	58,32,008
<b>कुल</b>		<b>14,23,15,074</b>	<b>9,01,64,785</b>
प्रति शेयर आय (बेसिक एवं डाइल्यूटेड) (अंकित मूल्य रु.10/प्रत्येक)		18.95	12.34
प्रमुख लेखा नीतियां	17		
लेखा से संबंधित नोटस	18		

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाता का अभिन्न अंग हैं।

(अजय बंसल)

उप महाप्रबंधक

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(पंकज द्विवेदी)

कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)

निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)

निदेशक

(ए. मणिमखलै)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(संजय रुद्र)

कार्यपालक निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)

निदेशक

(अविनाश प्रभु)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(रामसुब्रमणियन एस)

कार्यपालक निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)

निदेशक

(जयदेव मद्गुला)

निदेशक

(श्रीनिवासन वरदराजन)

अध्यक्ष

(नितेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एन वी एस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 110100W

सीए शरत शेटी

भागीदार

सदस्य सं. 132775

यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 000580S/S200066

कृते पी. चंद्रशेखर

भागीदार

सदस्य सं. 026037

यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331

स्थान: मुंबई

दिनांक 10 मई, 2024

कृते छाजेड & डोसी

सनदी लेखाकार

एफआरएन101794W

सीए नितेश जैन

भागीदार

सदस्य सं. 136169

यूडीआईएन: 24136169BKEKY2518

कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002301C

कृते विरेंद्र कुमार लाधा

भागीदार

सदस्य सं. 071501

यूडीआईएन: 24071501BKFQHE9257

कृते जी एस माथुर & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 008744N

सीए राजीव कुमार वाधवन

भागीदार

सदस्य सं. 091007

यूडीआईएन: 24091007BKFCFS9770

## स्टैंडअलोन तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2024

	(₹ 000' में)	
	यथा 31 मार्च, 2024	यथा 31 मार्च, 2023
<b>अनुसूची 1 - पूँजी :</b>		
I. प्राधिकृत:		
रु.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष रु.10 प्रति शेयर की दर से 10,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	10,00,00,000	10,00,00,000
II. निर्गमित, अभिदत्त, कॉल्ड अप एवं चुकता :		
i. रु.10 प्रति शेयर की दर से 570,66,60,850 इक्विटी शेयर भारत सरकार द्वारा धारित (पिछले वर्ष 570,66,60,850 इक्विटी शेयर)	5,70,66,609	5,70,66,609
ii. रु.10 प्रति शेयर की दर से 1,92,69,44,757 इक्विटी शेयर जनता द्वारा धारित (पिछले वर्ष 112,80,86,616 इक्विटी शेयर)	1,92,69,447	1,12,80,866
घटाएँ: काल्स अप्रदत्त	-	-
जोड़ें: जबा शेयर	-	-
<b>कुल</b>	<b>7,63,36,056</b>	<b>6,83,47,475</b>

	(₹ 000' में)	
	यथा 31 मार्च, 2024	यथा 31 मार्च, 2023
<b>अनुसूची 2 - आरक्षित निधियां एवं अधिशेष :</b>		
I. सांविधिक आरक्षित:		
प्रारंभिक शेष	16,73,72,095	14,62,88,901
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,41,20,766	2,10,83,194
वर्ष के दौरान कमी	20,14,92,861	16,73,72,095
II. पूँजी आरक्षित:		
i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित:		
प्रारंभिक शेष	6,13,24,225	4,75,70,741
वर्ष के दौरान वृद्धि	81,343	1,51,92,862
वर्ष के दौरान कमी	49,61,394	14,39,378
	5,64,44,174	6,13,24,225
ii) पूँजी आरक्षित:		
प्रारंभिक शेष	5,98,70,300	5,89,24,839
वर्ष के दौरान वृद्धि	16,32,611	9,45,461
	6,15,02,911	5,98,70,300
iii) समामेलन समायोजन आरक्षित	1,30,95,979	13,10,43,064
1,30,95,979	13,10,43,064	1,30,95,979
13,42,90,504		13,42,90,504
III. शेयर प्रीमियम :		
प्रारंभिक शेष	18,34,11,800	18,34,11,800
वर्ष के दौरान वृद्धि	7,20,11,419	-
वर्ष के दौरान कमी	2,91,432	-
	25,51,31,787	18,34,11,800

(₹ 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024		यथा 31 मार्च, 2023	
<b>IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षित :</b>				
<b>i) राजस्व आरक्षित :</b>				
प्रारंभिक शेष	14,48,53,976		10,83,72,439	
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,69,68,326		3,64,81,537	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
<b>कुल</b>	<b>21,18,22,302</b>		<b>14,48,53,976</b>	
<b>ii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित</b>				
प्रारंभिक शेष	6,62,98,789		6,02,98,789	
वर्ष के दौरान वृद्धि	66,79,000		60,00,000	
<b>कुल</b>	<b>7,29,77,789</b>		<b>6,62,98,789</b>	
<b>iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि</b>				
प्रारंभिक शेष	(24,21,580)		30,319	
वर्ष के दौरान वृद्धि	6,05,047		40,439	
वर्ष के दौरान कमी	2,99,054		24,92,338	
<b>कुल</b>	<b>(21,15,587)</b>		<b>(24,21,580)</b>	
<b>iv) निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित:</b>				
प्रारंभिक शेष	1,35,29,575		1,93,61,583	
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,84,440		-	
वर्ष के दौरान कमी	-		58,32,008	
	<b>1,38,14,015</b>		<b>1,35,29,575</b>	
<b>v) निवेश आरक्षित खाता</b>				
प्रारंभिक शेष	17,69,006		-	
वर्ष के दौरान वृद्धि	15,27,866		17,69,006	
वर्ष के दौरान कमी	-		-	
	<b>32,96,872</b>		<b>17,69,006</b>	
<b>v. एफएक्स स्वैप पर विशेष आरक्षित लाभ</b>	<b>58,485</b>	<b>29,98,53,876</b>	<b>58,485</b>	<b>22,40,88,251</b>
<b>VI. लाभ हानि खाते में शेष</b>		<b>58,32,008</b>		<b>58,32,008</b>
<b>कुल</b>		<b>89,33,53,596</b>		<b>71,49,94,658</b>
<b>अनुसूची 3 - जमाराशियां :</b>				
<b>ए.</b>				
<b>I. मांग जमाराशियां</b>				
i) बैंकों से	74,28,822		1,75,66,930	
ii) अन्य से	73,04,19,109	73,78,47,931	72,22,34,695	73,98,01,625
<b>II. बचत बैंक जमाराशियां</b>		3,36,34,89,147		3,20,07,52,745
<b>III. मीयादी जमाराशियां</b>				
i) बैंकों से	24,66,77,161		17,64,32,725	
ii) अन्य से	7,86,72,69,501	8,11,39,46,662	7,06,01,76,125	7,23,66,08,850
<b>कुल</b>		<b>12,21,52,83,740</b>		<b>11,17,71,63,220</b>
<b>बी.</b>				
i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां		11,99,19,73,942		11,06,08,94,903
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां		22,33,09,798		11,62,68,317
<b>कुल</b>		<b>12,21,52,83,740</b>		<b>11,17,71,63,220</b>

**स्टैंडअलोन तुलन पत्र के  
भाग के रूप में अनुसूचियां**

(₹ 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024		यथा 31 मार्च, 2023	
<b>अनुसूची 4 – उधार :</b>				
I) भारत में उधार				
ए. भारतीय रिजर्व बैंक	-		13,38,20,000	
बी. अन्य बैंक	1,45,500		-	
सी. अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियां	4,81,69,788		2,30,94,294	
डी. बेमीयादी बॉन्ड्स- टियर I	9,68,80,000		9,68,80,000	
ई. गौण बॉन्ड्स- टियर II	7,95,00,000	22,46,95,288	9,95,00,000	35,32,94,294
II) भारत से बाहर उधार		4,47,88,394		7,80,80,392
<b>कुल</b>		<b>26,94,83,682</b>		<b>43,13,74,686</b>
उपर्युक्त I & II में सम्मिलित जमानती उधार		-		13,90,42,858
<b>अनुसूची 5 – अन्य देयताएं एवं प्रावधान :</b>				
I. देय बिल		2,60,52,539		2,64,97,502
II. उपचित ब्याज		5,25,15,587		5,97,92,681
III. अन्य* (प्रावधान सहित)		38,65,50,969		32,93,54,291
<b>कुल</b>		<b>46,51,19,095</b>		<b>41,56,44,474</b>
*मानक आस्तियों हेतु प्रावधान सहित ₹ 5,97,73,786 (पिछले वर्ष ₹ 5,57,95,524)				
<b>अनुसूची 6 – नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक में जमा शेष:</b>				
I. धारित नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं स्वर्ण सहित)		2,27,16,899		2,83,88,225
II. भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (ए) चालू खाते में (बी) अन्य खातों में		50,62,58,125		47,41,54,516
<b>कुल</b>		<b>52,89,75,024</b>		<b>50,25,42,741</b>
<b>अनुसूची 7 – बैंकों में जमा शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि:</b>				
I. भारत में				
i) बैंकों में शेष				
ए) चालू खातों में	35,53,325		56,30,727	
बी) अन्य जमा खातों में	37,97,553		5,77,33,962	
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि				
ए) बैंकों से	-		5,00,000	
बी) अन्य संस्थाओं से	34,51,28,862		31,23,03,614	
<b>कुल (i और ii)</b>		<b>35,24,79,740</b>		<b>37,61,68,303</b>
II. भारत के बाहर				
i) चालू खातों में	50,93,983		39,25,300	
ii) अन्य जमा खातों में	30,64,80,013		23,88,68,190	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-		-	
<b>कुल (i, ii और iii)</b>		<b>31,15,73,996</b>		<b>24,27,93,490</b>
<b>कुल योग (I और II)</b>		<b>66,40,53,736</b>		<b>61,89,61,793</b>

	यथा 31 मार्च, 2024		यथा 31 मार्च, 2023	
(₹ 000' में)				
<b>अनुसूची 8 - निवेश:</b>				
I. भारत में निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में		2,73,25,02,480		2,60,25,15,576
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-		-
iii) शेयरों में		2,22,26,132		2,04,13,250
iv) डिबेंचर एवं बॉन्ड में		56,24,84,247		63,15,34,188
v) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		38,88,095		38,88,095
vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल, प्रतिभूति रसीदों आदि में)		2,73,38,680		10,55,57,112
<b>कुल</b>		<b>3,34,84,39,634</b>		<b>3,36,39,08,221</b>
II. भारत से बाहर निवेश				
i) सरकारी प्रतिभूतियों में (स्थानीय प्राधिकारियों सहित)		1,91,46,683		1,72,90,809
ii) सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उपक्रमों में		1,14,42,157		1,14,55,962
iii) अन्य निवेश (बॉन्ड में)		6,810		3,35,490
<b>कुल</b>		<b>3,05,95,650</b>		<b>2,90,82,261</b>
<b>कुल (I और II)</b>		<b>3,37,90,35,284</b>		<b>3,39,29,90,482</b>
III. i) भारत में निवेश				
सकल मूल्य		3,43,56,28,809		3,44,22,02,551
मूल्य हास हेतु प्रावधान		8,71,89,175		7,82,94,330
<b>निवल मूल्य</b>		<b>3,34,84,39,634</b>		<b>3,36,39,08,221</b>
ii) भारत से बाहर निवेश				
सकल मूल्य		3,07,64,527		2,93,43,600
मूल्य हास हेतु प्रावधान		1,68,877		2,61,339
<b>निवल मूल्य</b>		<b>3,05,95,650</b>		<b>2,90,82,261</b>
<b>कुल (III)</b>		<b>3,37,90,35,284</b>		<b>3,39,29,90,482</b>

	यथा 31 मार्च 2024		यथा 31 मार्च 2023	
(₹ 000' में)				
<b>अनुसूची 9 - अग्रिम (निवल)</b>				
ए.				
i) खरीदे और भुनाए गए बिल		3,59,04,447		3,29,53,001
ii) केश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकौती ऋण		4,33,95,85,805		3,48,54,48,344
iii) मीयादी ऋण		4,33,22,70,642		4,10,00,53,232
<b>कुल</b>		<b>8,70,77,60,894</b>		<b>7,61,84,54,577</b>
बी.				
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत*		7,21,91,31,031		6,23,77,30,877
ii) बैंक/ सरकारी गारंटियों द्वारा प्रतिभूत		5,92,61,079		12,26,93,689
iii) प्रतिभूत-रहित		1,42,93,68,784		1,25,80,30,011
<b>कुल</b>		<b>8,70,77,60,894</b>		<b>7,61,84,54,577</b>

\* बही ऋण के सापेक्ष के अग्रिम सहित ₹ 95,93,76,884 (विगत वर्ष ₹ 88,79,31,907)

**स्टैंडअलोन तुलन पत्र के  
भाग के रूप में अनुसूचियां**

	यथा 31 मार्च 2024	यथा 31 मार्च 2023
<b>सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण</b>		
<b>I. भारत में अग्रिम:</b>		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	3,19,08,13,692	2,85,85,94,969
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	1,23,56,53,929	81,73,80,496
iii) बैंक	8,66,18,664	6,33,569
iv) अन्य	3,90,54,46,869	3,71,91,49,598
<b>कुल</b>	<b>8,41,85,33,154</b>	<b>7,39,57,58,632</b>
<b>II. भारत के बाहर अग्रिम:</b>		
i) बैंकों से प्राप्य	6,14,80,610	4,91,50,582
ii) अन्य से प्राप्य		
ए) खरीदे एवं भूनाए गए बिल	4,31,509	3,86,506
बी) सिंडीकेटेड ऋण	-	-
सी) अन्य	22,73,15,621	17,31,58,857
<b>कुल सी.(I)+सी(II)</b>	<b>28,92,27,740</b>	<b>22,26,95,945</b>
<b>कुल</b>	<b>8,70,77,60,894</b>	<b>7,61,84,54,577</b>

(₹ 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024		यथा 31 मार्च, 2023	
<b>अनुसूची 10 – अचल आस्तियां :</b>				
<b>I. परिसर</b>				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	9,58,10,991		8,08,71,144	
वर्ष के दौरान वृद्धि	13,61,467		2,16,56,329	
वर्ष के दौरान कमी	30,64,770		67,16,482	
	<b>9,41,07,688</b>		<b>9,58,10,991</b>	
आज की तारीख तक मूल्यहास	2,95,87,143	6,45,20,545	2,75,63,468	6,82,47,523
<b>II. अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्चर्स सहित)</b>				
<b>ए. प्रकियाधीन पूंजीगत कार्य</b>				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	2,05,438		3,60,997	
वर्ष के दौरान वृद्धि	3,10,576		1,08,106	
वर्ष के दौरान कमी	1,68,980	3,47,034	2,63,665	2,05,438
<b>बी. भूमि</b>				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	36,34,968		24,98,636	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		12,33,904	
वर्ष के दौरान कमी	1,15,305		97,572	
	<b>35,19,663</b>		<b>36,34,968</b>	
घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधित	11,56,731	23,62,932	7,02,457	29,32,511
<b>सी. पट्टे पर दी गयीं आस्तियां</b>				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	2,65,352		2,65,352	
आज की तारीख तक मूल्यहास	2,65,352	-	2,65,352	-
<b>डी. अन्य</b>				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	7,43,75,518		6,86,74,933	
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,28,89,639		69,39,880	
वर्ष के दौरान कमी	20,72,977		12,39,295	
	<b>8,51,92,180</b>		<b>7,43,75,518</b>	
आज की तारीख तक मूल्यहास	6,24,37,938	2,27,54,242	5,93,53,695	1,50,21,823
<b>ई. कंप्यूटर साफ्टवेयर</b>				
पिछले वर्ष यथा 31 मार्च के अनुसार लागत पर	1,18,10,459		1,20,83,338	
वर्ष के दौरान वृद्धि	17,41,470		8,77,862	
वर्ष के दौरान कमी	12,15,455		11,50,741	
	<b>1,23,36,474</b>		<b>1,18,10,459</b>	
घटाएं: आज की तारीख तक परिशोधन	1,00,93,425	22,43,049	99,61,683	18,48,776
<b>कुल (I और II)</b>		<b>9,22,27,802</b>		<b>8,82,56,071</b>

(₹ 000' में)

	यथा 31 मार्च, 2024		यथा 31 मार्च, 2023	
<b>अनुसूची 11 – अन्य आस्तियां :</b>				
I. अंतर कार्यालयीन समायोजन (निवल)		1,70,28,198		2,20,20,700
II. उपचित ब्याज		10,73,45,648		9,08,48,858
III. स्रोत पर प्रदत्त कर/कर की कटौती(प्रावधान का निवल)		7,10,21,069		6,73,41,164
IV. लेखन सामग्री एवं स्टांप		61,852		62,780
V. दावों के समाधान से अर्जित गैर-बैंककारी आस्तियां		1,334		1,334
VI. अन्य*		31,49,60,381		27,43,38,697
VII. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)		3,71,04,947		8,65,97,447
VIII. एमएटी क्रेडिट पात्रता		-		4,51,07,869
<b>कुल</b>		<b>54,75,23,429</b>		<b>58,63,18,849</b>
**नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में रखी गयी राशि ₹ 8,74,69,761 ( पिछले वर्ष ₹ 10,61,55,991)				
<b>अनुसूची 12 – आकस्मिक देयताएं :</b>				
I. बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		2,06,75,020		3,02,01,462
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं		-		-
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं		3,71,46,30,000		4,13,13,28,582
IV. घटकों की ओर दी गयी गारंटी				
ए) भारत में	69,48,36,138		66,40,64,012	
बी) भारत से बाहर	67,39,785	70,15,75,923	1,42,21,966	67,82,85,978
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व		1,06,65,96,474		99,64,00,071
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक देय है				
i) अपील के अधीन विवादास्पद कर मांग		28,74,07,271		20,98,89,819
ii) पूंजी प्रतिबद्धता		13,26,533		लागू नहीं
iii) डी ई ए निधी योजना - 2014 में अंतरित राशि		3,45,99,063		3,19,88,282
<b>कुल</b>		<b>5,82,68,10,284</b>		<b>6,07,80,94,194</b>
<b>उगाही हेतु बिल</b>		<b>50,25,28,601</b>		<b>43,56,67,177</b>

# स्टैंडअलोन लाभ एवं हानि खाते के रूप में अनुसूचियां

यथा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(₹ 000' में)		
<b>अनुसूची 13 – अर्जित ब्याज :</b>		
I. अग्रिमों पर ब्याज/ बिलों पर बट्टा	71,97,10,273	56,76,01,357
II. निवेशों से आय	22,46,74,253	21,35,50,354
III. भारतीय रिजर्व बैंक के जमा शेषों और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	4,85,48,649	2,11,68,449
IV. अन्य	48,46,402	51,13,226
<b>कुल</b>	<b>99,77,79,577</b>	<b>80,74,33,386</b>
<b>अनुसूची 14 – अन्य आय :</b>		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	2,38,03,148	2,15,14,101
II. निवेशों की बिक्री से लाभ (निवल)	1,63,79,176	79,80,536
III. निवेश के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	29,23,962	28,51,483
IV. भूमि, बिल्डिंग एवं अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ/ हानि - (निवल)	21,653	(14,860)
V. विनिमय लेनदेन से लाभ (निवल)	91,88,081	81,30,829
VI. विदेश / भारत में सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	15,314	3,250
VII. विविध आय	10,84,70,607	10,58,66,191
<b>कुल</b>	<b>16,08,01,941</b>	<b>14,63,31,530</b>
<b>अनुसूची 15 – व्यय किया गया ब्याज :</b>		
I. जमाराशियों पर ब्याज	58,50,43,934	44,34,00,344
II. भारतीय रिजर्व बैंक/ अंतर बैंक उधारी पर ब्याज	2,98,09,349	1,84,28,879
III. अन्य	1,72,22,328	1,79,50,734
<b>कुल</b>	<b>63,20,75,611</b>	<b>47,97,79,957</b>
<b>अनुसूची 16 – परिचालन व्यय :</b>		
I. कर्मचारियों को किए गए भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	14,37,71,789	12,38,97,058
II. किराया, कर और प्रकाश व्यवस्था	1,09,02,546	1,06,77,413
III. प्रिंटिंग और स्टेशनरी	12,56,808	11,38,303
IV. विज्ञापन और प्रचार	14,21,651	11,70,445
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास	89,09,763	73,71,511
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	20,219	14,278
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखापरीक्षकों सहित)	6,29,968	6,89,129
VIII. विधिक प्रभार	17,35,407	16,29,256
IX. डाक खर्च, तार एवं टेलीफोन आदि	39,78,948	32,04,977
X. मरम्मती एवं रखरखाव	34,49,821	36,09,658
XI. बीमा	1,41,96,102	1,53,61,120
XII. अन्य व्यय	5,41,26,576	5,05,50,171
<b>कुल</b>	<b>24,43,99,598</b>	<b>21,93,13,319</b>

# वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्टैंडअलोन आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

(तुलन पत्र के भाग के प्रारूपण हेतु अनुसूची 17 के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के लिए)

## 1. प्रस्तुति का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक सम्मेलन, लेखांकन के संचयी आधार के तहत तैयार और प्रस्तुत किए गए हैं, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और चिंता की अवधारणा का पालना किया गया हो। वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में उपयोग की गई बैंक की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएपी), भारतीय रिजर्व बैंक (भारिबै), द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देश, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मानक लेखांकन (एस) तथा भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है।

## 2. अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधन से अपेक्षित है कि वित्तीय विवरणों की तारीख को आस्तियों व देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) में रिपोर्ट किए गए राशियों एवं रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आय और व्यय के संबंध में अनुमान/आकलन लगाएं। प्रबंधन को विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त किये गये अनुमान विवेकपूर्ण एवं युक्तिसंगत हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर की पहचान ज्ञात परिणाम अवधि के दौरान होती है।

## 3. राजस्व की पहचान

- जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यतः उपचय आधार पर की गई है।
- गैर निष्पादक आस्तियों (एनपीए) पर आय की पहचान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, वसूल की गई सीमा तक की गई है। पिछले वर्ष अप्राप्त आय की गणना और बची हुई अप्राप्त आय की गणना वर्ष के दौरान एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत आस्ति के रूप में की गई है।
- गारंटी पत्र / साख पत्र पर कमीशन की गणना उपचय के आधार पर की गई है।

- विनिमय एवं ब्रोकरेज, सुरक्षित जमा लॉकरों का किराया, आधार कार्ड से आय आदि प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किए गए हैं।
- “परिपक्वता तक धारित” (एचटीएम) श्रेणी के निवेशों पर प्राप्त आय (ब्याज के अतिरिक्त) की पहचान, अंकित मूल्य पर छूट के आधार पर निम्नानुसार की गई है:
  - ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय, केवल विक्रय/ शोधन के समय ही प्राप्त मानी गई है।
  - शून्य कूपन प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, निरंतर प्राप्ति के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।
- जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है, वहां लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गई है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए बिक्री को लेखांकित किया गया है।
- आयकर विभाग से सूचना आदेश प्राप्त होने पर आयकर वापसी पर ब्याज की गणना की गई है।

## 4. वसूली का विनियोजन :

ओटीएस / एनसीएलटी के अलावा अन्य माध्यमों से वसूली निम्नानुसार विनियोजित होगी:

- जब देनदार और लेनदार के बीच कोई समझौता नहीं होता है कि देनदार द्वारा भुगतान किए गए धन को लेनदार द्वारा कैसे विनियोजित किया जाना आवश्यक है, तो विनियोजन का क्रम निम्नानुसार होगा :

### मियादी ऋण हेतु :

- व्यय एवं लागत आदि के लिए।
- एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए।

## वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्टैंडअलोन आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज).
- वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए.
- चल रहे खाता-बही शेष के लिए.

### चल रहे खातों के लिए:

- व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज) सहित एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- मूलधन के लिए

4.2. यदि उधारकर्ता उपर्युक्त से भिन्न विनियोजन की शर्तों का अनुबंध करता है और यदि विनियोजन की ऐसी भिन्न शर्तें बैंक द्वारा स्वीकार की जाती हैं तो वसूली का विनियोजन स्वीकृत शर्तों के अनुसार होगा.

4.3. ओटीएस एवं सभी एनसीएलटी खातों के मामले में, वसूली या संकल्प/परिसमापन के माध्यम से

वसूली का विनियोजन यहाँ चर्चा के अनुसार या मंजूरी शर्तों के अनुसार किया जाना है

- मूल में
- छद्म खाता-बही में धारित ब्याज में (अनप्रयुक्त ब्याज)
- एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- व्यय एवं लागत आदि के लिए.

4.4. गैर निष्पादित निवेश वसूली के मामले में वितरण निम्नानुसार किया जाएगा :

- ए. व्यय एवं लागत आदि के लिए.
- बी. एनपीए की तिथि को वापस न वसूले गए ब्याज के लिए.
- सी. छद्म खाता-बही में धारित ब्याज (अनप्रयुक्त ब्याज)
- डी. वसूली की तिथि तक मूलधन / ईएमआई की बकाया राशि के लिए
- ई. चल रहे खाता-बही शेष के लिए

## 5. नकदी प्रवाह विवरण:

बैंक का नकदी प्रवाह विवरण एएस-3. के अनुसार तैयार किया जाता है. नकदी प्रवाह विवरण मुख्य रूप से वर्गीकृत है:

- 5.1. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.
- 5.2. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में निवेश से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.
- 5.3. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह: इस गतिविधि में वित्तीय लिखत से सृजित नकदी प्रवाह शामिल है.

## 6. निवेश

6.1. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रारूप ए की अपेक्षाओं के अनुरूप, निवेशों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- 6.1.1. सरकारी प्रतिभूतियां
- 6.1.2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- 6.1.3. शेयर
- 6.1.4. ऋण पत्र एवं बांड
- 6.1.5. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश, एवं
- 6.1.6. अन्य निवेश

बैंक के निवेश पोर्टफोलियो को, भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र क्र. डीओआर.एमआरजी.42/21.04.141 / 201-22 दिनांक 25 अगस्त, 2021 के दिशानिर्देशों के अधीन (दिनांक 23 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2022, 08 अप्रैल 2022 तथा 08 दिसंबर 2022 को अद्यतित) पुनः निम्नलिखित 3 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है. यथा

- ए) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- बी) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- सी) व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)

6.2. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए गए हैं

6.2.1. "एचटीएम" में धारित प्रतिभूतियां अधिग्रहण लागत पर

6.2.1.1. अधिग्रहण लागत, अंकित मूल्य से अधिक होने की स्थिति में, परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित हैं तथा बड़े की दशा में, इसे आय नहीं माना गया है.	डी वरीयता शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशा-निर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर, लेकिन शोधन मूल्य से अधिक नहीं
6.2.1.2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.	इ ऋण पत्र/बांड्स	यदि उल्लिखित हो, तो बाजार मूल्य पर या एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशानुसार परिपक्वता पर समुचित आय के आधार पर
6.2.1.3. अनुषंगी इकाइयों एवं संयुक्त उपक्रम में निवेश संवहन लागत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है.	एफ म्युचुअल फंड (एमएफ)	स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन के अनुसार, यदि हों. अनकोटेड इकाइयों की स्थिति में, म्युचुअल फंड द्वारा घोषित नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य के अनुसार. यदि नवीनतम पुनर्खरीद मूल्य घोषित न हो, तो शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के अनुसार
6.2.1.4. सहायक/ संयुक्त उपक्रमों में अपने निवेश मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य कमी, जिन्हें एचटीएम में शामिल किया गया है, को प्रदान किया जाएगा.	जी राजकोषीय बिल / जमा प्रमाणपत्र / वाणिज्यिक पत्र	संवहन लागत पर
6.2.2. "एफएस" तथा "एचएफटी" श्रेणी में धारित प्रतिभूतियां	एच उद्यम पूंजी निधियाँ (वीसीएफ)	घोषित एनएवी पर अथवा लेखापरीक्षित तुलन पत्र, जो 18 माह से अधिक पुरानी न हो, के अनुसार विश्लेषित एनएवी, यदि एनएवी/लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण लगातार 18 माह से उपलब्ध न हों, तो ₹1/- प्रति वीसीएफ के अनुसार
6.2.2.1. "एफएस"(बिक्री के लिए उपलब्ध) एवं "एचएफटी" (व्यापार के लिए धारित) श्रेणी में धारित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन वर्गवार एवं स्क्रिप-वार किया गया है और प्रत्येक वर्गीकरण में किसी प्रकार का शुद्धहास, लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है, जबकि किसी प्रकार की शुद्ध वृद्धि को अनदेखा किया गया है.	आई प्रतिभूति रसीदें	इसका मूल्यांकन 25 अगस्त, 2021 के वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के स्थान, मूल्यांकन और संचालन पर आरबीआई के दिशानिर्देशों (आरबीआई/डीओआर/2021-22/81 डीओआर. एमजीआर.42/21.04.141/2021-22) के अनुसार किया जाएगा और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा.
6.2.2.2. प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है:		
ए भारत सरकार की फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट प्रतिभूतियां (केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां)	लिमिटेड (एफबीआईएल) के कोटेशन के अनुसार	
बी राज्य विकास ऋण, राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियां, पीएसयू बांड	एफआईएमएमडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, परिपक्वता पर समुचित प्राप्तियों के आधार पर	
सी इक्विटी शेयर	यदि उल्लिखित हों, तो बाजार मूल्य पर, अन्यथा अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र (18 माह से अधिक पुराना न हो) के अनुसार बही मूल्य पर, दोनों की अनुपस्थिति में ₹1/- प्रति कंपनी के अनुसार. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर बही मूल्य की गणना जाती है.	
	6.3. अंतर बैंक/भारिबैं रेपो तथा अंतर बैंक/भारिबैं रिवर्स रेपो लेनदेन का लेखांकन, भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान दिशानिर्देश के अनुसार किया गया है.	
	6.4. भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में प्रतिभूतियों की शिफ्टिंग निम्नानुसार की गई है :	

## वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्टैंडअलोन आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

- 6.4.1. एएफएस / एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में यथा शिफ्ट की तिथि पर पुस्तकीय मूल्य के निचले स्तर पर अथवा बाजार मूल्य पर. यदि कोई ह्रास है, तो लगाया गया है
- 6.4.2. एचटीएम श्रेणी से एएफएस / एचएफटी श्रेणी में
- 6.4.2.1. यदि परिपक्वता तक धारित श्रेणी में प्रतिभूति मूलतः डिस्काउंट पर हो तो, अधिग्रहण लागत / बही मूल्य पर
- 6.4.2.2. यदि प्रतिभूति मूलतः प्रीमियम पर हो, तो परिशोधित लागत पर.
- इस प्रकार शिफ्ट की गई प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है और इसके परिणाम रूप मूल्य में होने वाली कमी के लिए पूरा प्रावधान किया गया है.
- 6.4.3. एएफएस (विक्रय के लिये उपलब्ध) से एचएफटी (ट्रेडिंग के लिये धारित) श्रेणी में या इसके विपरीत, बही मूल्य पर.
- 6.5. गैर निष्पादक निवेश की पहचान की गई है और भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य ह्रास/प्रावधान किया गया है (निवल मूल्यवृद्धि की उपेक्षा).
- 6.6. किसी भी श्रेणी के निवेश की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को, लाभ और हानि खाते में लिया जाता है. तथापि, एचएमटी (परिपक्वता तक धारित) श्रेणी के निवेश की बिक्री से लाभ होने पर, लाभ के बराबर राशि (कर और सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरित राशि घटाकर शेष राशि) आरक्षित पूँजी खाते में समायोजित की गई है.
- 6.7. प्रतिभूतियों पर कमीशन, दलाली, प्रतिभूतियों पर बीच की अवधि का ब्याज आदि, लाभ और हानि खाते को जमा/नामे की गई है.
- 6.8. इक्विटी की खरीद और बिक्री पर भुगतान किए गए ब्रोकरेज और एसटीटी को सौदे की कीमत में शामिल किया गया है.
- 6.9. एचटीएम प्रतिभूतियों पर प्रीमियम के परिशोधन की गणना सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके की गई है.
- 6.10. निवेश पोर्टफोलियो के लेखांकन के लिए बैंक भारित औसत मूल्य (डबल्यूएपी) का अनुसरण कर रहा है.
- 6.11. भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, निवेश संव्यवहारों के लेखांकन के लिए बैंक द्वारा 'निपटान तिथि' का पालन किया जाता है.
- 6.12. म्यूचुअल फंड जोखिम पूँजी और प्रतिभूति रसीद की इकाइयों से होने वाली आय को नकदी आधारी माना जाता है.
- 6.13. डेरीवेटिव संविदा
- 6.13.1. वित्तीय विवरण में ब्याज वहन करने वाली आस्ति अथवा देयता को संरक्षण देने वाली ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) उपचित आधार पर लगाई गई है सिवाय उन स्वैप नामित आस्तियों और देयताओं के, जिन्हें बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य, दोनों में जो कम हो, पर लिया गया है. स्वैप की समाप्ति पर लाभ या हानि का स्वैप की शेष संविदा अवधि अथवा आस्ति/देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार निर्धारित किया गया है.
- 6.13.2. ट्रेडिंग स्वैप संव्यवहार वित्तीय विवरण में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार दर पर मार्क किये गए हैं (यदि कोई लाभ हो तो अनदेखा किया जाए)
- 6.13.3. विकल्प संविदाओं के मामले में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा समय-समय पर आय की पहचान, प्रीमियम और बट्टे से संबंधित जारी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है.
- 6.13.4. विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन पर अर्जित अंतरपणन आय की गणना विनिमय लेनदेन श्रेणी पर लाभ/हानि में की जाती है

## 7. अग्रिम

7.1. सभी अग्रिमों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- 7.1.1. मानक
- 7.1.2. अवमानक
- 7.1.3. संदिग्ध और

#### 7.1.4. हानि आस्तियां

ऐसे अग्रिमों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर परिपत्र आरबीआई/2023-2024/06 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.3/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2023 के शर्तानुसार विद्यमान विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप आवश्यक प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।

7.2. भारिबै द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर ही अग्रिमों एवं ऋणों को निष्पादित एवं गैरनिष्पादित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ऋण आस्तियां गैरनिष्पादित आस्तियां (एनपीए) में तभी वर्गीकृत होती है जब :

7.2.1. मियादी ऋण के संबंध में, जब मूलधन का ब्याज और/अथवा किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो;

7.2.2. ओवरड्राफ्ट या नकदी ऋण अग्रिम के संबंध में यदि खाता " अनियमित रहता " है यथा

7.2.2.1. यदि नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से निरंतर 90 दिनों की अवधि के लिए अधिक हो

7.2.2.2. यदि निरंतर 90 दिनों की अवधि हेतु तुलन पत्र की अवधि तक कोई जमा न हों अथवा यदि उक्त अवधि हेतु खाते में देय ऋण को चुकाने हेतु खाते में पर्याप्त ऋण उपलब्ध न हों, या

7.2.2.3. नकदी ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में बकाया शेष राशि, मंजूरी सीमा/ आहरण शक्ति से कम हो लेकिन पिछले 90 दिनों की अवधि के दौरान डेबिट ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त न हो।

7.2.3. खरीदे गए/ रियायती बिलों के संदर्भ में, 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बिल अतिदेय रहते है।

7.2.4. अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां दो मौसमी फसलों के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं।

7.2.5. लंबी अवधि के फसल के लिए कृषि अग्रिम के संबंध में, जहां एक मौसमी फसल के लिए ब्याज या मूलधन की किश्तें अतिदेय रहती हैं।

7.2.6. एक कार्यशील पूंजी उधार खाता एनपीए हो जाएगा यदि खाते में इस तरह के अनियमित आहरण को 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए अनुमति दी गई हो भले ही इकाई कार्यशील हो या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

7.2.7. एक खाता जहां नियत तिथि / तदर्थ मंजूरी की तिथि से 180 दिनों के भीतर नियमित / तदर्थ क्रेडिट सीमा की समीक्षा / नवीकरण नहीं किया गया है, उसे एनपीए माना जाएगा।

7.2.8. भारतीय रिजर्व बैंक (मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण) के निर्देश 2021 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है।

7.2.9. डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, अतिदेय प्राप्तियां डेरिवेटिव अनुबंध के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है, यदि भुगतान के लिए निर्दिष्ट नियत तिथि से 90 दिनों की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया है।

7.2.10. ऐसे खाते जहां उधारकर्ता द्वारा प्रतिभूति के मूल्य में कमी / धोखाधड़ी की गई है।

7.2.10.1. उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी या प्रतिभूति की अनुपलब्धता और उधारकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ी जैसे अन्य कारणों की मौजूदगी के कारण वसूली के लिए संभावित खतरे हैं उन खातों को आस्ति वर्गीकरण के विभिन्न चरणों से गुजरना विवेकपूर्ण नहीं होगा। ऐसी गंभीर ऋण हानि

**वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्टैंडअलोन आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां**

के मामलों में आस्ति को सीधे तौर पर उपयुक्त रूप में संदिग्ध या हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

पुनर्गठन के संदर्भ में बैंक इस संबंध में आवश्यक प्रावधान बनाए रखेगा.

7.2.10.2. प्रतिभूति के मूल्य में कमी को महत्वपूर्ण माना जा सकता है जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा मूल्यांकित या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार अंतिम निरीक्षण जैसा भी मामला हो, के समय निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत से कम हो, जैसा भी मामला हो. ऐसे एनपीए को सीधे तौर पर संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है.

7.3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर एनपीए को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्तियों में बांटा गया है :

7.3.1. अवमानक: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए गैर-निष्पादक रही है.

7.3.2. संदिग्ध: ऐसी ऋण आस्ति, जो 12 महीनों तक अवमानक श्रेणी में रही है.

7.2.10.3. यदि बैंक / अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य उधार खातों में बकाया के 10 प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति की मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे तौर पर हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए.

7.3.3. हानि: ऐसी ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की जा चुकी है, लेकिन ऋण राशि पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं की गई है.

7.4. विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के लिए न्यूनतम किए जाने वाली राशि निम्नानुसार है :

7.2.11. एमएसएमई खातों के संबंध में, जो भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओआर. सं. बीपी. बीसी.34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020 और परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी. बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01 जनवरी, 2019 के अनुसार पुनर्गठित किए जाएंगे एवं मानक श्रेणी में रखे जाएंगे, पहले से किए गए प्रावधान के अतिरिक्त 5% का प्रावधान बैंक मेंटैन करेगा. उक्त परिपत्र के अनुसार इस प्रावधान में परिवर्तन किया जाएगा.

अवमानक आस्तियां:	i. कुल बकाया राशि का सामान्य 15%
	ii. ऐसी ऋण राशि पर 10% अतिरिक्त प्रावधान, जो आरंभ से ही असुरक्षित हो.
	iii. आरंभ से, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के असुरक्षित भाग के लिए 20% प्रावधान, जिसमें एस्करो खाते जैसी कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियाँ उपलब्ध हों (उपर्युक्त के अनुसार 25% के स्थान पर)
संदिग्ध-सुरक्षित भाग	i. एक वर्ष तक 25%
	ii. एक से तीन वर्ष - 40%
	iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
संदिग्ध-असुरक्षित भाग	100%
हानि आस्ति	100%

7.2.12. आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण पर कोविड 19 विनियामक पैकेज से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी/ 3/ 21.04.048/ 2020-21 एवं परिपत्र क्र. डीबीआर सं बीपी. बीसी / 4/ 21.04.048/ 2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020, डीओआर. एसटीआर.आरईसी12/21.04.048/2021-22 एवं डीओआर. एसटीआर. आरईसी 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 के अनुसार कॉर्पोरेट एवं रिटेल ऋण के

7.5. अग्रिमों में विशेष हानि के लिए प्रावधान, प्रति चक्रीय बफर प्रावधान तथा गैर निष्पादक आस्तियों से संबंधित वसूल न हुई विविध जमा में रखी ब्याज की राशि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीएफटी)/ निर्यात ऋण गारंटी

निगम (ईसीजीसी) से प्राप्त दावे की राशि को घटाकर निवल राशि ही दर्शाई गई है।

- 7.6. विदेशी कार्यालयों के संबंध में, एनपीए के लिए ऋणों और अग्रिमों में वर्गीकरण या प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों या स्थानीय नियमों के अनुसार, जो भी अधिक उपयुक्त हो, किए गए हैं।
- 7.7. पुनर्गठित/पुनर्निर्धारण आस्तियों में प्रावधान, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसमें एनपीए हेतु प्रावधान के अलावा, पुनर्गठन के पहले और बाद में ऋण के उचित मूल्यों के बीच का अंतर होना आवश्यक होता है।
- 7.8. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामलों में, यदि खाता नियामक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो खाते को निष्पादक आस्ति के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।
- 7.9. पिछले वर्षों में राइट ऑफ किए गए ऋणों के मुकाबले वसूली गई राशि वसूली के वर्ष में आय के रूप में चिन्हित की गई है।
- 7.10. मानक अग्रिमों पर सामान्य प्रावधान को 'अन्य देयताओं और प्रावधानों' में रखा गया है, जिन्हें तुलन पत्र की अनुसूची 5 में दर्शाया गया है तथा निवल अवमानक आस्तियों व निवल अग्रिमों की गणना में नहीं लिया गया है। मानक आस्ति प्रावधान आईआरएसी आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई/2022-2023/15 डीओआर. एसटीआर. आरईसी. 4/21.04.048/2022-23 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 एवं तदनंतर समय समय पर जारी परिपत्र के अनुसार बनाए गए हैं।
- 7.11. छह महीने से अधिक समय से बकाया उचित खातों की प्रविष्टियों पर सरकार / सरकारी निकायों से प्राप्त होने वाले दावे जैसे फसल ऋण / निर्यात अग्रिम पर ब्याज सब्सिडी, प्राय पेंशन, एसडीएस का आरबीआई से ब्याज दावा, किराया जमा, पूंजी और पूर्वदत्त व्यय, सरकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ निवेश, फ्रैंकिंग स्टांप, कार्मिकों को त्योहार अग्रिम आदि को छोड़कर 100% पर प्रावधान किया जाता है।

## 8. संपत्ति, प्लॉट और उपकरण

- 8.1. परिसर एवं अन्य स्थायी आस्तियों को, संचित मूल्यहास का शुद्ध और संचित क्षतियों की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित

करने के बाद, लागत पर दिखाया गया है। लागत में खरीद मूल्य, पात्र उधार लागत और सीधे व्यापार छूट और छूट का उपयोग करने के लिए एसेट को इसकी कार्यशील स्थिति में लाने की लागत शामिल है। उपयोग करने के लिए रखी गई सम्पत्तियों पर किए गए उप-व्यय पर केवल तभी पूंजी लगाई जाती है जब यह ऐसी परिसंपत्तियों या उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य के लाभ को बढ़ाता है। जमीन और इमारतों, यदि पुनर्मूल्यांकन को पुनर्गठित राशि कहा जाता है। " संपत्ति, प्लॉट और उपकरण " पर संशोधित एएस-10 के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन पर प्रशंसा का श्रेय रेवल्यूशन रिजर्व को दिया जाता है और उसके द्वारा प्रदान किए गए मूल्यहास को वहाँ से घटा दिया जाता है और इसे रेवल्यूशन रिजर्व में जमा कर दिया जाता है।

- 8.2. बैंक की व्यय नीति में समय-समय पर निर्धारित दरों पर स्ट्रेट लाइन मेथड पर अचल आस्तियों पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है। मूल्यहास की लागू दरें निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	पूंजी आस्ति	यूजफल लाइफ (वर्ष)	दर प्रतिशत में
1	अचल संपत्ति- भूमि	गैर निर्दिष्ट; तदनुसार, कोई मूल्यहास नहीं	शून्य
2	आरसीसी फ्रेम संरचना सहित भवन (आवासीय एवं गैर-आवासीय दोनों)	60	1.67
3	फर्नीचर	10	10.00
4	फिक्सचर	10	10.00
5	वातानुकूलित प्लॉट (पैकेज एवं जल/वातानुकूलित डक्टबल)	10	10.00
6	स्प्लिट एवं विंडो वातानुकूलन	5	20.00
7	विद्युत इन्स्टालमेंट एवं उपकरण	5	20.00
8	सौर ऊर्जा उपकरण	15	6.67
9	एलिवेटर एवं लिफ्ट	15	6.67
10	पट्टे पर लिए गए परिसर में सिविल एवं फ्लोरिंग का कार्य	5	20.00
11	दूरभाष उपकरण	5	20.00

**वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्टैंडअलोन  
आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां**

क्र. सं.	पूंजी आस्ति	यूजफल लाइफ (वर्ष)	दर प्रतिशत में
12	मोटर साइकिल, स्कूटर एवं अन्य मोपेड	10	10.00
13	मोटर कार, मोटर लॉरी एवं पावर बैट्री सहित विद्युत परिचालित या ईंधन सेल संचालित वाहन	8	12.50
14	मोबाइल फोन	3	33.33
15	जेनेरेटर	15	6.67
16	कार्यालय उपकरण / साधन	5	20.00
17	कम्प्यूटर एवं हार्डवेयर के अन्तरिम भाग का निर्माण करने वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	3	33.33
18	एटीएम एवं संबद्ध आइटम	5	20.00
19	यूपीएस एवं संबद्ध आइटम	5	20.00
20	सर्वर एवं नेटवर्क	6	16.66
21	कम्प्यूटर के अंतिम यूजर साधन जैसे डेस्कटॉप, लैपटाप, आई-पैड, टेबलेट्स प्रिंटर एवं स्कैनर, डिजिटल घड़ी आदि	3	33.33
22.	एसडीवी लॉकर, स्ट्रॉंग रूम के दरवाजे, कैश सेफ आदि. (फिक्सचर के साथ)	20	5.00
23.	स्टाफ को प्रदान किए जाने वाले सामग्री (फर्नीचर/ इलेक्ट्रिकल आदि)	5	20.00

8.3. भूमि और भवन का मूल्य अलग-अलग पता न लगने पर, परिसर पर मूल्यहास संमिश्र लागत पर लगाया गया है.

8.4. पट्टे पर ली गई आस्ति तथा इनमें संवर्धन पर मूल्यहास, पट्टे की मूल अवधि के लिए निर्धारित दर के आधार पर लगाया गया है.

**9. आस्तियों में क्षति**

अचल आस्ति (पुनर्मूल्यांकित अस्ति सहित) पर हासित हानि (यदि कोई हो) का निर्धारण आईसीएआई द्वारा जारी "आस्ति की हास" पर

एएस-28 के अनुरूप होता है एवं लाभ एवं हानि खाते में चार्ज ऑफ किया जाता है. आंतरिक/बाहरी कारकों से किसी प्रकार की क्षति का संकेत मिलने पर, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को आस्तियों के संवहन लागत की समीक्षा की जाती है. किसी आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य लागत से अधिक होने पर हास हानि मानी जाती है. हास हानि उस समय मानी जाती है, जब उस आस्ति की संवहन लागत उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो. आस्ति के निवल विक्रय मूल्य और उपयोग मूल्य से वसूली योग्य राशि अधिक है. उपयोग मूल्य के निर्धारण हेतु, धन के समय मूल्य के लिए मौजूदा बाजार आंकलन और आस्ति के जोखिम विशेष के अनुसार, कर-पूर्व बढ़ा दर पर भविष्य की अनुमानित नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य पता किया जाता है. हास के बाद आस्ति की शेष उपयोगिता अवधि की संशोधित संवहन लागत पर मूल्यहास लगाया जाता है. परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार, पहले लगाई हास हानि बढ़ाई या घटाई जाती है. लेकिन हानि कम होने से रिवर्सल के बाद भी, संवहन मूल्य उस संवहन लागत से अधिक नहीं होगी, जो हास न होने पर सामान्य मूल्यहास लगाने के बाद होती है.

**10. प्रति चक्रीय प्रावधान बफर**

प्रति चक्रीय बफर प्रावधान करने और उसके उपयोग हेतु, अग्रिम एवं निवेश के लिए बैंक की अपनी अलग-अलग अनुमोदित नीति है. प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर किए जाने वाले प्रावधान की मात्रा निर्धारित की जाती है. प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग, केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है.

**11. विदेशी विनिमय संबंधी लेनदेन**

विदेशी विनिमय से जुड़े लेनदेन के लिए लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी "विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव" पर एएस-11 के अनुसार किया जाता है. एएस-11 की शर्तों के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालन को ए) एकीकृत परिचालन एवं बी) गैर एकीकृत परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है.

सभी विदेशी शाखाओं, अपतटीय बैंकिंग इकाइयों, अंतर्देशीय सहायक संस्थाओं को गैर एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है एवं विदेशी विनिमय और प्रतिनिधि कार्यालयों में घरेलू परिचालन को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है.

**एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :**

11.1. वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित मौद्रिक और गैर मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों को संशोधित किया जाता है और

परिणामी लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते से निर्धारित किया जाता है।

11.2. आय एवं व्यय मदों को लेनदेन की तिथि पर, विद्यमान विनिमय दरों पर अभिलिखित किया गया है।

11.3. वायदा विनिमय संविदाओं को, वायदा की तिथि को विद्यमान विनिमय दर पर अभिलिखित किया गया है। फेडाई द्वारा विनिर्दिष्ट परिपक्वताओं और अंतरिम परिपक्वताओं की संविदा के लिए इंटरपोलेटेड दर के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। परिणामी लाभ-हानि को लाभ एवं हानि खाते में किया गया है।

11.4. गारंटी, स्वीतिकरण, अनुमोदन और अन्य दायित्वों के कारण आकस्मिक देयताएं वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर वर्णित हैं।

## 12. गैर एकीकृत परिचालन हेतु लेखांकन :

12.1. राजस्व की पहचान

संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों के अनुसार आय और व्यय का निर्धारण/लेखांकन किया जाता है।

12.2. आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण

आस्ति वर्गीकरण और ऋण हानि प्रावधानीकरण संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों या आरबीआई के दिशानिर्देशों, जो भी उच्च हो, के अनुसार किए जाते हैं

12.3. अचल आस्ति और मूल्यहास

12.3.1. अचल आस्ति का ऐतिहासिक लागत पर हिसाब लगाया जाता है।

12.3.2. संबंधित देशों के लागू कानूनों के अनुसार अचल आस्ति पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

12.4. आस्ति एवं देयताएं (मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक के साथ अनुषंगी देयताएं) वर्ष के अंत में या तिमाही पर फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दर पर अनूदित की जाती है।

12.5. आय एवं व्यय संबंधित तिमाही के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित तिमाही औसतन क्लोजिंग दर पर अनुदित की जाती है।

12.6. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को विदेशी मुद्रा अनुवाद रिज़र्व में संचित किया जाता है।

## 13. कर्मचारी लाभ :

13.1. अल्पावधि रोजगार लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है

13.2. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :

13.2.1. निर्धारित अंशदान योजनाएं :

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा 14% बैंक का अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

13.2.2. निर्धारित लाभ योजना :

ग्रेच्यूटी, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक -15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

## वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्टैंडअलोन आधार पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

### 14. खंडवार रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी लेखामानक 17- "खंडवार रिपोर्टिंग" के अनुसार, बैंक का कारोबार प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक विस्तार को द्वितीयक कारोबार खंड के रूप में मान्यता प्राप्त है. कारोबार खंडों को वर्गीकृत किया गया है

14.1. ट्रेजरी परिचालन,

14.2. कार्पोरेट व होलसेल बैंकिंग,

14.3. रिटेल बैंकिंग परिचालन और

(साथ ही साथ डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट जहां और जब कहीं लागू हो)

14.4. अन्य बैंकिंग परिचालन में वर्गीकृत किया गया है

### 15. लीज संव्यवहार

परिचालन लीज पर लिये गये परिसंपत्तियों के लिए लीज भुगतान को लीज अवधि के आधार पर लाभ और हानि खाते में एक सीधी रेखा के आधार पर खर्च के रूप में मान्यता दी जाती है.

### 16. प्रति शेयर आय

बैंक एस 20 के अनुसार प्रति शेयर मूल एवं डायल्यूटेड आय की रिपोर्ट को सूचित करता है. प्रति शेयर अर्जन की गणना आलोच्य वर्ष के निवल लाभ या हानि (कर पश्चात) को, वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों की औसत भारत संख्या से विभाजित करके की गई है. प्रति शेयर डायल्यूटेड आय संभावित डायल्यूशन को प्रदर्शित करता है जो वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर निर्गम के अनुबंधों के होने अथवा परिवर्तित होने की स्थिति में होता है. प्रति इक्विटी शेयर की डायल्यूटेड आय की गणना भारत औसत संख्या का उपयोग करते हुए वर्ष के अंत में बकाया डायल्यूटीव इक्विटी शेयर का उपयोग करके की गई है.

### 17. कराधान :

इसमें आईसीएआई द्वारा जारी "आय पर करों के लिए लेखांकन" पर एस-22 के अनुसार, निर्धारित आयकर और आस्थगित कर प्रभाव या क्रेडिट (दिए गए अवधि के लिए लेखांकित आय और कर योग्य आय के बीच अंतर के कर प्रभाव को दर्शाते हुए) के प्रावधान शामिल हैं. चालू एवं आस्थगित दोनों प्रकार के करों के लिए प्रावधान किया गया है. कर योग्य आय पर वर्तमान दर एवं कर नियमों के अनुसार प्रावधान किया गया है, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्तियों एवं स्थगित कर देयताओं, जिन्हें आगामी अवधियों में रिवर्स किया जाना है, की पहचान तुलन पत्र की तारीख तक लागू कर दरों एवं बने हुए कर नियमों के अनुसार की गयी है. आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण तब तक नहीं किया जाता है जब तक 'उचित निश्चितता' न हो ताकि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिससे ऐसे आस्थगित कर का निर्धारण होगा. गैर-मूल्यहास और कर घाटे को आगे बढ़ाने के मामले में, आस्थगित कर आस्ति को केवल "आभासी निश्चितता" होने पर मान्यता दी जाती है.

### 18. प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा प्रणाली 29 के अनुसार प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां बैंक केवल तभी प्रावधान करता है, जब पिछली घटनाओं के परिणाम स्वरूप वर्तमान देयताएं हों, ऐसी संभावना है कि आर्थिक लाभ सहित संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता देयताओं के निपटान और जब देयता की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया गया हो, में होगी. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है; क्योंकि इनकी पहचान कभी न वसूली जा सकने वाली आय के रूप में परिणित हो सकती है.

### 19. शेयर निर्गम व्यय:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार शेयर निर्गम व्यय, शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किए गए हैं.

## अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स (स्टैंडअलोन):

### भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन

#### 1. विनियामक पूंजी

बैंक 01 अप्रैल, 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासेल III के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। 01 अक्टूबर, 2021 तक बासेल III कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन अनुसूची दिशानिर्देशों में दी गयी है। भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार, बासेल III को दिनांक 01 अक्टूबर, 2021 से पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है। दिशानिर्देशों के अनुसार, टियर-1 पूंजी, कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) एवं अतिरिक्त टियर-1 पूंजी (एटी 1) से बनी है।

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31 मार्च, 2024 तक पूंजी को जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) के 11.50% तक जिसमें न्यूनतम सीईटी I के 8.00% और न्यूनतम टियर I सीआरएआर के 9.50% (दोनों में 2.50% पूंजी संरक्षण बफर को शामिल करते हुए) तक बनाए रखना आवश्यक है।

बैंक ने वर्ष के दौरान रु. 8,000 करोड़ की इक्विटी पूंजी निर्गमित की है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान बैंक ने बासेल III शिकायत टीयर-II बॉण्ड में रु. 2,000 करोड़ की चुकौती की है।

#### ए) नियामक पूंजी का संगठन:

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
			(₹ करोड़ में)
i.	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (कटौतियों के निवल, यदि कोई हो)	90,693.16	71,491.90
ii.	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	8,928.65	8,985.99
iii.	टियर 1 पूंजी (i + ii)	99,621.81	80,477.89
iv.	टियर 2 पूंजी	13,066.90	12,300.56
v.	कुल पूंजी (टियर 1 + टियर 2)	1,12,688.71	92,778.45
vi.	कुल जोखिम भारांक आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	6,64,188.12	5,78,454.82
vii.	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1)	13.65	12.36
viii.	टियर 1 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 1)	15.00	13.91
ix.	टियर 2 अनुपात (आर डब्लू ए के प्रतिशत के रूप में टियर 2)	1.97	2.13
x.	जोखिम भारांक आस्ति अनुपात को पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	16.97	16.04
xi.	लीवरेज अनुपात	6.56	5.73
xii.	शेयरधारिता का प्रतिशत		
	ए) भारत सरकार	74.76	83.49
	बी) राज्य सरकार	--	--
	सी) प्रायोजक बैंक	--	--
xiii.	वर्ष के दौरान उगाही किए गए इक्विटी पूंजी में से भुगतान राशि	8,000.00	--
xiv.	वर्ष के दौरान उगाही की गई गैर-इक्विटी टियर-1 पूंजी की राशि, जिसमें से:		
	ए) बासेल III अनुपालक जारी गैर-संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	बी) बासेल III अनुपालक जारी ऋण लिखतें	--	1,983.00
xv.	वर्ष के दौरान उगाही की गई टियर-2 पूंजी की राशि, जिसमें से		
	ए) जारी संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	बी) विमोचन योग्य गैर-संचयी अधिमानित शेयर	--	--
	सी) बासेल III अनुपालक प्रतिदेय गैर प्रवर्तनीय टीयर 2 बॉण्ड	--	2,200.00

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

**बी) आरक्षित से आहरण में कमी:**

वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने आरक्षित से कोई राशि नहीं निकाली है।

**2. आस्ति देयता प्रबंधन**

**ए) आस्तियों तथा देयताओं के कुछ मदों का परिपक्वता पैटर्न**

चालू वर्ष 2023-24

( ₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन -2 महीने	>2-3 महीने	>3-6 महीने	6 महीने -1 वर्ष	>1-3 वर्ष	>3-5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
जमा राशि	19,410.10	33,208.26	22,143.36	25,751.19	42,907.50	51,874.76	1,03,759.29	2,16,081.39	1,45,106.60	78,448.20	4,82,837.71	12,21,528.37
अग्रिम	13,285.99	14,564.07	8,913.90	30,508.21	5,135.11	32,215.53	61,063.28	1,15,928.51	3,74,856.25	90,661.97	1,23,643.26	8,70,776.09
निवेश	79,848.28	12,924.06	1,247.76	2,707.86	6,481.38	24,894.11	7,995.66	12,778.18	39,693.86	33,590.35	1,15,742.03	3,37,903.53
उधार	448.60	670.18	41.18	12.95	936.64	60.47	1148.71	209.15	6,509.99	15.07	16,895.43	26,948.37
विदेशी मुद्रा की आस्तियां	3,475.74	3,916.55	425.06	2,638.65	1,989.97	8,240.88	21,408.96	11,856.16	17,711.70	6,975.90	2,492.31	81,131.87
विदेशी मुद्रा की देयताएं	805.73	3,088.91	160.77	555.08	2,440.51	3,365.04	8,360.78	8,613.80	10,801.49	3,503.01	3,027.12	44,722.23

**विगत वर्ष 2022-23**

( ₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन -2 महीने	>2-3 महीने	>3-6 महीने	>6 महीने -1 वर्ष	>1-3 वर्ष	>3-5 वर्ष	> 5 वर्ष	कुल
जमा राशि	16,719.54	24,897.19	17,582.29	15,386.37	27,291.25	6,680.66	82,771.68	1,63,434.74	1,61,274.09	80,204.10	4,81,474.41	11,17,716.32
अग्रिम	19,713.45	31,128.05	23,916.23	49,224.70	18,235.92	31,896.75	50,852.13	54,002.81	3,36,508.35	47,328.90	99,038.17	7,61,845.46
निवेश	87,469.35	10,712.95	888.30	2,993.82	5,506.13	17,324.42	5,710.88	8,220.90	68,822.45	17,556.16	1,14,093.69	3,39,299.05
उधार	963.24	8,333.29	4,085.78	1,996.21	572.85	254.44	2,123.29	3,610.00	2,310.97	1,996.06	16,891.33	43,137.47
विदेशी मुद्रा की आस्तियां	5,317.26	5,843.41	1,016.52	10,915.50	3,748.05	3,259.63	13,035.32	5,403.49	11,913.15	9,366.84	187.01	70,006.19
विदेशी मुद्रा की देयताएं	4,984.28	1,553.01	998.49	2,717.99	2,947.61	4,647.05	3,478.54	3,586.05	8,792.19	6,039.50	315.07	40,059.79

**बी) तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर)**

एलसीआर का उद्देश्य बैंक द्वारा पर्याप्त स्तर की भारमुक्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का रखरखाव सुनिश्चित करना है, ताकि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट अत्यधिक गम्भीर तरलता दबाव के अन्तर्गत उसे अपनी तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 30 कैलेंडर दिवस के अंदर नकदी में परिवर्तित किया जा सके।

एलसीआर का अनुपात एचक्यूएलए का शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह है।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए)}}{30 \text{ दिनों में शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित एलसीआर की न्यूनतम आवश्यकता कैलेंडर वर्ष 2019 के बाद के लिए 100% है। एलसीआर बैंक के घरेलू परिचालनों के साथ-साथ विदेशी परिचालनों पर भी लागू होता है।

**उच्च गुणवत्ता की तरल आस्तियां (एचक्यूएलए):**

तरल आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली आस्तियां होती हैं, जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा लगातार दबाव के समय सम्पार्श्विक के रूप में निधियों को प्राप्त करने में प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें भार रहित अर्थात विधिक, नियामक अथवा परिचालनात्मक अवरोधों के बिना होना

चाहिए. ऐसी आस्तियां उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां होती हैं, जो बिना किसी अवरोध के एवं कम अथवा बिना किसी मूल्य हानि के सरलता से एवं तत्काल नकदी में परिवर्तित हो जाती हैं. एचक्यूएलए की दो श्रेणियां ए) स्तर-1 आस्तियां, एवं बी) स्तर- 2 आस्तियां होती हैं. स्तर-2 आस्तियों को तरलता एवं मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर पुनः दो भाग स्तर 2ए आस्तियों एवं स्तर 2बी आस्तियों में विभाजित किया जाता है.

स्तर 1 बिना किसी मार्जिन के एचक्यूएलए में शामिल स्टॉक आस्तियां हैं. स्तर 1 आस्तियों में मुख्य रूप से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का आधिक्य सहित नकदी, एसएलआर (सांविधिक चलनिधि अनुपात) का आधिक्य, सीमांत स्टैंडिंग सुविधा (दिनांक 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 2%) एवं एफएएलएलसीआर (निवल मांग एवं मियादी देयताएं का 16%) शामिल है.

स्तर 2ए आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 15% नकद कटौती की गई है. स्तर 2ए आस्तियों में मुख्य रूप से 20% जोखिम भारत के साथ प्रतिभूतियां शामिल हैं. स्तर 2बी आस्तियों में चालू बाजार मूल्य पर 50% नकद कटौती की गई है. स्तर 2 बी आस्तियां एचक्यूएलए के कुल स्टॉक के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्तर 2बी आस्तियां जिनका जोखिम भार मुख्य रूप से 20% से अधिक, परन्तु 50% से अधिक नहीं है जोखिम भार वाली प्रतिभूतियां होती हैं.

### शुद्ध नकदी प्रवाह

कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह को घटाने पर कुल शुद्ध नकदी प्रवाह परिभाषित होता है. नकद प्रवाह सुनिश्चित करने के क्रम में, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, अपनी जमा पूंजी को ग्राहकों के विभिन्न संवर्गों में जैसे रिटेल (जिसमें आम जन से जमा लेना शामिल है), लघु कारोबार ग्राहकों (जिनका सकल निधियन रु. 7.5 करोड़ है) एवं गैर वित्तीय ग्राहकों (एनएफसी) से जमा तथा अन्य विधिक अस्तित्व वाले ग्राहकों (ओएलई) को पृथक करता है. कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह के 75% तक की समग्र कैप तक, अपेक्षित प्रवाह के दर से संविदात्मक प्राप्तिओं के विभिन्न श्रेणियों के बकाया राशियों को गुणा कर कुल अनुमानित नकदी अंतर्प्रवाह का आकलन किया जाता है.

### बैंक के एलसीआर के बारे में संक्षिप्त जानकारी

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं. दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्ति पर तीन महीने के दौरान बैंक ने औसत एचक्यूएलए रु. 2,75,225 करोड़ को बनाए रखा है. बैंक के लिए स्तर 1 आस्तियां एचक्यूएलए की मुख्य संचालक हैं. इनमें एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 98% योगदान है. दिनांक 31 मार्च, 2024 की समाप्त तिमाही के दैनिक औसत के आधार पर, एचक्यूएलए का अधिकतम भाग अर्थात कुल एचक्यूएलए का लगभग 68% चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए तरलता की सुविधा उपलब्ध है, स्तर 2 आस्तियां जो, स्तर 1 की तुलना में गुणवत्ता में कम है, उनमें 40% की अधिकतम स्वीकार्य / अनुमत स्तर के सापेक्ष एचक्यूएलए के कुल स्टॉक का 2% है.

बैंक का एक्सपोजर मुख्यतः भारतीय रूप में है. कुल निधियन स्रोतों का बड़ा भाग असुरक्षित सम्पूर्ण निधियन से बना है. रिटेल जमा और लघु व्यवसाय ग्राहकों से जमा, कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह का क्रमशः लगभग 21% और 4% है. कुल भारत नकदी बहिर्प्रवाह का लगभग 37% गैर वित्तीय कॉर्पोरेट से जमा है. बैंक के ग्राहकों की ओर से जमा की गई राशि में मूलतः बैंक के ग्राहकों की ओर से जारी बैंक गारंटी (बीजी) एवं साख पत्र (एलसी) शामिल है. कुल भारत नकद अंतर्प्रवाह में लगभग 77% विभिन्न प्रतिपक्षकारों के अंतर्प्रवाह का योगदान है.

बैंक ने मार्च, 2024 तिमाही के सभी कार्य दिवसों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना की है. 67 डाटा पॉइंट्स के दैनिक अवलोकन के औसत की गणना की गई है. दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 125.82% औसत एलसीआर के सापेक्ष 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए 131.90% है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 100% वर्तमान न्यूनतम आवश्यकता से काफी अधिक है.

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान औसत एलसीआर का संचलन

तिमाही	जून 2023	सितंबर 2023	दिसंबर 2023	मार्च 2024	वित्त वर्ष 2023-24
एलसीआर अनुपात	166.16	144.61	125.82	131.90	141.10

मात्रात्मक प्रकटीकरण (तिमाही वार)

(₹ करोड़ में)

	मार्च 2023 तिमाही		जून 2023 तिमाही		सितंबर 2023 तिमाही		दिसंबर 2023 तिमाही		मार्च 2024 तिमाही	
	कुल अभासित मूल्य (औसत)	कुल भासित मूल्य (औसत)	कुल अभासित मूल्य (औसत)	कुल भासित मूल्य (औसत)	कुल अभासित मूल्य (औसत)	कुल भासित मूल्य (औसत)	कुल अभासित मूल्य (औसत)	कुल भासित मूल्य (औसत)	कुल अभासित मूल्य (औसत)	कुल भासित मूल्य (औसत)
<b>उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां</b>	2,72,365.27	2,70,381.26	2,92,680.09	2,92,680.09	2,88,879.67	2,87,634.13	2,64,088.95	2,62,795.24	2,76,525.16	2,75,225.07
1 कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचएफएलए)	49,883.30	49,883.30	6,62,146.89	51,109.13	6,82,546.99	59,585.70	6,94,437.90	60,463.02	6,88,810.91	59,623.04
<b>नकदी बहिर्प्रवाह</b>	6,46,869.46	14,803.64	3,02,111.09	15,105.55	1,73,380.00	8,669.00	1,79,615.38	8,980.77	1,85,160.97	9,258.05
2 खुदरा जमा राशियां एवं लघु कारोबारी ग्राहकों की जमा राशियां, जिसमें से:	2,96,072.85	14,803.64	3,02,111.09	15,105.55	1,73,380.00	8,669.00	1,79,615.38	8,980.77	1,85,160.97	9,258.05
(i) स्थिर जमा राशियां	3,50,796.61	35,079.66	3,60,035.80	36,003.58	5,09,166.98	50,916.70	5,14,822.51	51,482.25	5,03,649.94	50,364.99
(ii) घटाई गई स्थिर जमा राशियां	2,43,570.32	1,20,721.42	2,57,219.97	1,29,230.98	2,67,292.28	1,41,546.86	2,65,279.20	1,40,831.90	2,82,702.34	1,48,709.89
3 बेजमानती शोक निधियां, जिसमें से:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(i) परिचालनात्मक जमा राशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	2,43,570.32	1,20,721.42	2,57,219.97	1,29,230.98	2,67,292.28	1,41,546.86	2,65,279.20	1,40,831.90	2,82,702.34	1,48,709.89
(ii) गैर-परिचालनात्मक जमा राशियां (सभी काऊंटर पार्टियां)	3,663.14	-	1,100.63	-	2,181.40	-	15,112.03	-	8,195.96	-
(iii) बेजमानती ऋण	1,31,809.13	15,033.14	2,25,425.09	25,209.30	2,09,354.01	23,907.76	2,37,887.92	29,020.08	2,31,221.16	26,709.58
4 जमागती शोक निधियां	79.02	79.02	81.41	81.41	87.85	87.85	87.17	87.17	88.38	88.38
5 अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से (i) डेपोजिट एक्सपोजर एवं अन्य समार्थिक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्प्रवाह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ii) ऋण उत्पादों पर निधियों में हानि से संबंधित बहिर्प्रवाह	1,31,730.11	14,954.11	2,25,343.67	25,127.89	2,09,266.16	23,819.91	2,37,800.75	28,932.91	2,31,132.79	26,621.20
(iii) ऋण एवं तरलता सुविधाएं	3,609.33	3,609.33	3,625.73	3,625.73	3,946.79	3,946.79	4,312.17	4,312.17	4,227.18	4,227.18
6 अन्य संविदात्मक निधि बाध्यता	91,305.09	2,739.15	85,271.13	2,558.13	91,046.68	2,731.40	93,554.62	2,806.64	92,549.25	2,776.48
7 अन्य आकस्मिक निधि बाध्यता	11,20,826.48	1,91,986.34	12,34,789.43	2,11,733.28	12,56,368.14	2,31,718.51	13,10,585.06	2,37,435.03	13,07,706.80	2,42,046.16
<b>8 कुल नकदी बहिर्प्रवाह</b>	4,103.18	-	7,378.82	-	5,696.84	-	1,201.26	-	3,346.50	-
<b>नकदी अंतर्प्रवाह</b>	32,328.30	23,567.09	38,014.25	27,228.69	33,896.68	25,717.67	31,420.00	21,483.30	39,303.74	25,766.50
9 जमानती अप्रिम (उदाहरणार्थ रिजर्व से)	6,917.47	6,917.47	8,359.31	8,359.31	7,098.81	7,098.81	7,083.97	7,083.97	7,618.29	7,618.29
10 पूर्ण निष्पादनीय एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	43,348.96	30,484.56	53,752.38	35,588.00	46,692.32	32,816.48	39,705.24	28,567.28	50,268.53	33,384.80
11 अन्य नकद अंतर्प्रवाह	2,70,381.26	2,70,381.26	2,92,680.09	2,92,680.09	2,88,879.67	2,87,634.13	2,64,088.95	2,62,795.24	2,76,525.16	2,75,225.07
12 कुल एचएफएलए	1,61,501.78	1,61,501.78	1,76,145.28	1,76,145.28	1,98,902.03	1,98,902.03	2,08,867.75	2,08,867.75	2,08,867.75	2,08,661.36
13 कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह	167.42%	167.42%	166.16%	166.16%	144.61%	144.61%	125.82%	125.82%	131.90%	131.90%
14 कुल शुद्ध नकद बहिर्प्रवाह										
15 तरलता कवरेज अनुपात (%)										

अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

## सी) निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर)

### i) गुणानात्मक प्रकटीकरण:

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) का उद्देश्य बैंक की तरलता जोखिम प्रोफाइल की प्रतिरोध क्षमता को प्रोत्साहित करना तथा लंबे समय के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की प्रतिरोध क्षमता को और अधिक संवर्धित करना है। एनएसएफआर के अनुसार बैंकों को उनके तुलन पत्रेत्तर गतिविधियों के संगठन संबंधी पूंजी तथा आस्तियों के रूप में स्थिर निधीयन प्रोफाइल को बनाए रखने की आवश्यकता है।

एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि से संबंधित उपलब्ध स्थिर निधीयन की राशि के रूप में उल्लिखित किया गया है।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ)}}$$

भारतीय रिजर्व बैंक ने मई, 2018 में लगभग 100% के बराबर न्यूनतम आवश्यकता के साथ निवल स्थिर निधीयन अनुपात के कार्यान्वयन पर विनियमों को जारी किया। यह कार्यान्वयन 1 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी है। एनएसएफआर बैंक के देशी परिचालनों के साथ ही विदेशी परिचालनों में भी लागू है तथा स्टैंडअलोन तथा समेकित स्तर पर गणनीय है।

उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) को विश्वास करने योग्य पूंजी तथा देयताओं के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है जो 100 भारांक प्राप्त करने वाले 1 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाले देयताओं सहित उनके प्रकार तथा देयताओं की परिपक्वता के अनुसार विविध कारक के भारांकों द्वारा वर्णित किया जाता है।

आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ) को तुलन पत्र तथा तुलन पत्रेत्तर के एक्सपोजरों के अंश के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे नियमित आधार पर निधीयन की आवश्यकता है। स्थिर निधीयन आवश्यकता की राशि, धारित विविध आस्तियों की तरलता विशेषताओं तथा अवशिष्ट परिपक्वताओं का कार्य है।

### बैंक के एनएसएफआर का संक्षिप्त परिचय

कवर की गई संस्थाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड हैं। उपलब्ध स्थिर निधीयन (एएसएफ) के मुख्य घटक पूंजी आधार, रिटेल जमाराशि आधार तथा गैर-वित्तीय कंपनियों से निधीयन तथा संस्थागत ग्राहकों से दीर्घ-अवधि निधीयन है। संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल उपलब्ध स्थिर निधीयन का पूंजी आधार लगभग 11%, रिटेल जमा (लघु आकार के कारोबार ग्राहकों से जमाराशि सहित) 68% तथा थोक निधीयन 20% हुआ है।

आवश्यक स्थिर निधीयन में प्रारम्भ में कॉर्पोरेट, रिटेल ग्राहकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करना शामिल है, जिसमें संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात कुल आरएसएफ का 88% होता है। उच्च गुणवत्ता तरल आस्तियों के स्टॉक में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नकद और आरक्षित शेषराशि भी शामिल हैं। सरकारी ऋण जारी करने के पश्चात परिणामतः उनके उच्च गुण तथा तरल विशेषता के कारण शून्य या निम्न राशि की स्थिर निधीयन को आकर्षित करती है। तदनुसार, संबंधित भारांकों को लागू करने के पश्चात एचक्यूएलए में आवश्यक स्थिर निधीयन का केवल 2% शामिल है। आवश्यक स्थिर निधीयन में अन्य आस्तियों तथा आकस्मिक निधीयन दायित्व जैसे समर्पित ऋण सुविधाएं, गारंटी तथा साख पत्र के 10% शामिल हैं।

बैंक ने आवश्यकता स्थिर निधीयन के ₹ 7,77,574 करोड़ के सापेक्ष समेकित स्तर के ₹ 10,06,187 करोड़ के उपलब्ध स्थिर निधीयन सहित संतोषजनक स्थिर निधीयन बफर को बरकरार रखा है, जिसके परिणामतः 31 मार्च, 2024 तक समेकित एनएसएफआर 129.40% हुआ है।

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

**ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:**

मार्च, 2024 तक समेकित एनएसएफआर का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य			भारांकित मूल्य	
		कोई परिपक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष		≥ 1 वर्ष
	एएसएफ मद					
1	पूँजी: (2+3)	91996.45	0.00	0.00	18,613.20	1,10,609.65
2	विनियामक पूँजी	91996.45	0.00	0.00	975.20	92971.65
3	अन्य पूँजी लिखतें	0.00	0.00	0.00	17638.00	17638.00
4	<b>छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6)</b>	<b>341501.15</b>	<b>142921.67</b>	<b>263747.55</b>	<b>2592.61</b>	<b>688497.49</b>
5	स्थिर जमा	44165.68	35474.14	171391.45	1948.16	240427.87
6	अल्प स्थिर जमा	297335.47	107447.53	92356.10	644.45	448069.63
7	<b>थोक निधीयन: (8+9)</b>	<b>64140.06</b>	<b>187731.33</b>	<b>213924.89</b>	<b>8095.20</b>	<b>201296.88</b>
8	परिचालनात्मक जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन	64140.06	187731.33	213924.89	8095.20	201296.88
10	<b>अन्य देयताएं: (11+12)</b>	<b>52122.10</b>	<b>3318.73</b>	<b>209.15</b>	<b>5782.49</b>	<b>5782.49</b>
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी	51822.14	3318.73	209.15	5782.49	5782.49
13	<b>कुल एएसएफ (1+4+7+10)</b>					<b>1006186.51</b>
	आरएसएफ मद					
14	<b>उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफआर (एचक्यूएलए)</b>					<b>13698.71</b>
15	परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि	31.70	0.00	0.00	0.00	15.85
16	<b>निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)</b>	<b>1051.84</b>	<b>206640.59</b>	<b>70297.20</b>	<b>720266.39</b>	<b>685413.95</b>
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	103910.33	12430.86	48440.81	65065.86
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा ऋण तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	100942.14	55664.22	536577.45	516020.79
20	ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या से कम तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	47632.78	7032.60	138815.57	117562.81
21	निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से:	0.00	318.84	111.31	68149.95	44512.54
22	ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या से कम तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	318.84	111.31	68149.95	44512.54
23	विनिमय-ट्रेडेड इक्विटियों सहित प्रतिभूतियां जो संदिग्ध नहीं हैं तथा एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं हैं	1051.84	1469.28	2090.82	67098.19	59814.75
24	<b>अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)</b>	<b>56161.74</b>	<b>16118.93</b>	<b>0.00</b>	<b>2048.80</b>	<b>67566.63</b>
25	स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद	0.00				0.00
26	व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के संदिग्ध निधि को अंशदान		3627.67	0.00	0.00	3083.52
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां		53.87	0.00	0.00	53.87
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां	56161.74	12437.38	0.00	2048.80	64429.24
30	<b>तुलन पत्रेत्तर मदें</b>		<b>254595.66</b>	<b>52.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10878.67</b>
31	<b>कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)</b>					<b>777573.81</b>
32	<b>निवल स्थिर निधियन अनुपात (%)</b>					<b>129.40%</b>

## मार्च, 2023 तक समेकित एनएसएफआर टेम्पलेट का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	परिशिष्ट परिपक्वता द्वारा गैर भारांकित मूल्य				भारांकित मूल्य
		कोई परपिक्वता नहीं	< 6 महीने	6 महीने से < 1 वर्ष	≥ 1 वर्ष	
<b>एएसएफ मद</b>						
1	पूंजी: (2+3)	73472.52	0.00	2000.00	18565.48	92038.00
2	विनियामक पूंजी	73472.52	0.00	0.00	927.48	74400.00
3	अन्य पूंजी लिखतें	0.00	0.00	2000.00	17638.00	17638.00
4	छोटे कारोबार ग्राहकों से रिटेल जमा तथा जमाराशि: (5+6)	326162.46	113777.94	260622.47	2539.51	646702.81
5	स्थिर जमा	40994.80	29833.11	202307.84	1869.82	261348.79
6	अल्प स्थिर जमा	285167.66	83944.83	58314.64	669.69	385354.02
7	थोक निधीयन: (8+9)	74748.93	154529.84	173378.83	14931.52	200097.63
8	परिचालनात्मक जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अन्य थोक निधीयन	74748.93	154529.84	173378.83	14931.52	200097.63
10	अन्य देयताएं: (11+12)	47026.01	18329.10	1610.00	3560.37	3560.37
11	एनएसएफआर व्युत्पन्न देयताएं	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी देयताएं तथा इक्विटी	46993.27	18329.10	1610.00	3560.37	3560.37
13	<b>कुल एएसएफ (1+4+7+10)</b>					<b>942399.71</b>
<b>आरएसएफ मद</b>						
14	<b>उच्च गुण तरल आस्ति के कुल एनएसएफआर (एचक्यूएलए)</b>					<b>15865.86</b>
15	परिचालनात्मक उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में धारित जमाराशि	53.84	0.00	0.00	0.00	26.49
16	निष्पादित ऋण तथा प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	1330.58	154093.90	61825.48	635915.07	576113.75
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा संरक्षित वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण एवं वित्तीय संस्थानों को असंरक्षित निष्पादित ऋण	0.00	81215.04	15206.23	19712.90	34141.10
19	गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट ग्राहकों को निष्पादित ऋण, खुदरा ऋण तथा छोटे कारोबार ग्राहकों को ऋण तथा सर्वोत्तम, केंद्रीय बैंकों एवं पीएसई को ऋण, जिनमें से:	0.00	67617.10	39686.95	506522.55	458900.37
20	ऋण जोखिम के लिए बासेल II मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या से कम तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	निष्पादित आवसीय बंधक, जिनमें से:	0.00	62.09	186.77	80496.34	52447.05
22	ऋण जोखिम के लिए बासेल घ-मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत 35% या से कम तक के जोखिम भारांक सहित	0.00	62.09	186.77	80496.34	52447.05
23	ऐसी प्रतिभूतियां जो डिफॉल्ट रूप में नहीं और एकसचेंज ट्रेडेड इक्विटी सहित एचक्यूएलए के रूप में योग्य नहीं है.	1330.58	5199.67	6745.54	29183.29	30625.23
24	अन्य आस्तियां: (25 से 29 की पंक्ति तक योग)	65903.32	14408.88	0.00	1261.18	75473.33
25	स्वर्ण सहित भौतिक ट्रेडेड उत्पाद	0.00				0.00
26	व्युत्पन्न संविदाओं के लिए प्राथमिक मार्जिन के रूप में पोस्ट की गई आस्तियां तथा सीसीपी के संदिग्ध निधि को अंशदान		3040.96	0.00	0.00	2584.82
27	एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां		0.00	0.00	0.00	0.00
28	पोस्ट किए गए विविध मार्जिन की कटौती के पूर्व एनएसएफआर व्युत्पन्न आस्तियां		80.96	0.00	0.00	80.96
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी आस्तियां	65903.32	11286.96	0.00	1261.18	72807.56
30	तुलन पत्रेतर मदें		221871.20	0.00	0.00	9191.06
31	<b>कुल आरएसएफ (14+15+16+24+30)</b>					<b>676671.20</b>
32	निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)					139.27%

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

**3. निवेश**

**ए) निवेश सविभाग का संगठन**

यथा 31.03.2024

(₹ करोड़ में)

	भारत में निवेश				भारत के बाहर निवेश				कुल निवेश			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य असुम्पित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर एवं बॉन्ड	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	सहायक संस्था और/या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता धारित												
सकल	2,29,580.78	-	-	44,183.32	393.81	335.18	2,74,493.09	-	1,148.71	0.40	1,149.11	2,75,642.20
कम: गैर-निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान (एनपीआई)	-	-	-	(218.45)	(5.00)	-	(223.45)	-	(4.50)	-	(4.50)	(227.95)
निवल	2,29,580.78	-	-	43,964.87	388.81	335.18	2,74,269.64	-	1,144.22	0.40	1,144.62	2,75,414.26
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	43,684.76	-	4,997.56	15,141.69	-	4,843.90	68,667.91	1,914.67	-	12.67	1,927.34	70,595.25
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	(122.17)	-	(2,774.95)	(3,153.13)	-	(2,445.21)	(8,495.47)	-	-	(12.39)	(12.39)	(8,507.86)
निवल	43,562.59	-	2,222.61	11,988.56	-	2,398.69	60,172.44	1,914.67	-	0.28	1,914.95	62,087.39
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	106.88	-	-	295.00	-	-	401.88	-	-	-	-	401.88
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	-
निवल	106.88	-	-	295.00	-	-	401.88	-	-	-	-	401.88
<b>कुल निवेश</b>	<b>2,73,372.42</b>	<b>-</b>	<b>4,997.56</b>	<b>59,620.01</b>	<b>393.81</b>	<b>5,179.08</b>	<b>3,43,562.88</b>	<b>1,914.67</b>	<b>1,148.71</b>	<b>13.07</b>	<b>3,076.45</b>	<b>3,46,639.33</b>
घटाएं: एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	-	(218.45)	(5.00)	-	(223.45)	-	(4.50)	-	(4.50)	(227.95)
घटाएं: मूल्यहास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	(122.17)	-	(2,774.95)	(3,153.13)	-	(2,445.21)	(8,495.47)	-	-	(12.39)	(12.39)	(8,507.86)
निवल	2,73,250.25	0.00	2,222.61	56,248.42	388.81	2,733.87	3,34,843.96	1,914.67	1,144.22	0.68	3,059.57	3,37,903.53

\*आरबीआई परिपत्र आरबीआई/2023-24/90डीओआर.एसटीआर.आरईसी.58/21.04.048/2023-24 दिनांक 19.12.2023 में ₹ 19.54 करोड़ का आकस्मिक प्रावधान ₹. 8495.47 करोड़ की प्रावधान राशि में शामिल है।

नोट: 1. सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यम (भारत में एवं भारत के बाहर) में दर्शाया गया प्रावधान मानक एमटीएम पर निर्धारित है और न कि एनपीआई पर.

2. गैर-कार्यनिष्पादन निवेशों हेतु प्रावधान में केवल परिपक्वता तक धारित संवर्ग शामिल है.

3. मूल्यहास और एनपीआई के प्रावधान में बिक्री के लिए उपलब्ध एवं ट्रेडिंग संवर्ग के लिए धारित शामिल है.



**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

**बी) मूल्यहास तथा निवेश अस्थिर आरक्षित के लिए प्रावधानों का विचलन**

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	2023-24	2022-23
i) निवेशों पर मूल्यहास के धारित प्रावधान का विचलन		
ए) प्रारम्भिक शेषराशि	7,855.57	6,180.78
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,935.92	2,119.77
सी) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान को बट्टे खाते डालना	1,055.69	444.98
<b>डी) अंतिम शेषराशि</b>	<b>8,735.80</b>	<b>7,855.57</b>
ii) निवेश अस्थिर आरक्षित का विचलन		
ए) प्रारम्भिक शेषराशि	1,352.96	1,936.16
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	28.44	--
सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी	--	583.20
<b>डी) अंतिम शेषराशि</b>	<b>1,381.40</b>	<b>1,352.96</b>
iii) एफएस तथा एफटी/वर्तमान श्रेणी में निवेशों की अंतिम शेषराशि के प्रतिशत के रूप में आईएफआर में अंतिम शेषराशि	2.00	2.00
iv) निवेश आरक्षित निधि का प्रवाह		
ए) प्रारम्भिक शेषराशि	176.90	--
बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित राशि	152.79	176.90
सी) घटाएं: आहरण द्वारा कमी	--	--
<b>डी) अंतिम शेषराशि</b>	<b>329.69</b>	<b>176.90</b>

**सी) एचटीएम श्रेणी से/को बिक्री व अंतरण**

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक के बही मूल्य के निवेश का एचटीएम श्रेणी से विक्रय एवं उसमें अंतरण किया है. उपर्युक्त से 5% प्रारम्भिक सीमा अलग होगी:

- i. प्रतिभूतियों के एकबारगी हस्तांतरण को / एचटीएम श्रेणी से निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लेखा वर्ष की शुरुआत में बैंकों के द्वारा किए जाने की अनुमति है. बैंक ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 8,208.12 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से बिक्री के लिए उपलब्ध (एफएस) श्रेणी में अंतरण कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ की अंतरण हानि हुई है, जिसका पूरा लेखा-जोखा दिया गया है.
- ii. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर आवश्यकताओं में अधोगामी संशोधन के तदनुसार एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता कम करने के लिए एचटीएम से प्रत्यक्ष विक्रय.
- iii. भारतीय रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन परिचालनों जैसे खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) तथा सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जी-सैप) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को विक्रय.
- iv. भारत सरकार द्वारा वापस खरीदने/परिचालन अंतरण के अंतर्गत बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों को पुनः खरीदना.
- v. बायबैक/स्विच परिचालन के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य विकास ऋणों को पुनः खरीदना.
- vi. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण.

**डी) गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो**

**i) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2023-24	2022-23
ए)	आरंभिक शेष	5,925.60	4,431.69
बी)	1 अप्रैल से वर्ष के दौरान वृद्धि	906.97	1,910.06
सी)	उपरोक्त अवधि के दौरान कमी	959.04	416.15
डी)	अंतिम शेष	5,873.53	5,925.60
ई)	कुल धारित प्रावधान	5,597.16	5,737.00

**ii) गैर- एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संमिश्र**

सरकार एवं अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों में निवेशों के जारीकर्ता संमिश्र निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी आवंटन की मात्रा		'निवेश स्तर से नीचे' प्रतिभूतियों की मात्रा		'गैर- निर्धारित' प्रतिभूतियों की मात्रा		'गैर सूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा		
			2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
ए)	पीएसयू	3,146.01	4,193.09	926.13	1,418.66	--	--	2,661.74	3,080.52	0.58	0.58
बी)	वित्तीय संस्थाएं	2,032.00	4,046.13	611.80	1,765.47	--	--	--	--	--	--
सी)	बैंक	1,641.16	2,816.78	1,016.68	2,177.16	--	--	5.00	5.00	--	--
डी)	निजी कॉर्पोरेट	15,070.88	24,269.13	12,946.07	20,609.27	18.45	20.00	426.91	448.37	125.70	126.16
ई)	सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम	1,542.52	1,542.52	1,542.52	1,542.52	--	--	--	--	--	--
एफ)	अन्य	49,834.33	50,035.42	46,438.30	46,481.31	--	--	--	--	--	--
जी)	मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान	(8,613.63)	(7,855.57)	--	--	--	--	-0.69	--	-13.08	--
	<b>कुल</b>	<b>64,653.27</b>	<b>79,047.49</b>	<b>63,481.50</b>	<b>73,994.39</b>	<b>18.45</b>	<b>20.00</b>	<b>3,092.96</b>	<b>3,533.89</b>	<b>113.20</b>	<b>126.74</b>

**ई) रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य के अनुसार)**

इंगित अवधि के लिए निर्धारित निम्नलिखित सारणी, जिसमें चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) व सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) में संव्यवहार सहित क्रमशः रेपो व रिवर्स रेपो संव्यवहार के तहत खरीदे एवं बेचे गए प्रतिभूतियों के विवरण दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	दिनांक 31.03.2024 को बकाया
<b>i) रेपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां</b>				
ए) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	24,370.64	4,530.91	0.00
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
सी) अन्य कोई प्रतिभूतियां	0.00	10.33	0.17	0.00
<b>ii) रिवर्स रेपो के अंतर्गत क्रय की गई प्रतिभूतियां</b>				
ए) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00	17,048.62	3,303.65	9,277.25
बी) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां				
सी) अन्य कोई प्रतिभूतियां				

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

एफ) सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन का विवरण (बाज़ार मूल्य के संबंध में):

(₹ करोड़ में)

31.03.2024 तक	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2024 तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00

(₹ करोड़ में)

31.03.2023 तक	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2023 तक बकाया
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार ली गई प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के अंतर्गत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	0.00	0.00	0.00	0.00

जी) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के प्रतिभूतियों के बिक्री पर ₹ 290.89 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 193.77 करोड़) के लाभ को शुरुआत में लाभ तथा हानि खाते में लिया गया.

एच) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के संबंध में, जैसा कि महत्वपूर्ण खाता नीति में कहा गया है वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य पर अधिग्रहण लागत के अतिदेय ₹ 684.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 723.50 करोड़) हुआ है.

आई) शेयर परिवर्तनीय डिबेंचर तथा म्यूचुअल फंड/वेंचर पूंजी फंड इक्विटी की इकाइयों और साथ ही अग्रिमों में भी किए गए कुल निवेश के सापेक्ष शेयर का योग ₹ 2288.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2,353.41 करोड़) है.

**4. आस्ति गुणवत्ता**

**ए) अग्रिम एवं धारित प्रावधानों का वर्गीकरण**

वित्तीय वर्ष 2023-24	मानक	गैर-निष्पादित			कुल	
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि		कुल गैर निष्पादित अग्रिमों
<b>सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए</b>						
प्रारंभिक शेषराशि	748918.02	7118.16	34950.72	18918.41	60987.29	809905.31
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़					11876.65	
घटाए: वर्ष के दौरान गिरावट					29766.01	
अंतिम शेषराशि	861786.17	7900.43	24833.99	10363.31	43097.73	904883.90
*सकल एनपीए में गिरावट के कारण:					29766.01	

## वित्तीय वर्ष 2023-24

	मानक		गैर-निष्पादित			कुल
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल गैर निष्पादित अग्रिमों	
i) उन्नयन					4212.51	
ii) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					7289.49	
iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़े-खाते डालना					15457.95	
iv) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बढ़े खाते डालना					2806.06	
<b>प्रावधानों (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)</b>						
धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेषराशि	5579.56	1892.61	27035.25	18701.32	47629.18	53208.74
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	700.73				6387.29	7088.02
घटाए: प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बढ़े खाते डालना	302.91				20227.50	20530.41
धारित प्रावधान की अंतिम शेषराशि	5977.38	2181.45	21392.83	10214.69	33788.97	39766.35
विविध जमाराशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुर्नसंरचित छोड़ी गई राशि					318.84	318.84
<b>निवल एनपीए</b>						
प्रारंभिक शेषराशि		5199.52	7727.92	0.00	12927.44	12927.44
जोड़े: वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़					5489.36	5489.36
घटाए: वर्ष के दौरान घटाव					9426.88	9426.88
अंतिम शेषराशि		5702.09	3287.83	0.00	8989.92	8989.92
<b>अस्थिर प्रावधान</b>						
प्रारंभिक शेषराशि						शून्य
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान						शून्य
घटाए: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि						शून्य
अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेषराशि						शून्य
<b>तकनीकी बढ़े-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ</b>						
तकनीकी बढ़े-खाते डालने/विवेकपूर्ण बढ़े-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेषराशि						72791.95
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़ेखाते डालना						15457.96
घटाए: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बढ़ेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ						8412.69
अंतिम शेषराशि						79837.22

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

( ₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2022-23

	मानक		गैर-निष्पादित		कुल गैर निष्पादित अग्रिमों	कुल
	कुल मानक अग्रिमों	उप-मानक	संदिग्ध	हानि		
<b>सकल मानक अग्रिम तथा एनपीए</b>						
प्रारंभिक शेषराशि	6,36,820.81	11,040.55	49,449.47	19,097.04	79,587.07	7,16,407.87
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए जोड़					12,518.60	12,518.60
घटाए: वर्ष के दौरान गिरावट					31,118.38	31,118.38
अंतिम शेषराशि	7,48,918.02	7,118.16	34,950.72	18,918.41	60,987.29	8,09,905.31
*सकल एनपीए में गिरावट के कारण:					31,118.38	31,118.38
ii) उन्नयन					4,666.03	4,666.03
v) वसूलियाँ (उन्नयन किए गए खातों से वसूलियों को छोड़कर)					7,277.35	7,277.35
vi) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालना					16,805.74	16,805.74
vii) उपरोक्त (iii) के अंतर्गत के अलावा अन्य को बट्टे खाते डालना					2,369.26	2,369.26
<b>प्रावधानों (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)</b>						
धारित प्रावधान की प्रारंभिक शेषराशि	6,566.77	2,377.63	33,650.81	18,628.10	54,656.53	61,223.30
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान					12,478.97	12,478.97
घटाए: प्रवर्तन किया गया अतिरिक्त प्रावधान बट्टे खाते डालना	987.21				19,506.32	20,493.53
धारित प्रावधान की अंतिम शेषराशि	5,579.56	1,892.61	27,035.25	18,701.32	47,629.18	53,208.74
विविध जमा राशि में रखी गई राशि प्राप्त ईसीजीसी दावे/वाद दायर खातों में वसूली/एनपीए खातों में पुर्नसंरचित छोड़ी गई राशि					430.68	430.68
<b>निवल एनपीए</b>						
प्रारंभिक शेषराशि		8,659.30	15,524.13	119.87	24,303.30	24,303.30
जोड़े: वर्ष के दौरान नए शामिल किए गए जोड़					12,048.29	
घटाए: वर्ष के दौरान घटाव					23,424.15	
अंतिम शेषराशि		5,199.52	7,727.92	0.00	12,927.44	12,927.44
<b>अस्थिर प्रावधान</b>						
प्रारंभिक शेषराशि						शून्य
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए नवीन प्रावधान						शून्य
घटाए: वर्ष के दौरान आहरण में गिरावट राशि						शून्य
अस्थिर प्रावधानों की अंतिम शेषराशि						शून्य
<b>तकनीकी बट्टे-खाते डालना तथा उसमें की गई वसूलियाँ</b>						
तकनीकी बट्टे-खाते डालने/विवेकपूर्ण बट्टे-खाते डालने के खातों का प्रारंभिक शेषराशि						68,680.43
जोड़े: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डालना						16,805.73
घटाए: वर्ष के दौरान पूर्व के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते डाले गए खातों से की गई वसूलियाँ						12,693.64
अंतिम शेषराशि						72,792.52

अनुपात (प्रतिशत में)	2023-24	2022-23
सकल एनपीए से सकल अग्रिमों	4.76%	7.53%
सकल एनपीए से सकल अग्रिमों	1.03%	1.70%
प्रावधान कवरेज अनुपात	92.69%	90.34%

## बी) क्षेत्रवार अग्रिम और सकल एनपीए

(₹ करोड़ में)

क्र. क्षेत्र	2023-24			2022-23		
	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
<b>i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र</b>						
ए) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	1,73,138.68	15,031.40	8.68	1,43,493.24	13,691.94	9.54
बी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के रूप में पात्र क्षेत्र के उद्योग को ऋण	41,374.13	3,781.99	9.14	39,428.37	5,576.86	14.14
सी) सेवाएं	94,445.45	7,720.82	8.17	85,855.21	10,104.78	11.77
डी) वैयक्तिक ऋण	30,772.63	1,684.84	5.48	38,088.39	2,808.90	7.37
<b>उप-योग (i)</b>	<b>3,39,730.89</b>	<b>28,219.05</b>	<b>8.31</b>	<b>3,06,865.21</b>	<b>32,182.48</b>	<b>10.49</b>
<b>ii) गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र</b>						
ए) कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	10,694.41	613.43	5.74	7,736.63	1,117.94	14.45
बी) उद्योग	1,22,499.97	5,988.25	4.89	1,08,328.10	10,001.65	9.23
सी) सेवाएं	2,46,442.97	2,179.82	0.88	1,89,560.91	9,178.30	4.84
डी) वैयक्तिक ऋण	1,85,515.66	6,097.18	3.29	1,97,414.46	8,506.92	4.31
<b>उप-योग (ii)</b>	<b>5,65,153.01</b>	<b>14,878.68</b>	<b>2.63</b>	<b>5,03,040.10</b>	<b>28,804.81</b>	<b>5.73</b>
<b>कुल (i+ii)</b>	<b>9,04,883.90</b>	<b>43,097.73</b>	<b>4.76</b>	<b>8,09,905.31</b>	<b>60,987.29</b>	<b>7.53</b>

उद्यमों के विवरण, जिसमें उप-क्षेत्र अग्रिम उद्योग क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 10% से अधिक है:

(₹ करोड़ में)

क्र. क्षेत्र	2023-24		
	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
I मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद	24,194.02	867.80	3.59
II निर्माण	98,816.34	3,752.19	3.80
III फूड विनिर्माण एवं प्रोसेसिंग	29,705.32	1,936.86	6.52

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.	क्षेत्र	2022-23		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों से एनपीए का %
I	मूल मेटल एवं मेटल उत्पाद	25,124.64	1,689.75	6.73
II	विनिर्माण	94,202.45	7,569.17	8.04

**सी) समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए एवं राजस्व**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
कुल आस्तियां	42,411.89	31,540.79
कुल एनपीए	2,329.15	2,357.98
कुल राजस्व	2,137.03	1,096.75

**डी) आरबीआई परिपत्र क्र. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के तहत संकल्प योजना एवं पुर्ननिर्माण का विवरण:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	निवेश मूल्य	धारित प्रावधान
आरबीआई जून, 2019 परिपत्र के आधार पर ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	शून्य	शून्य	शून्य

**ई) परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन**

वित्तीय विवरणों पर आरबीआई मास्टर निदेश प्रस्तुतिकरण और प्रकटीकरण परिपत्र संख्या आरबीआई/ डीओआर/ 2021-22/ 83डीओआर.एसीसी. आरईसी.सं.45/ 21.04.018/ 2021-22, दिनांक 30 अगस्त, 2021 (समय-समय पर अद्यतित) में उल्लिखित शर्तों के आधार पर, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर कोई प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है.

**एफ) ऋण एक्सपोजर के अंतरण का प्रकटीकरण:**

- i) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने किसी भी ऋण को संदिग्ध में अंतरित नहीं किया है.
- ii) समनुदेशन के माध्यम से प्राप्त उन ऋणों के विवरण जिन्हें संदिग्ध में शामिल नहीं किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
अर्जित ऋणों की कुल राशि	244.34	2,772.99
अवशिष्ट परिपक्वता का कुल भारांक (माह में)	126.34	74.59
प्रवर्तक द्वारा धारित अवधि का कुल भारांक (माह में)	11.26	12.47
प्रवर्तक द्वारा लगभग आर्थिक ब्याज का प्रतिधारण	10%	10.00%
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	272.14%	72.13%

प्राप्त ऋणों को निर्धारित नहीं किया गया है क्योंकि ये गैर-कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के लिए है.

- iii) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी अनर्जक आस्ति प्राप्त नहीं की है.

- iv) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी ऋण जो चूक और एसएमए श्रेणी में नहीं है, उनका अंतरण नहीं किया है।
- v) अंतरित किए गए अनर्जक ऋणों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2023-24 विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें)
खातों की संख्या	17	1	-
अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन	2,098.81	37.24	-
अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक	12.80	1	-
अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	8.16	0.00	-
कुल प्रतिफल	805.21	23.00	-
पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल एसएमए	45.09	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान अर्जित ऋणों का विवरण	शून्य	शून्य	शून्य
प्राप्त ऋणों का कुल बकाया मूलधन	शून्य	शून्य	शून्य
भुगतान किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य	शून्य
अर्जित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	शून्य	शून्य

5 खातों में दबावग्रस्त ऋणों की बिक्री के कारण लाभ और हानि खाते में वापस किए गए अतिरिक्त प्रावधानों की मात्रा ₹. 172.76 करोड़ है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष 2022-23 विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती को	अन्य अंतरिती को (कृपया स्पष्ट करें)
खातों की संख्या	10		
अंतरित किए गए ऋणों के कुल बकाया मूलधन	3,248.82		
अंतरित किए गए ऋणों के अवशिष्ट अवधि के कुल भारांक	119.42	शून्य	शून्य
अंतरित ऋणों के निवल बही मूल्य (अंतरण के समय)	शून्य		
कुल प्रतिफल	1,472.76		
पिछले वर्ष में अंतरित किए गए खातों के संबंध में लिए गए अतिरिक्त प्रतिफल	45.09		

- vi) 31 मार्च, 2024 तक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा ऐसे एसआर को सौंपे गए वसूली रेटिंग की विभिन्न श्रेणियों में धारित एसआर का वितरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वसूली रेटिंग बैंड	बही मूल्य	
	यथा 31.03.2024	यथा 31.03.2023
आरआर 1+	104.51	222.25
आरआर 1	576.56	384.06
आरआर 2	239.19	186.16
आरआर 3	93.49	53.27
आरआर 4	4.01	181.07
आरआर 5	247.23	391.09
आरआर 6	--	--
गैर-चिन्हित	974.15	815.86
<b>कुल</b>	<b>2,239.14</b>	<b>2,233.76</b>

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 8 वर्ष के बाद रेटिंग लागू नहीं होगी।

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, पोर्टफोलियो में चार नए एसआर जोड़े गए हैं और सुरक्षा प्राप्ति के बही मूल्य पर 100% प्रावधान किया गया है।

**जी) धोखाधड़ी खाते**

विवरण	(₹ करोड़ में)	
	31.03.2024	31.03.2023
रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी की संख्या	3168*	366
धोखाधड़ी में शामिल राशि	2,321.61	5,504.38
धोखाधड़ी खातों में शेष राशि	2,126.93	5,418.30
ऐसे धोखाधड़ी के लिए किए गए प्रावधान की राशि	0.00	0.00

\* 3168 मामलों में से, ₹ 28.92 करोड़ के 3046 मामले ग्राहकों द्वारा साझा किए गए क्रेडेंशियल से संबंधित हैं, जिसमें ग्राहकों ने ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड आदि जैसी संवेदनशील जानकारी फोन पर या ऑनलाइन दिए गए लिंक पर क्लिक करके या व्हाट्सएप, ई-मेल और टेक्स्ट मैसेज आदि के माध्यम से साझा की है। आरबीआई की 13 जनवरी, 2023 के परामर्श के अनुसार, ठग्राहकों द्वारा साझा किए गए क्रेडेंशियल से संबंधित सभी मामलों को एफएमआर में रिपोर्ट किया जाना है, भले ही बैंकों की शून्य देयता हो। इसलिए, इन मामलों की राशि को प्रावधान के लिए शून्य माना गया है।

**एच) कोविड-19 संबंधी तनाव के लिए समाधान ढांचे के अनुसार आरबीआई परिपत्र दिनांक 06 अगस्त, 2020 तथा 05 मई, 2021 के अंतर्गत कार्यान्वित की गई समाधान योजना के विवरण निम्नानुसार हैं:**

उधारकर्ता के प्रकार	(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर (ए) 30.09.2022 तक स्थिति	अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से एनपीए में स्लिप हुए कुल ऋण	अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से बड़ेखाते डाली गई राशि	अर्ध वर्ष के दौरान (ए) में से उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि#	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों का एक्सपोजर 31.03.2024 तक स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	5,168.53	162.46	-	453.08	4,552.99
कॉर्पोरेट व्यक्ति*	2,487.47	0.00	-	708.41	1,779.06
जिसमें से, एमएसएमई	184.05	0.00	-	50.27	133.78
अन्य	147.89	15.75	-	15.73	116.41
<b>कुल</b>	<b>7,803.89</b>	<b>178.21</b>	<b>-</b>	<b>1,177.22</b>	<b>6,448.46</b>

\* निवेश एक्सपोजर शामिल है

# इसमें मौजूदा खातों, बंद खातों और अवधि के दौरान पुनर्रचना से बाहर खातों में एक्सपोजर में निवल परिवर्तन शामिल है

आई) "अग्रिमों की पुनर्रचना" सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र (एकबारगी पुनर्रचना) पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआर.बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019, डीओआर.सं.बीपी.बीसी. 34/21.04.048/2019-20 दिनांक 11 फरवरी, 2020, डीओआर.एसटीआर.आरईसी/4/21.04.048/2020-21 दिनांक 6 अगस्त, 2020 तथा डीओआर.एसपीआर.आरईसी. 12/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के क्रम में बैंक ने एमएसएमई उधारकर्ता खातों को निम्नानुसार पुनर्रचित किया है:

पुनर्रचित किए गए खातों की संख्या	₹ करोड़ में
1,01,642	3,704.38

जे) वैयक्तिक तथा छोटे करोबार के लिए समाधान ढांचा 2.0 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीओआर.एसटीआर.आरईसी. 11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05.05.2021 के क्रम में, विवरण निम्नानुसार है:

क्षेत्र	यथा 31.03.2024 तक स्थिति	
	उधारकर्ताओं की संख्या	राशि ₹ करोड़ में
वैयक्तिक तथा छोटे कारोबार	28,057	4,128.02
कृषि/संबद्ध	2,658	198.82
<b>कुल</b>	<b>30,715</b>	<b>4,326.84</b>

के) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून, 2019 के क्रम में, बैंक ने 31 मार्च, 2024 तक 11 खातों में प्रावधान धारित किया है, जो निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

आरबीआई परिपत्र द्वारा प्रभावित ऋणों की राशि	एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋणों की राशि	(बी) में से यथा 31.03.2024 तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले ऋणों की राशि	(ए) में से आरबीआई परिपत्र के अंतर्गत कवर किए गए अपेक्षित प्रावधान	31.03.2024 तक धारित प्रावधान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)
1,842.52	1,435.75	1,435.75	525.09	525.09

एल) भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र. डीबीआरक्र.बीपी.15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआरक्र.बीपी.1906/21.04.048/2016-17 क्रमशः दिनांक 23 जून, 2017 और 28 अगस्त, 2017 के अनुसार दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के प्रावधानों के तहत कवर किए गए खातों के लिए दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बैंक ने 100% शेष राशि ₹ 10112.72 करोड़ (तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाले गए ₹ 10,112.72 करोड़ के खातों सहित) का प्रावधान किया है।

## 5. एक्सपोजर

### ए) रियल इस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	<b>प्रत्यक्ष एक्सपोजर</b>	1,05,212.15	99,387.40
ए)	आवासीय बंधक - आवासीय संपत्तियों पर ऋण पूरी तरह से बंधक द्वारा सुरक्षित है और ये सम्पत्तियां ऋण लेने वालों के कब्जे में हैं या किराये पर हैं; - उपर्युक्त में से, प्राथमिक क्षेत्र अग्रिमों में शामिल किए जाने हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण. जोखिम में गैर-निधि आधारित सीमाएं शामिल हैं।	91,105.00 24,431.00	84,322.00 32,831.00
बी)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट वाणिज्यिक अचल सम्पदा (कार्यालय भवन, फुटकर स्थल, बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-पट्टेदार व्यावसायिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण आदि) के ऋण बंधक द्वारा सुरक्षित. एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल हैं।	14,107.15	15,065.40

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
सी)	बंधक समर्थित/ प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूत एक्सपोजर - i. आवासीय, ii. वाणिज्यिक रियल इस्टेट.	शून्य शून्य	शून्य शून्य
ii)	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा गृह निर्माण वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर.	39,321.31	46,693.51
	<b>रियल इस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर</b>	<b>1,44,533.46</b>	<b>1,46,080.91</b>

**बी) पूँजी बाजार में एक्सपोजर**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में सीधा निवेश, जिसकी आधारभूत निधि केवल कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है.	1,189.35	1,208.79
ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या शेयरों में निवेश हेतु बेजमानती आधार पर (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्ड्स, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड की इकाइयों के पेटे अग्रिम	1.86	1.35
iii)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहां शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है	292.53	299.20
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों की संपादक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित अन्य प्रयोजनों के अग्रिम, जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्ड्स/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों को छोड़कर अन्य मूल प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्णतः सुरक्षित नहीं करती है.	2,090.01	1,198.71
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं बेजमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	1,279.99	1,058.30
vi)	शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बढ़ते संसाधनों की प्रत्याशा में नयी कंपनियों के इक्विटी के लिए प्रमोटर के अंशदान के लिए बेजमानती आधार पर कॉर्पोरेट्स को मंजूर ऋण	--	--
vii)	संभावित इक्विटी प्रवाहों/निर्गमों के पेटे कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	--	--
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्ड्स या परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की इकाइयों के मूल निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा प्रतिबद्धताओं की जिम्मेदारी लेना.	--	--
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त पोषण	--	--
x)	वेंचर पूँजी निधियों के सभी एक्सपोजर (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) इक्विटी के समान माने जाएंगे और इसलिए उन्हें अनुपालन हेतु पूँजी बाजार निवेश सीमाओं (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों) के साथ हिसाब में लिया जाएगा.	1,099.15	1,144.62
	<b>पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर</b>	<b>5,952.89</b>	<b>4,910.97</b>

पूँजी बाजार में ₹. 5952.89 करोड़ का एक्सपोजर ₹ 25439.73 करोड़ (यानी 31 मार्च, 2023 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹. 63,599.33 करोड़ का 40% है) की सीमा के भीतर है.

पूँजी बाजार में ₹. 2288.51 करोड़ का प्रत्यक्ष एक्सपोजर ₹. 12,719.87 करोड़ (यानी 31 मार्च, 2023 तक बैंक की कुल संपत्ति ₹. 63,599.33 करोड़ का 20% है) की सीमा के भीतर है.

सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बकाया राशि की पुनर्रचना के लिए, ऋणदाताओं को मौजूदा विनियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के अधीन, कंपनी की इक्विटी जारी करके उनके नुकसान/त्याग (शुद्ध वर्तमान मूल्य के संदर्भ में खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए आरंभिक रूप से मुआवजा दिया जा सकता है।

- यदि इक्विटी शेयरों के ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप मौजूदा विनियामक पूंजी बाजार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा पार हो जाती है, तो इसका विवरण निम्नानुसार है: लागू नहीं।
- कार्यनीति ऋण पुनर्रचना के भाग के रूप में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने का विवरण जिनको सीएमई सीमाओं से छूट प्राप्त है, निम्नानुसार है:

खातों की संख्या	राशि करोड़ में (31.03.2024 तक वही मूल्य)
16	2081.10

### सी) जोखिम संवर्ग-वार कंट्री एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

जोखिम संवर्ग	शुद्ध एक्सपोजर 31.03.2024	धारित प्रावधान 31.03.2024	शुद्ध एक्सपोजर 31.03.2023	धारित प्रावधान 31.03.2023
अपर्याप्त	33,279.81	शून्य	31,603.27	शून्य
अल्प	10,850.77	शून्य	22,760.29	शून्य
सामान्य रूप से अल्प	655.20	शून्य	513.30	शून्य
सामान्य	5.97	शून्य	227.78	शून्य
सामान्य रूप से उच्च	475.95	शून्य	670.21	शून्य
उच्च	7.64	शून्य	101.17	शून्य
अत्यधिक उच्च	45.21	शून्य	0.00	शून्य
<b>कुल</b>	<b>45,320.55</b>	<b>शून्य</b>	<b>55,876.02</b>	<b>शून्य</b>

कंट्री जोखिम नीति 2023-24 के अनुसार, भारत में ट्रेड एक्सपोजर के लिए बैंक द्वारा ईसीजीसी कंट्री जोखिम वर्गीकरण का उपयोग भारत तथा विदेश दोनों में स्थित शाखाओं के अतिरिक्त व्यापार जोखिम के लिए किया गया है।

बैंक केवल उस देश के संबंध में ही कंट्री जोखिम नीति का प्रावधान करेगा, जहां निवल वित्त पोषित जोखिम अपनी कुल संपत्ति का 1% या उससे अधिक है।

### डी) बेजमानती अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बैंक के कुल प्रतिभूति रहित अग्रिम	1,42,936.88	1,25,803.00
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे राइट्स, लाइसेंस, अथॉरिटी आदि पर प्रभार के पेटे बकाया ऋण राशि	शून्य	शून्य
ऐसी अमूर्त सम्पार्थिक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	शून्य	शून्य

सड़क / राजमार्ग / परियोजनाओं और टोल संग्रह अधिकारों के संबंध में बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल के तहत वार्षिकी द्वारा समर्थित अग्रिमों को भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्र ओडी.बीपी.बीसी.न. 83/08.12.014/2012-13 दिनांक 18 मार्च, 2013 के अनुसार सुरक्षित माना गया है।

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

**ई) फेक्टरिंग एक्सपोजर**

(₹ करोड़ में)

विवरण	यथा 31.03.2024	यथा 31.03.2023
डीबीआर.नं.एफएसडी.बीसी.32/24.01.007/2015-16 दिनांक 30 जुलाई, 2015 (पैरा 8) के अनुसार टीआरईडी एक्सपोजर.	1,018.86	523.83

**एफ) इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	624.98	539.98
20 बड़े इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर की कुल राशि	624.98	539.98
बैंक के कुल उधारकर्ताओं / ग्राहकों के इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर में ऋणियों/ ग्राहकों के इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रतिशत	0.05	0.05
इंद्रा ग्रुप एक्सपोजर पर ऋण सीमा के उल्लंघन का विवरण एवं नियामक द्वारा उस पर की गयी कार्रवाई.	शून्य	शून्य

**जी) अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**

यूएफसीई के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशनिर्देशों के अनुसार, बैंक ने क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति अनुमोदित की है। बैंक नीति बनाते समय, फोरेक्स मार्केट में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखा गया है एवं तदनुसार जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। बैंक ने अन-हेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर से होने वाली क्रेडिट जोखिमों को ध्यान में रखा है एवं तदनुसार अतिरिक्त ऋण मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क को शामिल कर जोखिम को कम करने के उपायों को अपनाया है। मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान यूएफसीई के साथ कम्पनियों के एक्सपोजर के लिए कुल प्रावधान रु. 19.30 करोड़ किया गया।

**6. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर एवं एनपीए का केन्द्रीकरण:**

**ए) जमाराशियों का केन्द्रीकरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि	84,511.79	89,178.87
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं से प्राप्त जमाराशियों का प्रतिशत	7.05 %	7.98%

**बी) अग्रिमों का केन्द्रीकरण:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को दिए गए कुल अग्रिम	1,37,764.66	1,35,946.15
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत.	11.59%	12.92%

**सी) एक्सपोजर का केन्द्रीकरण:**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	1,39,678.91	1,38,811.94
बैंक के कुल उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर में बीस बड़े ऋणियों/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	11.07%	12.20%

## डी) एनपीए का केन्द्रीकरण:

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
बीस बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	6,079.06	10,510.60
कुल सकल एनपीए में अधिकतम बीस एनपीए के एक्सपोजर का प्रतिशत	13.38%	17.23%

(₹ करोड़ में)

## ई) भारतीय रिजर्व बैंक के वृहद जोखिम ढांचा के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण.

बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) से अधिक का विवरण.

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोजर सीमा (₹)	कुल एक्सपोजर (₹)	पूंजी निधि के % के रूप में एक्सपोजर	31.03.24 की स्थिति	पूंजी निधि के % की स्थिति
1.	एकल उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

- आरबीआई एलईएफ के दिनांक 3 जून, 2019 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एकल और समूह उधारकर्ता के लिए एक्सपोजर सीमा बैंकों के टियर-1 पूंजी निधि के क्रमशः 20% और 25% के रूप में परिभाषित की गई है. असाधारण मामलों में, बैंकों का बोर्ड एकल उधारकर्ता को अतिरिक्त 5 प्रतिशत एक्सपोजर (बैंकों के उपलब्ध टियर-1 पूंजी निधि का) की अनुमति दे सकता है.
- 31.03.2024 तक, किसी भी एकल/समूह उधारकर्ता की निर्धारित सीमा को पार नहीं किया है.

## 7. डेरीवेटिव्स

### ए) वायदा दर अनुबंध / ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि प्रतिपक्षों	46,078.83	42,093.16
ii)	अनुबंध के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा अपने दायित्वों की पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानि	141.77	136.65
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने हेतु बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से आयी क्रेडिट जोखिम का संकेन्द्रण	बैंकिंग उद्योग	बैंकिंग उद्योग
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	4.51	4.65

(₹ in crore)

नोट:

- I. भारतीय रुपये में ब्याज दर स्वैप की परस्पर हेजिंग ऋण व्यवस्था की गई.
- II. बैंक ने वर्ष के दौरान ट्रेडिंग के लिए फ्लोटिंग से स्थायी अथवा स्थायी से फ्लोटिंग ब्याज दर संव्यवहारों को अपनाया है.
- III. हेज संव्यवहारों के लिए सभी अंतर्निहित, उपचय के आधार पर है.

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

**बी) एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिव्स**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
i)	वर्ष के दौरान किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव संव्यवहारों के कल्पित मूल राशि का विनिमय (लिखत-वार) ब्याज दर वायदा				
	ए) 726GS2032	198.14	26.12	1,180.76	1,180.74
	बी) 726GS2033	1,960.40	1,888.96	--	--
	सी) 718GS2033	878.70	682.50	--	--
	डी) 610GS2031			1,215.04	1,215.04
	ई) 654GS2032			1,074.28	1,074.28
ii)	31 मार्च 2024 तक बकाया ब्याज दर डेरीवेटिव को विनिमयगत संव्यवहारों की कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)		-	0.02	
	ए) 726जीएस2032				
iii)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई कल्पित मूल राशि (लिखत-वार)		-	शून्य	
iv)	किए गए ब्याज दर डेरीवेटिव के विनिमयगत संव्यवहारों की बकाया और 'अत्यंत प्रभावी' न हुई मार्क टू मार्केट मूल्य (लिखत-वार)		-	शून्य	

**सी) डेरीवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन**

**i) गुणात्मक प्रकटन:**

ए) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के ढांचे के अधीन बैंक दो समूहों में डेरीवेटिव्स संव्यवहार करता है.

- i) काउन्टर पर डेरीवेटिव संव्यवहार
- ii) एक्सचेंज के माध्यम से डेरीवेटिव संव्यवहार

काउन्टर पर डेरीवेटिव समूह में बैंक वायदा दर अनुबंध, ब्याज दर स्वेप, क्रॉस करेंसी स्वेप और करेंसी ऑप्शन में संव्यवहार करता है.

एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले डेरीवेटिव समूह, में बैंक करेंसी वायदा और वायदा ब्याज दर में कारोबार करता है. भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएससी), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) एवं मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज (एमएसईआईएल) का उनकी करेंसी डेरीवेटिव सेगमेंट में ट्रेडिंग एवं समाशोधन सदस्य है. बैंक इन एक्सचेंजों में करेंसी वायदा में स्वामित्व ट्रेडिंग करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वायदा ब्याज दर पर व्यापार करता है. बैंक ने फ्रंट, मिड एवं बैंक ऑफिस परिचालनों के लिए आवश्यक मूलभूत संरचना का गठन किया है. नियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप दैनिक मार्क टू मार्केट (एमटीएम) एवं मार्जिन दायित्व को संव्यवहार के साथ निपटाया जाता है.

बैंक लागू विनियमों के अंतर्गत स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग, अपने स्वयं के तुलनपत्र की हेजिंग और अपनी जोखिम हेज करने वाले ग्राहकों के लिए डेरीवेटिव संव्यवहार करता है. स्वामित्व ट्रेडिंग/मार्केट मेकिंग पोजीशन रुपया ब्याज दर स्वेप, करेंसी वायदा और ब्याज दर वायदा में की जाती है. हालांकि डेरीवेटिव लिखतों में गैर-ब्याज आय बढ़ाने और बाजार जोखिम से सुरक्षा के प्रचुर अवसर सन्निहित होते हैं, किन्तु इससे बैंक की विविध जोखिमों भी बढ़ जाती है. बैंक ने डेरीवेटिव संव्यवहारों से उत्पन्न होने वाली विभिन्न जोखिमों के प्रबंधन के लिए निम्न युक्तियां अपनायी हैं.

ए) आवश्यक मूलभूत संरचना के क्रम में ट्रेजरी शाखा में परिचालन को निम्न तीन कार्यात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिन्हें प्रशिक्षित अधिकारियों से सुसज्जित किया गया है और साथ ही उनकी जिम्मेदारियों का निर्धारण भी किया गया है।

- I) फ्रंट ऑफिस- (डीलिंग रुम) बैंक की नीति और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रेड करने के निर्देश का पालन करता है।
- II) मिड कार्यालय - जोखिम प्रबंधन, लेखांकन नीति और प्रबंधन
- III) बैक ऑफिस - निपटान, समाधान और लेखांकन।

मिड ऑफिस ट्रेडिंग बही में संव्यवहारों तथा आधिक्यों का अनुश्रवण करता है और यदि कोई आधिक्य है तो आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है। मिड ऑफिस मार्क टू मार्केट के जरिए दैनिक आधार पर ट्रेडिंग बुक में संव्यवहारों के लिए वित्तीय जोखिमों को भी आंकता है। आस्ति व देयता प्रबंधन पर निदेशक मंडल की समिति को जोखिम प्रोफाइल की जानकारी देने के लिए दैनिक मार्क टू मार्केट पोजीशन, जोखिम प्रबंधन विभाग को रिपोर्ट करता है।

कॉर्पोरेट ग्राहकों के मामले में संव्यवहार केवल अंतर्निहित क्रेडिट एक्सपोजर करने के बाद किए जाते हैं और ग्राहक औचित्य एवं अनुकूलता के लिए ट्रेजरी पॉलिसी में निर्धारित अनुमोदन प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदित किए जाते हैं। आवश्यक दस्तावेज यथा आईएसडीए करारनामा आदि निष्पादित किए जाते हैं। बैंक ने ऋण एक्सपोजर के अनुश्रवण के लिए वर्तमान ऋण निवेश (करंट एक्सपोजर) पद्धति अपनाई है।

बी) बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डेरीवेटिव लिखत के प्रकार, प्रचलन की गुंजाइश एवं अनुमोदन प्रक्रिया के साथ ही साथ अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग के लिए ओपन पोजीशन सीमा, डील साइज सीमा और स्टॉप-लॉस सीमा तथा प्रतिपक्षी पार्टी एक्सपोजर सीमा जैसी सीमाओं का भी उल्लेख है।

विभिन्न जोखिम सीमाएं तय की जाती हैं और उनके समक्ष वास्तविक एक्सपोजर की निगरानी की जाती है। ये सीमाएं बाजार की अस्थिरता, कारोबारी रणनीति और प्रबंधकीय अनुभव को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। जोखिम मानदण्डों यथा पीवी01, स्टॉप-लॉस, प्रतिपक्षी पार्टी क्रेडिट एक्सपोजर के लिए हैं। आवधिक अंतराल पर इन सीमाओं के सापेक्ष वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जाती है और यदि कोई उल्लंघन है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत की जाती है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी गैर ऑप्शन डेरीवेटिव संविदाओं से कुल पीवी01 पोजीशन बैंक की नेटवर्थ के 0.25% के अंदर रहे।

सी) बैंक अपने तुलन पत्र एक्सपोजरों को हेज करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव लेनदेनों का भी प्रयोग करता है। बैंक की ट्रेजरी नीति में एक्सपोजरों को हेजिंग करने के लिए अनुमोदन प्रक्रिया बताई गई है। हेज लेनदेनों का नियमित आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इन लेनदेनों पर पीवी01 एवं वीएआर बाजार दर (मार्क टू मार्केट) आधार पर परिकल्पित लाभ या हानि प्रत्येक माह आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) को रिपोर्ट किया जाता है। हेज प्रभाविता वह डिग्री है, जिसमें परिवर्तन से हेज किए गए मर्दों के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में होने वाला परिवर्तन, हेजिंग लिखत के नकदी प्रवाह या उचित मूल्य में शामिल हो जाता है। हेज की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया समय-समय पर की जाती है।

डी) हेज्ड/अन-हेज्ड संव्यवहारों को अलग से रिकॉर्ड किया जाता है। हेज लेनदेनों की उपचय आधार पर गणना की जाती है। सभी ट्रेडिंग संविदा मार्क-टू-मार्केट किए जाते हैं और आय विवरण में परिणामी लाभ या हानि रिकॉर्ड की जाती है।

ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, आय की पहचान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए समय-समय पर फेडाई द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर कार्रवाई की जाती है।

क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए बैंक द्वारा प्रतिपक्षी बैंकों और प्रतिपक्षी ग्राहकों की लिमिट तय करने के लिए नीति बनाई हुई है। बैंक आवधिक अंतराल पर प्रति पक्षकार एक्सपोजर की निगरानी के लिए करंट एक्सपोजर प्रणाली अपनाता है। डेरीवेटिव लिमिट मंजूर करते समय, सक्षम प्राधिकारी उचित समझी जाने वाली संपार्श्विक/मार्जिन लेने की शर्त लगा सकते हैं। अन्य ऋण लिमिटों के साथ ही डेरीवेटिव लिमिटों की आवधिक समीक्षा की जाती है।

ग्राहक से संबंधित डेरीवेटिव संव्यवहार प्रतिपक्षी बैंक के साथ, प्रत्येक मामले में समकक्ष राशि और अवधि के लिए कवर होते हैं और इनमें कोई बाजार जोखिम नहीं होती है।

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

ii) मात्रात्मक प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

मात्रात्मक प्रकटन					
क्र.सं.	विवरण	31-03-2024		31-03-2023	
		करेंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स	करेंसी डेरीवेटिव्स	ब्याज दर डेरीवेटिव्स
(ए)	<b>डेरीवेटिव (कल्पित मूल राशि)</b>				
	(i) हेजिंग के लिए	6,778.84	2,644.94	3,994.00	3,165.00
	(ii) ट्रेडिंग के लिए	3,79,564.88	43,433.90	4,13,578.41	38,928.18
(बी)	<b>बाजार स्थिति को अंकित</b>				
	(i) आस्तियां (+)	641.93	141.77	1,430.12	135.51
	(ii) देयताएं (-)	-626.56	-136.92	-1,326.16	-130.46
(सी)	<b>ऋण एक्सपोजर (*)</b>	<b>9,043.48</b>	<b>561.54</b>	<b>10,364.27</b>	<b>493.24</b>
(डी)	<b>ब्याज दर में 1 प्रतिशत बदलाव का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) (₹ लाख में)</b>				
	(i) हेजिंग डेरीवेटिव पर	-28,793.60	5,779.79	-20,888.16	3,686.11
	(ii) ट्रेडिंग डेरीवेटिव पर	-252.49	182.26	-16.62	47.77
(ई)	<b>वर्ष के दौरान अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 (₹ लाख में)</b>				
	<b>I. अधिकतम</b>				
	(i) हेजिंग पर	-16,940.51	5,302.80	-10,744.86	4,652.40
	(ii) ट्रेडिंग पर	813.39	5,039.38	1,023.14	2,548.55
	<b>II. न्यूनतम</b>				
	(i) हेजिंग पर	-41,015.29	2,171.13	-23,138.00	3,686.11
	(ii) ट्रेडिंग पर	-420.25	12.28	-25.97	14.82

\*टिप्पणी:

1. ब्याज दर डेरीवेटिव्स के क्रेडिट एक्सपोजर में बचाव सौदों पर एक्सपोजर भी शामिल है.
2. करेंसी डेरीवेटिव्स के क्रेडिट एक्सपोजर में बचाव सौदों पर एक्सपोजर भी शामिल है

**डी) क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप:**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक ने कोई भी क्रेडिट डिफाल्ट स्वैप संव्यवहार नहीं किया.

8. **प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण:** 31 मार्च, 2024 तक, बैंक के पास प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए कोई विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) नहीं है.

9. **बैंक द्वारा प्रायोजित ऑफ-बैलेंस शीट एसपीवी:** शून्य

10. **जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
डीईएएफ को अंतरित राशि का प्रारम्भिक शेष	3,198.83	2,877.09
जोड़ा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित की गयी राशि	604.24	387.59
घटाया : डीईएएफ द्वारा दावे के रूप में प्रतिपूर्ति की गयी राशि	343.16	65.85
डीईएएफ को अंतरित राशि का अन्तिम शेष	3,459.91	3,198.83

डीईए फंड में स्थानांतरित की गई राशि का अंतिम शेष, जैसा कि ऊपर बताया गया है, को भी 'अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएँ की अन्य मदें हैं जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' या 'आकस्मिक देयताएँ अन्य', जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत शामिल किया गया है.

## 11. शिकायतों का प्रकटन:

बैंकों को ग्राहकों एवं लोकपाल कार्यालय (ओबीओ) से प्राप्त शिकायतों पर संक्षिप्त जानकारी

		विवरण	
क्र. सं.	बैंक द्वारा अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें	2023-24	2022-23
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	527	1,395
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	3,20,495	2,52,086
3.	वर्ष के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	3,14,691	2,52,954
3.1	जिनमें से कुल शिकायत बैंक द्वारा अस्वीकृत किए गए	964	610
4.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या (बैंकिंग लोकपाल शिकायत सहित)	6,331	527
<b>ओबीओ से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतें</b>			
5.	बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त बैंक द्वारा प्राप्त समाधान योग्य शिकायतों की संख्या	6,373	6,167
5.1	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के पक्ष में समाधान की गई शिकायतों की संख्या	2,276	2,241
5.2	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा जारी सुलह/मध्यस्थता/ सलाह के माध्यम से समाधान की गई शिकायतों की संख्या	4,097	3,924
5.3	5 में से बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध में निर्णय पास किए जाने पर निपटान की गई शिकायतें.	0	2
6.	निर्धारित समय के भीतर लागू नहीं किए गए निर्णयों की संख्या (अपील किए गए निर्णय के अलावा)	0	0

नोट:- रखरखाव योग्य शिकायतें विशेष रूप से एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (पूर्व में बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006) में उल्लिखित आधारों पर शिकायतों को संदर्भित करती है। हालांकि, सीएमएस साइट से एकत्रित उपरोक्त डेटा में खंड 11 के अनुसार समझौते द्वारा निपटान किया गया है एवं साथ ही साथ लोकपाल योजना 2006 के खंड 13 के अनुसार अस्वीकृत शिकायतों को भी शामिल किया गया है, जो कि पत्र व्यवहार के अधीन है।

### बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के प्रथम 5 कारण (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित)

शिकायतों के प्रकार, (अर्थात् संबद्ध शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में कितनी शिकायतों 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है
1	2	3	4	5	6
<b>चालू वर्ष (2023-24)</b>					
	01.04.2023	2023-24	31.03.2024	31.03.2024	
एटीएम/ डेबिट कार्ड	98	2,11,184	3.80%	1,744	299
इंटरनेट/ मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	50	46,013	96.37%	1,160	196
बिना पूर्व सूचना/ अत्यधिक प्रभार/ फोर्कलॉजर प्रभारों के प्रभार लगाना	1	7,312	89.43%	189	41
चेक/ ड्राफ्ट/ बिल	8	4,342	467.58%	147	40
क्रेडिट कार्ड	0	1,966	3.91%	567	219
अन्य	370	49,678	165.89%	2,524	502
<b>कुल</b>	<b>527</b>	<b>3,20,495</b>	<b>27.14%</b>	<b>6,331</b>	<b>1,297</b>

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

बैंक द्वारा ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के प्रथम 5 कारण (बैंकिंग लोकपाल शिकायतें सहित)

शिकायतों के प्रकार, (अर्थात संबद्ध शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष की तुलना में लंबित शिकायतों की संख्या में वृद्धि/कमी %	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5 में कितनी शिकायतों 30 दिनों से अधिक समय से लंबित है
1	2	3	4	5	6
<b>पिछला वर्ष (2022-23)</b>					
	01.04.2022	2022-23	31.03.2023	31.03.2023	
एटीएम/ डेबिट कार्ड	324	2,03,453	-4.91%	98	0
इंटरनेट/मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	213	23,432	-62.25%	50	0
बिना पूर्व सूचना/ अत्यधिक प्रभार/ फोक्लोअर प्रभारों के प्रभार लगाना	47	3,860	-62.72%	1	0
चेक/ ड्राफ्ट/ बिल	11	765	-77.56%	8	0
ऋण एवं अग्रिम	32	1,892	-40.76%	0	0
अन्य	768	18,684	-46.97%	370	2
<b>कुल</b>	<b>1395</b>	<b>2,52,086</b>	<b>-23.19%</b>	<b>527</b>	<b>2</b>

**12. भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य विनियामक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण:**

(₹ करोड़ में)

नियामक का नाम	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	1	1.00	0	0.00
अन्य नियामक	0	0	0	0.00

बैंक द्वारा चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:

1. किसी भी सरकारी परियोजना को मंजूरी देते समय बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रदान की गई निधि विशिष्ट दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए है जो सरकार की बजटीय योजना का हिस्सा नहीं हैं.
2. बैंक यह भी सुनिश्चित करेगा कि राजस्व प्रवाह वित्तपोषित अंतर्निहित परिसंपत्तियों से आ रहा है और वित्तपोषित अंतर्निहित परियोजना परिसंपत्तियों से प्राप्त स्वतंत्र नकदी प्रवाह के आधार पर परियोजना की व्यवहार्यता और बैंकयोग्य का आकलन करेगा.

**13. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक भुगतान किया गया पारिश्रमिक**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.40	0.49
कार्यपालक निदेशकगण	1.31	1.28
<b>कुल</b>	<b>1.71</b>	<b>1.77</b>

## 14. अन्य प्रकटन

### ए) कारोबार अनुपात

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	कार्यशील निधियों में ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	7.51	6.60
ii)	कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय के रूप में प्रतिशत	1.21	1.20
iii)	जमा राशि की लागत	5.22	4.37
iv)	शुद्ध ब्याज मार्जिन	2.99	2.90
v)	कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ के रूप में प्रतिशत	2.12	2.08
vi)	आस्तियों पर प्रतिफल	1.03	0.69
vii)	प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशि एवं अग्रिम) (रु. करोड़ में)	25.37	23.14
vi)	प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	0.18	0.11

### बी) बैंकएश्योरेंस कारोबार:

बैंक के एश्योरेंस कारोबार से अर्जित की गयी आय का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आय का स्वरूप	31.03.2024	31.03.2023
1.	जीवन बीमा पॉलिसी	278.40	233.39
2.	गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	29.75	50.76
3.	स्वास्थ्य बीमा	54.49	49.13

(रु. करोड़ में)

### सी) विपणन एवं संवितरण

विपणन तथा संवितरण के संदर्भ में प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का विवरण (बैंकएश्योरेंस कारोबार को छोड़कर):

क्र. सं.	आय का स्वरूप	31.03.2024	31.03.2023
1.	म्यूचुअल फंड कारोबार का संवितरण	20.80	19.76

(रु. करोड़ में)

### डी) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार प्रमाणपत्र

बैंक की अन्य आय में अन्य विषयों के साथ-साथ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र पीएसएलसी-एसएफएमएफ श्रेणी के तहत बिक्री से रु. 581.88 करोड़ की कमीशन आय और पीएसएलसी-कृषि श्रेणी के तहत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र की खरीद के माध्यम से रु.29.87 करोड़ का व्यय शामिल है. पीएसएलसी प्रमाणपत्र व्यापारित मूल्य निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

श्रेणी	व्यापारित मूल्य
पीएसएलसी-सामान्य	9,270
पीएसएलसी-लघु एवं सीमांत किसान	30,000
<b>कुल</b>	<b>39,270</b>

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

**ई) प्रावधान तथा आकस्मिकताएं**

(राशि ₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि मद में प्रदर्शित प्रावधान तथा आकस्मिकताओं का ब्रेक अप:	31.03.2024	31.03.2023
निवेश पर एनपीआई के लिए प्रावधान/(प्रवर्तन)	(354.75)	1,915.18
एनपीए पर प्रावधान	6,387.29	12,478.98
मानक आस्तियों पर प्रावधान/(प्रवर्तन)	700.73	(992.73)
आय कर (आईटी)/ आस्थगित कर आस्तियों (डीटीए) पर किए गए निवल प्रावधान	7,782.08	3,704.45
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं:		
- स्थानांतरण हानि	0.00	--
- पुर्नसंरचित अग्रिम	(3.94)	(96.98)
- अन्य	50.91	24.98
<b>कुल</b>	<b>14,562.32</b>	<b>17,033.88</b>

**एफ) आईएफआरएस के तहत भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप (आईएनडी- एस)**

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.नं.-76/21.07.001/2015-16 दिनांक 11 फरवरी, 2016 के माध्यम से बैंकों में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी- एस) के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप निर्धारित किया तथा बैंकों को इस संबंध में हुए प्रगति सहित अपनी आईएनडी- एस के कार्यान्वयन की रणनीति का प्रकटन करना था. तदनुसार बैंक द्वारा आईएनडी-एस के कार्यान्वयन हेतु एक सलाहकार की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा, बैंक ने आवश्यक सॉफ्टवेयर खरीदे हैं एवं भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय लेखांकन मानक) के सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन हेतु वेंडर को शामिल किया है. बैंक द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति का निरीक्षण करने हेतु संचालन समिति का भी गठन किया गया है तथा निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इससे अवगत कराया जाता है. इसके अतिरिक्त, डीओ.डीबीआर.बीपी.नं.2535/21.07.001/2017-18 दिनांक 13 सितंबर 2017 के अनुसार, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को तिमाही आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2021 तक आईएनडी-एस वित्तीय विवरण प्रोफॉर्मा प्रस्तुत किया है. तदुपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक (विनियमन विभाग) के दिनांक 08 अगस्त, 2021 के मेल के क्रम में, बैंक को अर्ध-वार्षिक आधार पर प्रोफॉर्मा आईएनडी एस वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया. 30 सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के लिए पिछले प्रोफॉर्मा वित्तीय को भारतीय रिजर्व बैंक को 30 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से जमा किया गया.

**जी) डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	डीआईसीजीसी बीमा प्रीमियम का भुगतान (जीएसटी सहित)	1550.26	1,448.90
ii)	डीआईसीजीसी प्रीमियम के भुगतान में एरियर (जीएसटी सहित)	--	--

## एच) बैंकों के कर्मचारियों की बढ़ी हुई पेंशन के कारण व्यय के परिशोधन पर प्रकटीकरण: शून्य

आई) बैंक द्वारा जारी किए गए आश्वासन पत्र (एलसी) पर प्रकटीकरण :

विवरण	( ₹ करोड़ में )	
	31.03.2024	31.03.2023
वर्ष में शुरुआत में बकाया चुकौती आश्वासन पत्र	0.00	0.00
जोड़े: वर्ष के दौरान निर्गत	0.00	0.00
घटाएँ: वर्ष के दौरान अवधि-समाप्त	0.00	0.00
वर्ष के समाप्ति में बकाया	0.00	0.00

आरबीआई/2017-18/139 ए.पी.(डीआर सीरीज) परिपत्र सं. 20 दिनांक 13 मार्च, 2018 के अनुसार भारत में आयात के लिए व्यापार क्रेडिट के लिए अधिग्रहण पत्र (एलओयू) और आश्वासन पत्र(एलओसी) जारी करना बंद कर दिया है.

## जे) ग्रीन जमाराशियों से जुटाई गई धनराशि के उपयोग पर पोर्टफोलियो-स्तरीय जानकारी:

विवरण	( ₹ करोड़ में )		
	चालू वित्तीय वर्ष	विगत वित्तीय वर्ष	संचयी
जुटाई गई कुल ग्रीन जमा (ए)	शून्य	शून्य	शून्य
ग्रीन जमा निधि का उपयोग			
(1) नवीकरणीय इनर्जी			
(2) इनर्जी दक्षता			
(3) क्लीन परिवहन			
(4) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन			
(5) संवहनीय जल एवं अवशेष प्रबंधन			
(6) प्रदूषण बचाव एवं नियंत्रण			
(7) ग्रीन बिल्डिंग			
(8) लिविंग प्राकृतिक संसाधन और भूमि उपयोग का संवहनीय प्रबंधन			
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण			
(10) आबंटित कुल ग्रीन जमाराशि निधि (बी = 1 से 9 का कुल)	शून्य	शून्य	शून्य
(11) आबंटित नहीं की गई ग्रीन जमा निधि की राशि (सी = ए बी)			

## 15. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

### ए. राजस्व पहचान (एएस 9)

आय के कुछ मदों को छोड़कर उपचय आधार पर आय एवं व्यय की गणना महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसूची 17 के लेखांकन नीति क्र. 3.4 के अनुसार वास्तविक आधार पर की गई, जो कि मूर्त नहीं मानी जाएगी.

## अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

### बी. कर्मचारी लाभ (एएस 15 - संशोधित)

#### i) अल्पावधि रोजगार लाभ:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ (जैसे चिकित्सा लाभ) की छूटरहित राशि जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर देय होती है उसे अल्पावधि के रूप में माना जाता है और उस अवधि के दौरान, जिसमें कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है।

#### ii) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

##### ए) निर्धारित अंशदान योजनाएं:

बैंक 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) संचालित करता है जो एक निर्धारित अंशदान योजना है। इस प्रकार नए कार्यग्रहण करने वाले विद्यमान पेंशन योजना के पात्र नहीं हैं। इस योजना के अनुसार इसमें कवर किए गए कर्मचारी अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता के 10% का अंशदान तथा बैंक का 14% अंशदान जमा किया जाता है। कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने तक यह अंशदान बैंक के पास रहता है। बैंक यह वार्षिक अंशदान संबंधित वर्ष के लिए अभिकलित किया करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता क्रमांक (पीआरएएन) प्राप्त होने पर समेकित अंशदान राशि एनपीएस ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाती है।

बैंक के पास 1 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के सभी संवर्गों के लिए लागू निर्धारित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) विद्यमान है। यह योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथारिटी के तत्वावधान के अधीन नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा प्रबंधित है। एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्वोरिटीज़ डिपॉज़िटरी को नियुक्त किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बैंक ने एनपीएस में रु. 644.84 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 525.36 करोड़) का अंशदान किया है।

#### बी) निर्धारित लाभ योजना:

उपादान, पेंशन तथा अवकाश नकदीकरण निर्धारित लाभ योजनाएं हैं। इनमें इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक - 15 "कर्मचारी लाभ" के अनुरूप एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति पर आधारित है। एक्चुरियल लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में तत्काल लिया जाता है।

#### परिभाषित लाभ योजना - कर्मचारी पेंशन योजना और उपादान योजना:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार कर्मचारी हितों के लिए स्पष्टीकरण दिया है। प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

( ₹ करोड़ में )

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		उपादान	पेंशन	उपादान	पेंशन
i)	<b>पारिभाषित लाभ बाध्यताओं में परिवर्तन दर्शाने वाली सारणी:</b>				
	वर्ष के आरंभ में देयता	3,225.86	29,170.59	3,197.81	28,650.99
	ब्याज लागत	241.62	2,196.55	233.76	2,120.17
	चालू सेवा लागत	176.23	171.59	163	184.38
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण आवक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	देयता अंतरण जावक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(317.32)	(2,426.52)	(334.38)	(2,120.73)
	परिवर्तन के कारण - बीमांकिक(अर्जन)/ बाध्यताओं पर हानि				
	वित्तीय धारणा में	95.91	(1,890.74)	(63.88)	(278.47)
	जनसांख्यिकी धारणा में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बाध्यताओं पर बीमांकिक(अर्जन)/हानि	179.70	4,334.44	29.55	614.25
	<b>वर्ष के अंत में देयताएं</b>	<b>3,602.00</b>	<b>31,555.91</b>	<b>3,225.86</b>	<b>29,170.59</b>
ii)	<b>योजना आस्तियों के उचित मूल्य की सारणी:</b>				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,262.35	28,754.24	3,367.60	27,043.50
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ	244.35	2,165.19	246.17	2,001.22
	अंशदान	238.96	2,223.33	शून्य	1,780.29
	अन्य कंपनी से अंतरण	शून्य	शून्य	0.29	शून्य
	अन्य कंपनी को अंतरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(प्रदत्त लाभ)	(317.32)	(2,426.52)	(334.38)	(2,120.73)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/(हानि)	29.34	423.97	(17.33)	49.96
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य अभिज्ञात किया जाने वाला	3,457.68	31,140.21	3,262.35	28,754.24
	अवधि के लिए बीमांकिक(अर्जन)/बाध्यताओं पर हानि	275.61	2,443.70	(34.33)	335.78
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक अर्जन/ (हानि)	(29.34)	(423.97)	17.33	(49.96)
	<b>कुल चिन्हित बीमांकिक अर्जन/(हानि)</b>	<b>246.27</b>	<b>2,019.73</b>	<b>(17.00)</b>	<b>285.82</b>
iii)	<b>संक्रमणकालीन देयता की पहचान:</b>				
	प्रारंभिक संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान पहचानी गयी संक्रमणकालीन देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	<b>अंत में संक्रमणकालीन देयता</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>
iv)	<b>योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ:</b>				
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	244.35	2,165.19	246.17	2,001.22
	योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ/(हानि)	29.34	423.97	(17.33)	49.96
	<b>योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ</b>	<b>273.69</b>	<b>2,589.16</b>	<b>228.84</b>	<b>2,051.18</b>
v)	<b>आय विवरण में चिन्हित व्यय:</b>				
	वर्तमान सेवा लागत	176.23	171.59	163.00	184.38
	ब्याज लागत	(2.73)	31.36	(12.41)	118.95
	योजना आस्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ परिशोधन)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पहचानी गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) (संवर्धित पारिवारिक पेंशन का 1/5)	शून्य	शून्य	शून्य	1,521.62
	संक्रमण देयता की पहचान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	246.27	2,019.73	(17.00)	285.82
	<b>लाभ एवं हानि खाते में चिन्हित व्यय</b>	<b>419.77</b>	<b>2,222.68</b>	<b>133.59</b>	<b>2,110.77</b>

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024		31.03.2023	
		उपादान	पेंशन	उपादान	पेंशन
vi)	<b>तुलन पत्र समाधान:</b>				
	प्रारंभिक शुद्ध देयता (पिछले वर्ष के तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध राशि)	(36.49)	416.35	(169.79)	85.87
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	419.77	2,222.68	133.59	2,110.77
	अन्य कंपनियों से अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	(0.29)	शून्य
	अन्य कंपनियों को अंतरित (शुद्ध)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(नियोक्ता का अंशदान)	(238.96)	(2,223.23)	शून्य	(1,780.29)
	<b>तुलन-पत्र में चिन्हित शुद्ध (आस्ति)/देयता राशि</b>	<b>144.32</b>	<b>415.70</b>	<b>(36.49)</b>	<b>416.35</b>
vii)	<b>अन्य ब्यौरे:</b>				
	तीस वर्ष की सेवा 50% पूर्ण पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र है. ऐसे कर्मचारी के मामले में जिनकी सेवा 33 वर्ष से कम की है तो पेंशन अर्हक सेवा के वर्षों की संख्या के आनुपातिक आधार पर देय होगी.				
	उपादान, प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की दर से देय है, बशर्ते कि अधिकतम राशि रुपये 20,00,000 या बैंक की योजना के अनुसार हो.				
	बीमाकिक लाभ/हानि की गणना घटना के वर्ष में किया जाता है.				
	वेतन वृद्धि कंपनी द्वारा बताए अनुसार समायोजित की गई है, जो पदोन्नति, कर्मचारियों की मांग एवं पूर्ति को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग उद्योग में लागू प्रथा के अनुसार है.				
	सदस्यों की संख्या	75,866	19,218	75,618	21,138
	वेतन प्रति माह	584.18	185.19	513.88	180.41
	<b>अगले वर्ष के लिए अंशदान</b>	<b>371.87</b>	<b>600.03</b>	<b>139.74</b>	<b>587.94</b>
viii)	<b>आस्तियों का संवर्ग:</b>				
	भारत सरकार की आस्तियां	27.56	479.80	61.47	565.13
	कॉर्पोरेट बॉन्ड/एफडीआर	297.23	2,773.66	25.75	720.80
	विशेष जमा योजना	शून्य	शून्य	-	-
	राज्य सरकार	393.93	3,521.70	82.81	1,379.39
	संपत्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य	190.78	1330.78	64.13	454.17
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	2,548.18*	23,034.27*	3,028.18	25,634.75
	म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	<b>कुल</b>	<b>3,457.68</b>	<b>31,140.21</b>	<b>3,262.34</b>	<b>28,754.24</b>

\*नोट: वित्तीय वर्ष 2022-23 के पेंशन एवं उपादान जो 7.50% माना गया, के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 में पेंशन एवं उपादान देयताएं का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए एलआईसी में निवेश पर 8.11% रिटर्न एवं अन्य बीमा कंपनियों में निवेश पर 7.50% रिटर्न को माना गया है.

( ₹ करोड़ में)

**योजना में अधिशेष/कमी :**

**उपादान योजना**

	31.03.24	31.03.23	31.03.22	31.03.21	31.03.20*
<b>तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि</b>	<b>3,602.00</b>	<b>3,225.86</b>	<b>3,197.81</b>	<b>3,355.82</b>	<b>1,291.94</b>
वर्ष के अंत में देयताएं	3,602.00	3,225.86	3,197.81	3,355.82	1,291.94
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	3,457.68	3,262.35	3,367.60	2,746.43	1,219.01
अंतर	(144.32)	36.49	169.79	(609.39)	(72.93)
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>तुलन पत्र में पहचान की गई राशि</b>	<b>(144.32)</b>	<b>36.49</b>	<b>169.79</b>	<b>(609.39)</b>	<b>(72.93)</b>

\* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

( ₹ करोड़ में)

**तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि**

**उपादान योजना**

	31.03.24	31.03.23	31.03.22	31.03.21	31.03.20*
<b>अनुभव समायोजन</b>	<b>31.03.24</b>	<b>31.03.23</b>	<b>31.03.22</b>	<b>31.03.21</b>	<b>31.03.20*</b>
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	179.70	29.55	30.86	752.31	25.87
योजनागत आस्तियां (हानि)/ लाभ	29.34	(17.33)	53.31	34.41	7.20

\* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

योजना में अधिशेष/ कमी:	पेंशन योजना				
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	31.03.24	31.03.23	31.03.22	31.03.21	31.03.20*
वर्ष के अंत में देयताएं	31,555.91	29,170.59	28,650.99	26,011.41	12,746.69
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	31,140.21	28,754.24	27,043.50	26,720.88	12,607.16
अंतर	(415.70)	(416.35)	(1,607.49)	709.47	(139.53)
पहचानी नहीं गई पूर्व सेवा लागत	शून्य	शून्य	1,521.62	शून्य	शून्य
पहचानी नहीं गई संक्रमण देयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	(415.70)	(416.35)	(85.87)	709.47	(139.53)

\* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में पहचान की गई राशि	पेंशन योजना				
	31.03.24	31.03.23	31.03.22	31.03.21	31.03.20*
<b>अनुभव समायोजन</b>					
योजनागत देयताएं (लाभ)/ हानि	4,334.44	614.25	2,452.27	1,456.27	938.90
योजनागत आस्तियां (हानि)/ लाभ	423.97	49.96	266.31	81.65	75.23

\* केवल यूनियन बैंक (स्टैंडअलोन) हेतु उल्लिखित राशि.

(₹ करोड़ में)

मुख्य बीमांकक पूर्वानुमान का उपयोग (%)	2023-24		2022-23	
	उपादान	पेंशन	उपादान	पेंशन
पिछली छूट दर	7.49	7.53	7.31	7.40
पिछली योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.49	7.53	7.31	7.40
पिछली वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
पिछली एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00
चालू छूट दर	7.21	7.24	7.49	7.53
वर्तमान योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ की दर	7.21	7.24	7.49	7.53
वर्तमान वेतन वृद्धि	5.00	5.00	5.00	5.00
वर्तमान एट्रीशन दर	2.00	2.00	2.00	2.00

iii) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधानों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अन्य दीर्घकालिक लाभ	31.03.2024	31.03.2023
1.	अवकाश यात्रा रियायत	(5.43)	3.66
2.	अवकाश नकदीकरण	350.14	149.30

बैंक ने विवेकपूर्ण आधार पर बीमार अवकाश के लिए रु. 273.70 करोड़ का प्रावधान किया है हालांकि इसमें कोई बड़ा भुगतान नहीं है.

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

iv) अपरिशोधित पारिवारिक पेंशन व उपादान देयताएं:		(₹ करोड़ में)	
विवरण	31.03.2024	31.03.2023	
<b>पेंशन</b>	शून्य		
ए) आगे की गई शेष राशि	शून्य	1,521.62	
बी) सकल देयता	शून्य	शून्य	
सी) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	1,521.62	
डी) आगे ली गई शेष राशि		शून्य	
<b>Gratuity</b>	शून्य		
ए) लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया गया	शून्य	शून्य	
बी) आगे ले जाया गया	शून्य	शून्य	

XI द्विपक्षीय निपटान और 11 नवंबर, 2020 के संयुक्त नोट के तहत कवर किए गए कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन में वृद्धि पर अतिरिक्त देयता बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार रु.1902.02 करोड़ हैं। इसके अतिरिक्त आरबीआई के परिपत्र आरबीआई/2021-22/105 डीओआर. एसीसी. आरईसी. 57/21.04.018/2021-22 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के अनुसार बैंकों को दिनांक 31.03.2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से शुरू होने वाले पाँच वर्ष से अधिक की अवधि में उक्त देनदारी का परिशोधन करने की अनुमति है। बैंक ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में रु.380.40 करोड़ की राशि प्रभारित है तथा दिनांक 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि खाते में रु.1521.62 करोड़ की शेष राशि प्रभारित किया गया है।

v) क्षेत्रवार रिपोर्ट (एएस-17)		(₹ करोड़ में)	
कारोबार क्षेत्र	स्टैंडअलोन		
	वर्ष की समाप्ति		
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	
	31.03.2024	31.03.2023	
<b>क्षेत्रवार राजस्व</b>			
ट्रेजरी परिचालन	31,656.46	26,442.90	
रिटेल बैंकिंग परिचालन	39,288.06	31,078.66	
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	985.02	566.49	
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	38,303.04	30,512.17	
कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	42,224.34	35,941.71	
अन्य बैंकिंग परिचालन	2,601.53	1,979.37	
गैर आबंटित	1,062.13	496.71	
<b>कुल क्षेत्रवार राजस्व</b>	<b>1,16,832.52</b>	<b>95,939.35</b>	
घटाया अंतर-क्षेत्रवार राजस्व परिचालन से आय	(974.37)	(562.86)	
	<b>1,15,858.15</b>	<b>95,376.49</b>	
			-
<b>क्षेत्रवार परिणाम</b>			
ट्रेजरी परिचालन	4,240.79	2,426.80	
रिटेल बैंकिंग परिचालन	6,409.37	5,059.25	
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	686.88	(45.05)	
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	5,722.49	5,104.30	
कॉर्पोरेट बैंकिंग	8,324.19	3,091.44	
अन्य बैंकिंग परिचालन	1,393.91	1,063.52	
गैर आबंटित	1,062.13	496.71	
<b>कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)</b>	<b>21,430.39</b>	<b>12,137.72</b>	
कर हेतु प्रावधान	7,782.08	3,704.45	
<b>कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)</b>	<b>13,648.31</b>	<b>8,433.27</b>	
			-

## कारोबार क्षेत्र

	स्टैंडअलोन	
	वर्ष की समाप्ति	
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
	31.03.2024	31.03.2023
<b>क्षेत्रवार आस्तियां</b>		
ट्रेजरी परिचालन	4,72,537.71	4,64,788.70
रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,14,535.30	3,59,680.33
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	7,182.14	1737.64
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	4,07,353.16	3,57,942.69
कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	4,73,324.30	4,26,011.76
अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
गैर आबंटित	31,560.31	30,271.66
<b>कुल</b>	<b>13,91,957.62</b>	<b>12,80,752.45</b>
<b>क्षेत्रवार देयताएं</b>		
ट्रेजरी परिचालन	4,62,058.16	4,56,704.84
रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,75,409.89	3,28,812.17
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	6,699.23	1,640.02
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	3,68,710.66	3,27,172.15
कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	4,28,285.50	3,88,190.19
अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
गैर आबंटित	29,235.10	28,711.04
<b>कुल</b>	<b>12,94,988.65</b>	<b>12,02,418.24</b>
<b>नियोजित पूंजी</b>		
ट्रेजरी परिचालन	10,479.55	8,083.86
रिटेल बैंकिंग परिचालन	39,125.41	30,868.16
(ए) डिजिटल बैंकिंग परिचालन	482.91	97.62
(बी) अन्य रिटेल बैंकिंग परिचालन	38,642.50	30770.54
कॉर्पोरेट/ थोक बैंकिंग	45,038.80	37,821.57
अन्य बैंकिंग परिचालन	-	-
गैर आबंटित देयताएं	2,325.21	1,560.62
<b>कुल</b>	<b>96,968.97</b>	<b>78,334.21</b>

## नोट:

- बैंक चार क्षेत्रों अर्थात ट्रेजरी, रिटेल, कॉर्पोरेट / थोक बैंकिंग एवं अन्य बैंकिंग परिचालन में कार्य करता है। उत्पाद और सेवाओं की जोखिम प्रोफाइल और प्रकृति, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, बैंक की संगठनात्मक संरचना और बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली पर विचार करने के बाद, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी क्षेत्रवार रिपोर्टिंग से संबंधित लेखा मानक एएस - 17 के अनुसार इन क्षेत्रों की पहचान की गई है। बैंक ने कारोबार क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है। इस अवधि के लिए विदेशी शाखा के एएस- 17 में निर्धारित राजस्व और अन्य पैरामीटर एएस-17 में निर्धारित सीमा के अंतर्गत हैं। अतः बैंक का रिपोर्ट योग्य भौगोलिक क्षेत्र केवल एक ही है। बैंक ने आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार 'डिजिटल बैंकिंग' को रिटेल बैंकिंग क्षेत्र के उप-क्षेत्र के रूप में प्रकट किया है।
  - सीधे तौर पर आबंटित न किए जा सकने योग्य आय, व्यय, प्रयुक्त पूंजी प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट किए जाने वाले क्षेत्रों में आबंटित कर दिए गए हैं।
  - पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनर्समूहित/ पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- vi) आरबीआई परिपत्र सं. आरबीआई/ डीओआर/ 2021-22/ 83 डीओआर.एसीसी.आरईसी.सं.45/ 21.04.018/ 2021-22 दिनांक 30 अगस्त, 2021 (20 फरवरी, 2023 को अद्यतन) के संदर्भ में, निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यक हैं:
- अन्य देयताओं एवं प्रावधानों के मामले में, "अन्य (प्रावधानों सहित)" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत से अधिक है,
  - अन्य आस्तियों के मामले में, अन्य शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आस्ति से एक प्रतिशत से अधिक है,

**अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स**

सी. अन्य आय के मामले में, "विविध आय" शीर्षक के अंतर्गत कोई मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है,

डी. परिचालन व्यय के मामले में, "अन्य व्यय" शीर्ष के अंतर्गत कोई भी मद कुल आय से एक प्रतिशत अधिक है,

अनुसूची	उप प्रमुख के अंतर्गत मद	₹ करोड़ में	कुल आय/आस्ति का %, जैसा लागू हो
अनुसूची 5 अन्य देयताएं एवं प्रावधान (IV-अन्य (प्रावधान सहित))	-	-	-
अनुसूची 11 अन्य आस्तियां (VI-अन्य)	-	-	-
अनुसूची 14 अन्य आय (VII-अन्य विविध आय)	अग्रिमों हेतु प्रसंस्करण शुल्क	1,501.62	1.30
	बट्टे-खाते में वसूली	3,987.40	3.44
अनुसूची 16 परिचालन खर्च (XII-अन्य व्यय)	-	-	-

**संबंधित पार्टियों का प्रकटन (एएस - 18)**

**i. संबंधित पार्टियों की सूची**

**ए) सहायक कंपनियां**

- यूनियन एसेट मैनेजमेंट कं.प्रा.लि.
- यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि.
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.
- आंध्रा बैंक फाइनेंशियल सर्विसेस लि.
- यूबीआई सर्विसेस लि

**बी) संयुक्त उपक्रम**

- स्टार यूनियन दाई-इची इंश्योरेंस कं. लि.
- एएसआरईसी (इंडिया) लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बेरहद

**सी) एसोसिएट**

- चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक

**डी) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**

(₹ करोड़ में)

नाम	पदनाम	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु भुगतान की गई पारिश्रमिक
सुश्री ए मणिमेखलै	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	0.40
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक	0.41
श्री रजनीश कर्नाटक #	कार्यपालक निदेशक	0.03
श्री निधु सक्सेना ##	कार्यपालक निदेशक	0.34
श्री रामसुब्रमणियन एस.	कार्यपालक निदेशक	0.37
श्री संजय रुद्र *	कार्यपालक निदेशक	0.16
श्री पंकज द्विवेदी ^	कार्यपालक निदेशक	0.004

# 28.04.2023 तक ## 27.03.2024 तक \* 09.10.2023 से ^ 27.03.2024 से

**पार्टियां, जिनके साथ वर्ष के दौरान संव्यवहार दर्ज किए गए**

लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार संबंधित पार्टियां जो "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंध में किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है. आगे, एएस 18 के अनुच्छेद 6 के अनुसार, बैंकर - ग्राहक संबंध की प्रकृति के संव्यवहारों, जिनमें प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं का प्रकटन नहीं किया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश के अनुसार, केएमपी को बैंक का पूर्णकालिक निदेशक माना जाता है.

### “लीज” परिचालन लीज (एएस-19) पर लिया गया परिसर:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बैंक के पास कोई भी अस्वीकार किए जाने वाले परिचालन लीज नहीं है। अतः एएस-19 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रकटीकरण लागू नहीं है। हालांकि, लाभ एवं हानि खाते में परिचालन लीज के लिए लीज भुगतान राशि रु. 818.04 करोड़ (पिछला वर्ष रु. 801.99 करोड़) मानी गई है।

### प्रति शेयर अर्जन (एएस-20)

प्रति शेयर अर्जन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों के भारित औसत संख्या से कर भुगतान के बाद प्राप्त शुद्ध लाभ को विभाजित कर मूल अर्जन की गणना की गई है। डाइल्यूटेड अर्जन प्रति इक्विटी शेयर की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटेड पोर्टेशियल इक्विटी शेयरों के भारित औसत के माध्यम से की गयी है।

प्रति शेयर अर्जन की गणना निम्नलिखित है:

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
वर्ष के प्रारंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या	6,83,47,47,466	6,83,47,47,466
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	79,88,58,141	शून्य
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	7,63,36,05,607	6,83,47,47,466
प्रति शेयर मूल अर्जन आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	7,20,31,48,214	6,83,47,47,466
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन के परिकलन लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	7,20,31,48,214	6,83,47,47,466
शुद्ध लाभ / (हानि) ₹ करोड़ में	13,648.31	8,433.28
प्रति शेयर मूल अर्जन (₹)	18.95	12.34
प्रति शेयर डाइल्यूटेड अर्जन (₹)	18.95	12.34
प्रति शेयर नॉमिनल वैल्यू (₹)	10	10.00

### कर हेतु प्रावधान:

#### आस्थगित कर (एएस-22)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
	आस्थगित कर आस्ति		(₹ करोड़ में)
1	कर्मचारी लाभ (अवकाश नकदीकरण)	472.83	534.18
2	अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास	305.14	395.89
3	गैर-निष्पादित आस्तियों हेतु प्रावधान	5,584.95	11,405.67
4	विदेशी मुद्रा अंतरण अधिशेष (रिजर्व)	(68.54)	(84.48)
5	अन्य प्रावधान	203.82	0.00
	<b>कुल</b>	<b>6,498.20</b>	<b>12,251.26</b>
	आस्थगित कर देयताएं		
1	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	951.02	1,274.79
2	धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत विशेष रिजर्व	1,836.70	2,316.74
	<b>कुल</b>	<b>2,787.72</b>	<b>3,591.53</b>
	<b>शुद्ध आस्थगित कर आस्तियां</b>	<b>3,710.48</b>	<b>8,659.73</b>
	<b>शुद्ध आस्थगित कर देयताएं</b>		

#### प्रत्यक्ष कर

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	7,782.08	3,704.45

## अनुसूची 18 - लेखों पर नोट्स

### कॉर्पोरेट कर निर्धारण:

विद्यमान और लंबित दोनों ही करों के लिए कर प्रावधान किया जाता है। लागू कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर कर योग्य आय पर विद्यमान कर प्रदान किया जाता है। समयान्तर के कारण उत्पन्न लंबित कर आस्तियों एवं लंबित कर देयताएं, जो आने वाले अवधि में परिवर्तनीय होते हैं, उनकी पहचान लागू किए गए या तुलन पत्र की तिथि तक पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कर नियमों के आधार पर की जाती है।

लंबित कर आस्तियों की पहचान तभी दी जाती है, जब भविष्य में ऐसे आस्तियों की वसूली लगभग निश्चित हो। वर्ष के दौरान हुई प्रगति के आधार पर प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को लंबित कर आस्तियों/देयताओं की समीक्षा की जाती है।

### संयुक्त उपक्रम में निवेश (एस-27)

निवेश के अंतर्गत रु. 286.88 करोड़ (विगत वर्ष रु. 286.88 करोड़) शामिल हैं, जो स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड और इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी में बैंक की हित राशि है।

### संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन

भूमि एवं भवन का विगत मूल्यांकन दिनांक 31.12.2022 को अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा निर्धारित उचित बाजार मूल्य पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है। एस-10 (संशोधित) के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन हिस्से पर मूल्यहास की भरपाई पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप 2023-24 को समाप्त वर्ष के लिए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में रु. 221.09 करोड़ की कमी आई है।

### आस्तियों की हानि (एस-28)

प्रबंधन ने तुलन पत्र की तिथि अर्थात् यथा 31 मार्च, 2024 को आकलन किया है कि क्या कोई संकेत है कि अचल आस्ति क्षतिग्रस्त होने वाली है और ऐसे किसी आस्ति को पहचाना/पाया नहीं गया है जहां एस-28 में निर्दिष्ट अनुसार हानि की स्थिति संलग्न है।

### आकस्मिक देयतायें (एस-29)

आकस्मिक देयताओं का उल्लेख अनुसूची-12 के क्र. (I) व (VI) (i) में उल्लेख किया गया है, जो क्रमशः न्यायालय के निर्णय/विवेचन/न्यायालय के बाहर समझौते के आधार पर मांगी गई रकम, संविदागत दायित्व, संबंधित पक्षों द्वारा की गयी मांग एवं परिस्थितियों तथा अपीलों के निस्तारण पर निर्भर है।

चालू वर्ष के दौरान, कोई मद अवधि से पहले की नहीं है (एस 5 के अनुसार) एवं परिचालनों को बंद नहीं किया गया है (एस-24 के अनुसार)।

### पर्यावरण नियंत्रण:

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की "सतत विकास एवं कारोबार उत्तरदायित्व नीति" नामक नीति विद्यमान है, जिसकी प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है और पिछली बार 02.03.2023 को बोर्ड द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। इस नीति के जरिए, बैंक पर्यावरण की रक्षा एवं उसकी बहाली के प्रयास करने हेतु प्रतिबद्ध है। बैंक द्वारा विद्युत संरक्षण, पैकेज्ड पेयजल हेतु प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग न करने आदि जैसे अनेक उपाय किए गए हैं। पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) एवं जलवायु जोखिम का प्रबंधन करने के लिए, बैंक के बोर्ड ने ईएसजी जोखिम ढांचा और जलवायु जोखिम नीति प्रस्तुत की है। बैंक में ईएसजी स्ट्रेटजी एवं परिवर्तन तैयार करने और लागू करने हेतु बैंक ने ईएसजी परिचालक समिति का गठन किया है।

### एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन

बैंक एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के विद्यमान प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित मूल राशि पर देय ब्याज के विलंबित भुगतान संबंधी कोई भी मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

## बहियों का मिलान, अंतरशाखा/बैंक लेनदेनों का मिलान

उचित खाते, विविध जमा आदि और शाखाओं, नियंत्रण कार्यालय, प्रधान कार्यालयों एवं किसी भी अन्य प्रतिष्ठानों के बीच अंतरकार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा प्रबंधन का यह मत है कि चालू वर्ष में लाभ और हानि खाते पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

अनुसूची 1 से 18 के हस्ताक्षरी

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं।

(अजय बंसल)

उप महाप्रबंधक

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अविनाश प्रभु)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(पंकज द्विवेदी)

कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)

निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)

निदेशक

(ए. मणिमेखलै)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(संजय रुद्र)

कार्यपालक निदेशक

(लक्ष्मण एस उप्पर)

निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)

कार्यपालक निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)

निदेशक

(जयदेव मद्गुला)

निदेशक

(श्रीनिवासन वरदराजन)

अध्यक्ष

(नितेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 110100W

सीए शरत शेटी

भागीदार

सदस्य सं. 132775

यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 000580S/S200066

कृते पी. चंद्रशेखर

भागीदार

सदस्य सं. 026037

यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331

स्थान: मुंबई

दिनांक 10 मई, 2024

कृते छाजेड & डोसी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 101794W

सीए नितेश जैन

भागीदार

सदस्य सं. 136169

यूडीआईएन: 24136169BKEKKY2518

कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002301C

कृते विरेंद्र कुमार लाधा

भागीदार

सदस्य सं. 071501

यूडीआईएन: 24071501BKFQHE9257

कृते जी एस माथुर & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 008744N

सीए राजीव कुमार वाधवन

भागीदार

सदस्य सं. 091007

यूडीआईएन: 24091007BKCFCS9770

# स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
		(₹ लाख में)	
ए	<b>परिचालन कार्यों से नकदी प्रवाह:</b>		
	कर से पहले निवल लाभ	21,43,039	12,13,772
	<b>निम्न के लिए समायोजन :</b>		
	अचल संपत्तियों पर मूल्य ह्रास	89,098	73,715
	निवेशों के लिए प्रावधान	87,887	1,67,478
	गैर निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान (निवल)	6,38,729	12,47,897
	अन्य मदों हेतु प्रावधान (निवल)	71,019	(1,16,241)
	अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	3,753	9,770
	उधारी पर ब्याज : पूँजीगत लिखत	(217)	149
	अचल अस्तियों की बिक्री/निपटान से (लाभ) / हानि	1,64,704	1,58,601
	निवेशों से प्राप्त लाभांश	(2,541)	(6,968)
	आरक्षित से/में अंतरण	(2,98,441)	(67,520)
	<b>उप योग</b>	<b>28,97,030</b>	<b>26,80,653</b>
	<b>निम्न के लिए समायोजन:</b>		
	जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)	1,03,81,205	85,32,369
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	6,25,016	10,48,458
	निवेशों में (वृद्धि) / कमी	51,665	7,63,829
	अग्रिमों में वृद्धि / (कमी)	(1,15,31,792)	(1,13,31,977)
	अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(88,254)	(7,67,147)
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का निवल)	(3,02,000)	(3,27,752)
	<b>परिचालन कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (ए)</b>	<b>20,32,870</b>	<b>5,98,433</b>
बी	<b>निवेश कार्यों से नकदी प्रवाह :</b>		
	अचल संपत्तियों की खरीद	(1,61,342)	(3,05,524)
	अचल आस्तियों की बिक्री / समायोजन के प्राप्तियां	32,744	68,230
	सहायक कंपनी में निवेश में (वृद्धि) / कमी	-	(10,473)
	निवेशों से प्राप्त लाभांश	2,541	6,968
	<b>निवेश कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (बी)</b>	<b>(1,26,057)</b>	<b>(2,40,799)</b>
सी	<b>वित्तपोषण कार्यों से नकदी प्रवाह:</b>		
	शेयर प्रीमियम (निवल) सहित इक्विटी शेयर कैपिटल को जारी करने से प्राप्तियां आगम	7,97,085	-
	पूँजीगत लिखतों के निर्गमन से आगम राशि प्राप्ति	-	98,300
	पूँजीगत लिखतों की चुकौती	(2,00,000)	(10,000)
	पूँजीगत लिखतों के अलावा उधार (कमी) / वृद्धि	(14,18,910)	(8,92,463)
	उधारी पर प्रदत्त ब्याज : पूँजीगत लिखत	(1,64,704)	(1,58,601)
	वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(2,05,042)	(1,29,861)
	<b>वित्तपोषण कार्यों से निवल नकदी प्रवाह (सी)</b>	<b>(11,91,571)</b>	<b>(10,92,624)</b>

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	(₹ लाख में) 31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (ए)+(बी)+(सी)	7,15,242	(7,34,990)
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,12,15,045	1,19,50,036
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,19,30,287	1,12,15,045
डी	नकदी एवं नकदी समतुल्य के घटक		
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	50,25,427	46,11,259
	बैंकों के पास जमा और मांग पर देय जमा	61,89,618	73,38,777
	वर्ष के आरंभ में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,12,15,045	1,19,50,036
ई	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	नकदी और भारिबैं के पास जमा शेष (विदेशी मुद्रा सहित)	52,89,750	50,25,427
	बैंकों के पास जमा और मांग पर प्रतिदेय राशि	66,40,537	61,89,618
	वर्ष के अंत में निवल नकदी एवं नकदी समतुल्य	1,19,30,287	1,12,15,045

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नकदी प्रवाह विवरण पर लेखांकन मानक-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रस्तुतीकरण के अनुरूप पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

उक्त वर्णित अनुसूचियाँ स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह का अभिन्न अंग हैं।

(अजय बंसल)

उप महाप्रबंधक

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(अविनाश प्रभु)

मुख्य वित्तीय अधिकारी

(पंकज द्विवेदी)

कार्यपालक निदेशक

(समीर शुक्ला)

निदेशक

(सूरज श्रीवास्तव)

निदेशक

(ए. मणिमखलै)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(संजय रुद्र)

कार्यपालक निदेशक

(रामसुब्रमणियन एस)

कार्यपालक निदेशक

(प्रकाश बलियारसिंह)

निदेशक

(जयदेव मद्गुला)

निदेशक

(श्रीनिवासन वरदराजन)

अध्यक्ष

(नितेश रंजन)

कार्यपालक निदेशक

(प्रीति जय राव)

निदेशक

हमारी उक्त तिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स एन बी एस & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 110100W

सीए शरत शेटी

भागीदार

सदस्य सं. 132775

यूडीआईएन: 24132775BKCYER6195

कृते पी चंद्रशेखर एलएलपी

सनदी लेखाकार

एफआरएन 000580S/S200066

कृते पी. चंद्रशेखर

भागीदार

सदस्य सं. 026037

यूडीआईएन: 24026037BKARCN8331

स्थान: मुंबई

दिनांक 10 मई, 2024

कृते छाजेड & डोसी

सनदी लेखाकार

एफआरएन101794W

सीए नितेश जैन

भागीदार

सदस्य सं. 136169

यूडीआईएन: 24136169BKEKY2518

कृते वी के लाधा & एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

एफआरएन 002301C

कृते विरेंद्र कुमार लाधा

भागीदार

सदस्य सं. 071501

यूडीआईएन: 24071501BKFQHE9257

कृते जी एस माथुर & कं.

सनदी लेखाकार

एफआरएन 008744N

सीए राजीव कुमार वाधवन

भागीदार

सदस्य सं. 091007

यूडीआईएन: 24091007BKFCFS9770